रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1986 (आषाढ़ 28, 1908)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1986 (ASADHA 28, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 मई 1986

सं० ए० 32013/3/83(II)–प्रशा०–I––संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 10–8–1985 के (अपराह्न) से विशेष सहायक का पद समाप्त होने के परिणाम स्वरूप श्री आई० एन० शर्मा और तरसेमसिंह को संघ लोक सेवा आयोग के के० स० आ० से० संवर्ग के आशुलिपिक समूह (ख) (वरिष्ठ निजी सहायक) के उनके नियमित पद पर दिनांक 11 अगस्त, 1985 के पूर्वाह्न से प्रत्यावर्तित किया जाता है और राष्ट्रपति उन्हें (के० स० आ० से० के समूह क) इसी संवर्ग के निजी सचिव के पद पर उनके नाम के सामने दर्शायी गयी अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :––

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	तदर्थ नियुक्ति की अवधि
1.	श्री आई० एन० शर्मा	11–8–85 से 10–11–85 और 12–11–85 से 25–12–85 तक
2.	श्री तरसेम सिंह	11–8–85 से 10–11–85, 12–11–85 से 9–2–86 और 11–2–86 से 31–5–86 तक

उपर्युक्त व्यक्ति कृपया ध्यान दें कि निजी सचिव (के० स० आ० से० समूह –क) के पद पर उनकी नियुक्ति तदर्थ है और उन्हें के० स० आ० से० के समूह–क में विलयन और वरिष्ठता का हक प्राप्त नहीं होगा ।

सं० ए० 32013/3/83–(IV)–प्रशा०I–––राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग के निम्नलिखित वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों (के० स० आ० से० का ग्रुप "ख") को उसी संवर्ग में, उनके सामने दर्शायी गयी तारीख अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर निजी सचिव (के० स० आ० से० का ग्रुप "क") के रूप में नियुक्त करते हैं :––

क्रमांक	नाम	अवधि
1.	श्री के० एस० भूटानी	2–1–86 से 27–2–86 तक और 28–3–86 से 31–5–86 तक
2.	श्री पी० पी० सिक्का	28–3–86 से 31–5–86 तक
3.	श्री एम० एम० एल० चांदना	––वही––
4.	श्री एम० एम० एल० दुआ	––वही––

2. उल्लिखित व्यक्ति कृपया ध्यान दें कि निजी सचिव (के० स० आ० से० का ग्रेड "क") के रूप में उनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और के० स० आ० से० के ग्रेड में विलयन

1—156GI/86

अथवा उस ग्रेड में वरिष्ठता का उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

सं० ए० 32013/3/83(5)—प्रशा० 1—राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के के० स० आ० से० संवर्ग के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को उसी संवर्ग में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० आ० से० के ग्रेड ख) के पदों पर उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीखों के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हों तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	तदर्थ नियुक्ति की अवधि
1.	श्री वी० पी० महाजन	2-4-1986 से 31-5-1986 तक
2.	श्रीमती सरोज के० कपूर	—वही—
3.	श्री लेखराज गुप्ता	6-5-1986 से 31-5-1986 तक

2. उपर्युक्त व्यक्ति कृपया ध्यान दें कि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० आ० सं० के ग्रेड-ख) के पदों पर उनकी नियुक्ति तदर्थ है और के० स० आ० से० ग्रेड ख के इस में उन्हें विलयन या वरिष्ठता का हक नहीं मिलेगा। इनकी नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से ही होगी ।

दिनांक 6 जून 1986

सं० ए० 32014/1/86(I)—प्रशा० —राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग के निम्नलिखित वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों (के० स० आ० से० का ग्रेड ख) को 2-6-86 से तीन महीने के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (के० स० आ० से० का ग्रेड क) के पद पर नियुक्ति करते हैं :—

क्रमांक	नाम	अवधि
सर्व श्री		
1.	तरसेम सिंह	2-6-86 से 1-9-86 तक
2.	के० एस० भूटानी	—वही—
3.	पी० पी० सिक्का	—वही—
4.	एम० एम० एल० चान्दना	—वही—
5.	एम० एम० एल० दुआ	—वही—

2. उल्लिखित व्यक्ति यह नोट कर लें कि निजी सचिव (के० स० आ० से० का ग्रेड क) के पद पर उनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और के० स० आ० से० के ग्रेड क में विलयन अथवा इस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। इन अधिकारियों की नियुक्ति कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन के अध्यधीन है ।

एम० पी० जैन
अवर सचिव (का० प्रशा०)
संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 1986

सं० 1/2/85-प्रशासन —केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा इस आयोग में श्री कंवल नैन, स्थायी सहायक को अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से वेतनमान रु० 650-1200 में 19-6-1986 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

सं० 1/2/85-प्रशासन —केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्री मनोहर लाल को अवर सचिव के पद पर तदर्थ रूप से वेतनमान रु० 1200-1600 में 19-6-1986 (पूर्वाह्न) से 3 माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

सं० 1/2/85-प्रशासन — केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में स्थायी अवर सचिव श्री कृष्ण लाल मलहोत्रा को विशेष कार्य अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से वेतनमान रु० 1500-60-1800-100-2000 में 19 जून 1986 (पूर्वाह्न) से 3 माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं ।

मु० के० दीक्षित
उप सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासन सुधार, लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जून 1986

सं० 3/24/86-प्रशा०-5—राष्ट्रपति ने श्री बी० के० गिल, (एस० पी० एस०-गुजरात) को दिनांक 31 मई, 1986 अपराह्न से अगले आदेश होने तक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

दिनांक 30 जून 1986

सं० 3/41-85-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एवं पुलिस महानिरीक्षक/विशेष पुलिस स्थापना ने एतद्द्वारा हरियाणा राज्य पुलिस के श्री सुरज पाल, पुलिस उपाधीक्षक की दिनांक 12 जून 1986 पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति, पर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, चण्डीगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

धर्मपाल भल्ला
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद-500 252, दिनांक 25 मई 1986

क्रमांक 15011/21/86-स्थापना—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हैदराबाद से स्थानान्तरित होकर केन्द्रीय स्वास्थ्य

सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा० एम० वी० रंगा रेड्डी ने अकादमी में दिनांक 16-5-86 पूर्वाह्न को स्टाफ सर्जन के पद का कार्यभार ग्रहण किया

ए० ए० अली
निदेशक

महानिदेशालय, के० रि० पु० बल,

नई दिल्ली-03, दिनांक 26 जून 1986

सं० ओ० दो०-2213/86-स्थापना-I-राष्ट्रपति जी ने डाक्टर तपन कान्ति राय की अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड-II (डी० एम० पी/कम्पनी कमांडर) के पद पर दिनांक 30 मई 1986 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त किया है ।

दिनांक 27 जून 1986

सं० ओ० दो-1821/83-स्थापना--श्री बी० पी० तिवारी भा० पु० सेवा (पंजाब : 1967) पुलिस उप-महानिरीक्षक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल चण्डीगढ़ ने पंजाब राज्य को वापिस जाने के फलस्वरूप दिनांक 17-6-86 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार सौंप दिया ।

सं० ओ० दी०-1791/86-स्थापना--महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर टी० के० राय को दिनांक 26-4-86 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर केवल एक माह के लिए अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक इनमें से जो भी पहले हो उस तारीख तक तदर्थ रूप में नियुक्त किया है ।

एम० अशोक राज
सहायक निदेशक (स्थापना)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक जून 1986

सं० ई-16013(1)/1/81-कार्मिक-I--प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करने पर, श्री आर० राधा कृष्ण भा० पु० से० (केरल : 62) ने 6 जून, 1986 के अपराह्न के० औ० सु० ब० (दक्षिण क्षेत्र) मदास के उप महानिरीक्षक के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं० ई-32015(4)/1/86-कार्मिक-I--राष्ट्रपति, श्री एस० एन० कौल को प्रोन्नति पर 18 जून 1986 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० मुख्यालय (कार्मिक-II), नई दिल्ली के सहायक कमांडेंट (क० प्र० अ०), के रूप में नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 19 जून 1986

सं० ई०-28017/10/84-कार्मिक-II/1083--श्री के० के० एस० अहलुवालिया, उप कमांडेंट, के० औ० सु० ब० यूनिट, एच० एफ० सी० एल०, नामरूप का 11 जून, 1986 को स्वर्गवास हो गया था । उनका नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की नफरी से दिनांक 12 जून 1986 के पूर्वाह्न से काट दिया गया है ।

सं० ई-28017/10/84-कार्मिक-II--निवर्तन की आयु पूरी कर लेने के फलस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर, श्री सेमुअल सेमसन ने 28 फरवरी 1986 के अपराह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण रिजर्व, दक्षिण क्षेत्र, मदास के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 23 जून 1986

सं० ई-32015/(4)/1/86-कार्मिक-I--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति होने पर श्री यू०एम० कुमार ने 6 जून, 1986 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, बी० एस० एल०, बोकारो के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनांक 24 जून 1986

सं० ई-32015(4)/1/86-कार्मिक-I--के० औ० सु० ब० में प्रत्यावर्तन होने पर, श्री वी० एन० तिवारी, ने 6 जून, 1986 के अपराह्न से सहायक कमांडेंट, के० औ० सु० ब० मुख्यालय (आसूचना स्क्वाड), नई दिल्ली के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

डी० एम० मिश्रा
महानिदेशक/के० औ० सु० ब०

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 1986

मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवम् क्षारोद कारखाने संस्थापना

सं० (11/3/1/स्था०/85)--श्री एम० डी० तिवारी, फैक्ट्री इंजीनियर शासकीय अफीम एवम् क्षारोद कारखाना, गाजीपुर अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर 30 नवम्बर 1985 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

ह० अपठनीय
नारकोटिक्स कमिश्नर/मुख्य नियंत्रक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जून 1986

सं० 12-वा० ले० प०/31-74--सदस्य लेखा परीक्षा तथा पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, कलकत्ता के कार्यालय

में कार्यरत श्री एस० एम० पाल, लेखा परीक्षा अधिकारी (वा०) अपनी अधिवार्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-5-1986 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

के० पी० लक्ष्मण राव
सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वा०)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)—प्रथम, पश्चिम बंगाल,

कलकत्ता-700001, दिनांक 20 जून 1986

सं० प्रशासन-I/पदोन्नति-93/स० ले० प० अ०/2270—महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम, पश्चिम बंगाल ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (लेखा परीक्षा) को दिनांक 11वीं मार्च, 1986 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक महालेखाकार (लेखा परीक्षा)—प्रथम और महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-द्वितीय, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के कार्यालयों में अस्थायी तथा स्थानापन्न रूप से सहायक लेखा परीक्षा (वर्ग-ख-राजपत्रित-650-30-710-35-880-द० प०-40-1040 रुपए के वेतनमान में) नियुक्त करने की कृपा की है।

क्र० सं० नाम
1. श्री वेनुधर मण्डल
2. श्री शुशील कुमार पाल
3. श्री मुकुन्द मोहन भट्टाचार्य,

ये पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में लम्बित रिट याचिका के अन्तिम निर्णय होने के अधीन हैं।

नये पदोन्नत सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 26-9-81 के अनुच्छेद 2(ख) के अनुसार एक माह के भीतर अपना वेतन या तो मूल नियम 22(क)(1) के अन्तर्गत पदोन्नति की तारीख के दिन से और फिर उसके बाद मूल नियम 22 ग के अन्तर्गत नीचे के पद में आगामी वेतन वृद्धि की तारीख से अथवा मूल नियम 22ग के अन्तर्गत सीधे पदोन्नति तारीख के दिन से निर्धारण करने के लिए विकल्प देना होगा।

सनत कुमार मिश्र
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
पश्चिम बंगाल

निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय का कार्यालय

कलकत्ता-700001, दिनांक 24 जून 1986

सं० प्रशा०-I/सी०/राजपत्रित/878-879—निदेशक लेखा-परीक्षा, केन्द्रीय कलकत्ता ने निम्नलिखित स्थानापन्न अनुभाग अधिकारियों को रु० 650-30-740-35-880-ई० बी०-40-1040 के वेतनमान पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ग्रुप 'ख') के पद पर उनके नामों के साथ दिए गए तारीख से अगला आदेश जारी किए जाने तक निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय, कलकत्ता के कार्यालय में नियुक्त किए हैं।

क्र० स०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	श्री प्रताप शंकर दाँ	16-4-86 (पूर्वाह्न से)
2	श्री रतेन्दू गुहा	16-4-86 (पूर्वाह्न से)

सुनील
उप० नि० ले० परीक्षा (प्रशा०) केन्द्रीय

लेखा परीक्षा निदेशक का कार्यालय

पू० मे० रेलवे

मालीगांव, दिनांक 19 जून 1986

सं० प्रशा० /5-16/79/35ए/2357—श्री दयामय बिशाम अस्थायी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को वेतनमान 840-40-1000-ई० बी०-40-1200 में दिनांक 6-6-86 से अगले आदेश तक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है।

एन० जी० मल्लिक
लेखा परीक्षा निदेशक

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 26 जून 1986

सं० प्रशा० /1/1419/4/जिल्द-I—निम्नलिखित अधिकारियों की, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के ग्रुप "ए" के कनिष्ठ समयमान में, प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शायी गयी तारीखों से पुष्टि कर दी गयी है:—

क्र० सं०	नाम	पुष्टि की तारीख
1	5	3
सर्वश्री—		
1	शादी लाल वर्मा	02-06-85
2	ए० जानकी रामन	02-06-85
3	बी० सम्पथ	02-06-865
4	एल० एन० नायमुनी	25-08-85
5	ज्योति लाल	29-08-85
6	डी० कृष्णामूर्ति	02-06-85
7	लच्छा सिंह	02-06-85
8	टी० एम० कृष्णन	30-8-85
9	सतीश चन्द्र	18-08-85

क्र० सं०	नाम	पुष्टि की तारीख
	सर्वश्री--	
10	राम रतन	01- 9-85
11	एच० सी० दास	02-06-85
12	सी० आर० मजूमदार	02-06-85
13	ई० आर० चक्रवर्ती	26-08-85
14	ए० जम्बूनाथन	29-08-85
15	के० वी० वर्गीज	22-08-85
16	सी० सुर्यनारायणा	11-07-85
17	डी० के० कार	02-06-85
18	टी० एम० माधवन	11-08-85
19	एन० आर० रामानाथन	17-08-85
20	एस० एम० मल्होत्रा	30-08-85
21	महेन्द्र सिंह-I	23-08-85
22	पी० के० थेवन	20-08-85
23	राधेश्याम पाल	19-08-85
24	एम० एम० दूबे	22-08-85
25	सी० राधा कृष्णन	12-09-85
26	त्रिलोक सिंह नायर	29-08-85
27	डोरी लाल	18-08-85
28	गोविन्द सहाय	18-08-85
29	ए० मादास्वामी	18-08-85
30	वी० एन० राम	18-08-85
31	रती राम	11-08-85
32	महेन्द्र सिंह-II	16-08-85
33	शिव चरन सिंह	09-09-85
34	जगन नाथ	30-08-85
35	वी० जी० दातार	17-08-85
36	के० वी० रमनन	05-09-85
37	आर० एम० जोशी	18-08-85

सं० प्रशा०/11/606/86--निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को, 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, प्रत्येक के समक्ष दर्शायी गयी तारीखों के अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा :--

क्र० सं०	लेखा अधिकारी का नाम, रोस्टर सहित	ग्रेड	तारीख जिससे अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित किया गया	संगठन
	सर्वश्री--			
1	पी०डी०कृष्णा-स्वामी (पी०/457)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-86	र० ले० नि० (पी० डी०) नई दिल्ली ।
2	एस०एन० भट्टाचार्या (पी०/509)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-8-86	सु० नि० (फैक्ट्रीज) कलकत्ता
3	जे० के० शर्मा, (पी०/145)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-86	र० ले० नि० (आ० से०) देहरादून

आर० बी० कपूर
रक्षा लेखा अपर महा नियंत्रक (प्रशासन)

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डनेंस फैक्टरियां सेवा

आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता-1, दिनांक 26 जून 1986

सं० 32/जी०/86--वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर (58 वर्ष) श्री ए० ए० राय, सहायक कार्यशाला प्रबन्धक (मौलिक एवं स्थायी फोरमैन) दिनांक 30-6-85 (अपराह्न) से सेवा निवृत हुए ।

सं० 33/जी/86--वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर (58 वर्ष) श्री ए० सि० मुखर्जी, स्थानापन्न कार्यशाला प्रबन्धक (भी० एफ० जे०)/मौलिक एवं स्थायी फोर मैन/दिनांक 28--2-86 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए ।

सं० 34/जी/86--वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर (58 वर्ष) श्री एन० आर० एम० पिल्लाई सहायक कार्यशाला प्रबन्धक (मौलिक एवं स्थायी फोरमैन) दिनांक 30-4- 86 (अपराह्न) से सेवा निवृत हुए।

डी० सेन
संयुक्त निदेशक

श्रम मंत्रालय

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 1986

सं०प्रशा० 1/4(1)/86 (1) सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर श्री बी० टी० माल्हे ने 30-11-85 (अपराह्न) श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०) बम्बई कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया ।

--यथोक्त-- (2) स्थानांतरण होने पर श्री बी० बी० पांडे ने 10-1-86 (अपराह्न) को मुख्य श्रमायुक्त मुख्यालय, नई दिल्ली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०) कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 13-1-86 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), दिल्ली-1 कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया ।

--यथोक्त-- (3) स्थानांतरण होने पर श्री ए० बनर्जी ने 29-1-86 (अप०) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०) मुज्फ्फरपुर कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और उसी हैसियत से 30-1-86 पूर्वाह्न)) को धनबाद में कार्यभार संभाल लिया ।

--यथोक्त-- (4) स्थानांतरण होने पर श्री आई० जे० एस० भाटिया ने 10-2-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), दिल्ली-11 कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 10-2-86 (अपराह्न) को उसी हैसियत से नई दिल्ली में फरीदाबाद कैम्प का कार्यभार संभाल लिया ।

--यथोक्त-- (5) सहायक कल्याण आयुक्त के पद पर चुन लिए जाने पर श्री आर० पैलानीस्वामी ने 19-2-86 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), कोयम्बतूर कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया ।

--यथोक्त-- (6) अपने मूल विभाग में वापस भेजे जाने पर श्री के० एस० सग्गु ने 6-1-86 (अपराह्न) से श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), बड़ौदा कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया ।

प्रशा० 1/4(1)/86 (7) सहायक श्रमायुक्त (के०) के पद पर पदोन्नत होने पर श्री आर० एन० मुले ने 17-2-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), बेल्लारी कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया ।

--यथोक्त-- (8) वार्धक्यता की आयु प्राप्त होने पर श्री पी० राजरत्नम ने 31-12-85 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), विजयवाड़ा कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया ।

--यथोक्त-- (9) स्थानांतरण होने पर श्री बी० एन० चटर्जी ने 10-1-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०) कार्यालय दिल्ली-1 का कार्यभार छोड़ दिया और 13-1-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से कानपुर में कार्यभार संभाल लिया ।

--यथोक्त-- (10) स्थानांतरण होने पर श्री विलियम बुर्रा ने 24-2-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०) विशाखापट्टनम कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 25-2-86 (पूर्वाह्न) को राजमुंदरी में उसी हैसियत से कार्यभार संभाल लिया ।

--यथोक्त-- (11) स्थानांतरण होने पर श्री ए० बी० बसु ने 17-2-86 (पूर्वा०) को मुख्य श्रमायुक्त मुख्यालय नई दिल्ली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०) कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 17-2-86 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), दिल्ली-11 का कार्यभार संभाल लिया ।

--यथोक्त-- (12) स्थानांतरण होने पर श्री के० गोपीकृष्ण ने 28-2-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), गुन्टाकल

कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और उसी हैसियत से 11-3-86 (पूर्वाह्न) को छिंदवाड़ा में कार्यभार संभाल लिया ।

प्रशा० 1/4(1)/86 (13) स्थानांतरण होने पर श्री अमर कांत ने 28-2-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), चण्डीगढ़-1 कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 28-2-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), चण्डीगढ़-III का कार्यभार संभाल लिया ।

—यथोक्त— (14) स्थानांतरण होने पर श्री आर० वेंकटासेसन ने 14-3-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), मद्रास का कार्यभार छोड़ दिया और 17-3-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से पांडिचेरी में कार्यभार संभाल लिया।

—यथोक्त— (15) वार्धक्यता की आयु प्राप्त होने पर श्री पी० सी० पांडे ने 31-3-86 (अपराह्न) को मुख्य श्रमायुक्त मुख्यालय, नई दिल्ली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०) कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया ।

—यथोक्त— (16) स्थानांतरण होने पर श्री बी० बी० सिंह सामंत ने 21-4-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी, (के०), गोहाटी कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 28-4-86 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से पैरादीप में कार्यभार संभाल लिया ।

—यथोक्त— (17) वार्धक्यता की आयु प्राप्त होने पर श्री एस० एस० गोस्वामी ने 30-4-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०) कलकत्ता कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया ।

—यथोक्त— (18) ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति पर श्री पी० सी० बांगिया ने 30-4-86 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के०), बीकानेर कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया ।

नन्द लाल
प्रशासनिक अधिकारी

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1986

आयात व निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

सं० 6/690/62-प्रशासन (राज०)/3382—केन्द्रीय व्यापार सेवा के श्रेणी-2 के अधिकारी और संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय, बंगलौर में श्री ए० ठुकाराम, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात 30 अप्रैल 1986 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

शंकर चन्द
उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 26 जून 1986

सं० सी० ई० आर०/7/86-सी० एल० बी०/699—वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 के खण्ड 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता हूं कि :—

(एक) कताई प्लांट रखने वाले राष्ट्रीय वस्त्र निगम (अब के बाद एन० टी० सी० कहे जाने वाले) के अधीन उत्पादक द्वारा उत्पादित तथा 1 जुलाई 1981 के बाद पैक किए गए "नियंत्रित धोती", "नियंत्रित लट्ठा", तथा "नियंत्रित सूती पालिएस्टर शर्टिंग" के अधिकतम एक्स फैक्ट्री मूल्य, नियंत्रित वस्त्र के उत्पादन में शामिल होने वाली मिलों के मामले में वास्तविक क्षमता उपयोग, वास्तविक ब्याज तथा जीरो रिटर्न को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा स्वीकृत सूत्र के आधार पर गणित प्रति चौरस मीटर एन० टी० सी० लागत होगी जिसमें से "नियंत्रित धोती" व "नियंत्रित साड़ी" के लिए प्रति चौरस मीटर रु० 2/- तथा "नियंत्रित लट्ठे" के लिए प्रति चौरस मीटर रु० 1.50 नियंत्रित पालिएस्टर संमिश्र शर्टिंग के मामले में सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किए अनुसार घटाना होगा ।

(दो) सैकण्डस का अधिकतम एक्स-फैक्ट्री मूल्य उपरोक्त एक्स-फैक्ट्री मूल्य से 10% (दस प्रतिशत)

कम होगा। शब्द मैकंड्रग से तात्पर्य वही है जो उपरोक्त नियंत्रण आदेश के उप-बन्ध के खण्ड 17 के अधीन जारी अधिसूचना में परिभाषित है।

(तीन) 1-7-81 को या उसके बाद पैक की गयी कपड़ों की उपरोक्त किस्मों का उपभोक्ता मूल्य, सूती कपड़े के मामले में एक्स-फैक्ट्री मूल्य पर 15% तथा पालिएस्टर सूती शटिंग के मामले में 20% (अस्थायी) जो उपरोक्त खण्ड (एक) या (दो) जैसा भी मामला हो उसकी अनुरूपता में निश्चित किया हो, जिस में केन्द्रीय उत्पाद नमक नियम, 1944 के अधीन उत्पाद शुल्क तथा उस समय प्रभाव में होने वाले कानून के किसी भी उपबन्ध के अन्तर्गत लगाए गए नियंत्रण शुल्क की राशि जोड़ी जायेगी।

2 इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु :—

(अ) नियंत्रित धोती/नियंत्रित साड़ी/नियंत्रित लट्ठा/नियंत्रित पालिएस्टर संमिश्र शटिंग को निम्नोक्त (आ), (इ), (ई) उप खण्ड 2 के अन्तर्गत इनमें स प्रत्येक किस्म को दिए गए विनिर्देश के साथ निम्नोक्त सामान्य विनिर्देश दिए जाएंगे :—

(एक) औसत काउंट जो 40.49 काउंट से ज्यादा नहीं हो।

(दो) सादी बुनावट में बुना हो।

(तीन) वार्प काउंट और वेफ्ट काउंट में अन्तर 8 काउंट से ज्यादा नहीं हो।

(चार) विरंजन में पक्के 2 लाल धागों के साथ बुना हो जो पूरी लम्बाई में वार्प वाईज हों तथा किनारों में से किसी एक के साथ (किनारी वाली साड़ियों एवं धोतियों को छोड़कर) बैठाया गया हो।

परन्तु यह तब जब कि ऐसे रंगीन धागे अनियंत्रित कपड़े में नहीं डाले जायेंगे।

टिप्पणी —उपरोक्त प्रयोजन के लिए लगाए गए रंगीन धागे सामान्यत: नेप्थाल लाल रंग में होंगे। यद्यपि छपे हुए, रंगीन या दूसरे रंगीन कपड़े के संबंध में प्रयोग में लाए जाने वाले रंगीन धागे किसी भी दूसरे वैकल्पिक, विषम रंग में हो सकते हैं तथा वे स्पष्ट रूप से दिखायी दें।

(पांच) पूर्ण रूप से कपास से निर्मित हुए हों (संमिश्र पालिएस्टर शटिंग को छोड़कर)

(छ) रीड व पिक के बीच अन्तर चार से ज्यादा नहीं हो तथा पिक 40 से कम नहीं हों।

(सात) उपरोक्त वस्त्रों में उपयोग में लाए गए रंग/डाई धुलने में पक्के हों।

(आ) नियंत्रित धोती

(क) उपरोक्त (अ) के अतिरिक्त कोरा या विरंजित कपड़ा होगा जो सामान्यत: नाम से जाना जाता हो, मर्सराईज्ड हो या नहीं हो तथा जिसकी किनारी व अग्रभाग में सफेद या रंगीन सूत समाविष्ट होगा।

(ख) 104 से 122 सें० मी० (दोनों समाविष्ट) के बीच चौड़ाई होगी।

(इ) नियंत्रित साड़ी

(क) उपरोक्त (अ) के अतिरिक्त कोरा या विरंजित कपड़ा होगा जो सामान्यत: नाम से जाना जाता हो, मर्सराईज्ड हो या ना हो।

(ख) उसकी किनारियों में तथा अग्रभाग में रंगीन सूत या सफेद सूत अन्तर्विष्ट हो।

(ग) 104 सें० मी० तथा 122 सें० मी० (दोनों समाविष्ट) के बीच चौड़ाई होगी।

(घ) जिसमें छपी हुई ममल तथा छपी हुई वायल सामाविष्ट हैं जिसकी लम्बाई प्रति नग 5 मीटर से कम नहीं हो।

टिप्पणी —इसमद के प्रयोजन के लिए छपी हुई मलमल तथा छपी हुई वायल से तात्पर्य इकहरे सूत तथा ताना काउण्ट, जो 28 काउण्ट से कम न हो, से निर्मित (छपी किनारियों/पाल्वों के समेत या उनके बिना) सीधी बुनाई के छपे हुए कपड़ों से होगा और यदि वह साड़ी की लम्बाई का 5 मीटर, 5 1/2 मीटर का टुकड़ा हो, तो उन पर प्रति टुकड़ा उपभोक्ता मूल्य अंकित करना होगा।

(ई) नियंत्रित लट्ठा

(क) उपरोक्त (अ) के अतिरिक्त कोरा या विरंजित या रंगा हुआ कपड़ा चाहे वह मर्सराइज्ड या प्रिश्रंक हो या न हो, तथा

(ख) 84 सें० मी० से 120 सें० मी० (दोनों मिलाकर) तक की चौड़ाई होगी।

(उ) नियंत्रित विरंजित/रंगा हुआ/छपा हुआ पॉलिएस्टर रुई संमिश्र शटिंग के लिए निम्नलिखित निर्देश होंगे :

ताना —38 काउन्ट
बाना —42 काउन्ट
रीड —72
प्रति इंच पिक्स —68
फिनिश्ड चौड़ाई —89 सें० मी०
संमिश्र प्रतिशत —रुई 52, पालिएस्टर 48

अंकित किया जाने वाला अन्तिम उपभोक्ता मूल्य विरंजित के लिए प्रति मीटर रु० 10.50 और रंगी हुई किस्मों के लिए रु० 11.50 तथा छपी हुई किस्मों के लिए रु० 12/– होगा।

3. उपरोक्त खण्ड 2 के अनुसार निश्चित किया गया उप-भोक्ता मूल्य नियंत्रित वस्त्र की फेस प्लेट पर और यदि वस्त्र मीटर के हिसाब से बेचा गया हो तो प्रत्येक मीटर के किनारे पर या जब साड़ी अथवा धोती की जोड़ी हो तो दूसरे नग के अन्त पर लाल रंग/स्याही में अंकित किया जाएगा ;

4. मैं एतद्द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत नियंत्रित वस्त्र के प्रत्येक उत्पादक को वस्त्र आयुक्त, न्यू सी० जी० ओ० बिल्डिंग, चर्चगेट, बम्बई–20 तथा वस्त्र आयुक्त प्रादेशिक कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में निर्माण का स्थान स्थित है, को उनके द्वारा निर्मित तथा पैक किए गए नियंत्रित वस्त्र के बारे में सत्य एवं सही जानकारी यहां संलग्न फार्म ए में दिनांक 1–7–81 को या उसके बाद भेजने का निर्देश देता हूं ।

(दो) वस्त्र के सम्बन्ध में उसी क्रम संख्या वाला उपरोक्त फार्म वस्त्र आयुक्त को ऊपर दर्शाए अनुसार, जब मूल्य संशोधित किए गए हों तब प्रत्येक अवधि में एक बार प्रस्तुत करना होगा लेकिन जिस महीने में मूल्य संशोधित किए गए हों उसके बाद आने वाले महीने के दसवें दिन के बाद नहीं । जब मूल्य अवधि के दौरान निर्माता द्वारा पहली बार नई क्रम संख्या वाली किस्म लाई जाए, तो ऐसे वस्त्र के संबंध में फार्म ए में विवरण नई क्रम संख्या वाले ऐसे वस्त्र के परिचय के महीने के बाद आने वाले महीने के दसवें दिन या उससे पहले भेजे जायेंगे ।

फार्म—"ए"

मिल द्वारा निर्मित प्रत्येक किस्म के संबंध में वस्त्र आयुक्त को भेजे जाने वाले विवरण का फार्म ।

तिमाही के लिए मूल्य निर्धारण

मिल का नाम :—

स्थान :—

1. (क) वस्त्र पर अंकित मिल की क्रम सं० —

(ख) अनुलग्न के साथ कोड सं० यदि कोई हो :—

2. वस्त्र का पूर्ण विवरण (अन्तिम फिनिश्ड स्थिति में)

3. आयाम   करघा स्थिति   कैलेण्डर्ड और/या फिनिश्ड

(क) सेंटीमीटर में चौड़ाई

(ख) मीटर में लम्बाई

(ग) किलोग्राम में वजन

4. प्रति* इंच रीड (2.34 सें० मी०)

5. प्रति इंच पिक्स (2.54 सें० मी०)

6. औसत काउण्ट (अंग्रेजी काउण्ट)

7. सेंटीमीटर में रीड स्पेस

8. मीटर में टेप की लम्बाई

9. छोरों की संख्या : (एक) ताना   (क)   (ख)   (ग)
(दो) किनारी कोरा विरंजित रंगीन
(तीन) किनारा

10. सूत का वास्तविक वजन

विवरण	काउण्ट: फ्रेंच काउन्ट में	काउण्ट: समान अंग्रेजी में	छाजन को जोड़े बिना सूत का गणना वजन (वास्तविक)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
(क) ताना :				
(ख) बाना :				
(ग) किनारी/किनारा				
(घ) विशिष्ट सूत, यदि कोई प्रयुक्त किया हो				
(ङ) सम्मिश्र % (कपड़े में सब जगह) संमिश्रित शर्टिंग के संबंध में				

11. किनारी की चौड़ाई एवं निम्नलिखित सें० मी० एवं इंच में (साड़ियों एवं धोतियों के लिए)

12. यदि छपा हुआ वस्त्र हो, कृपया दर्शायें —
(एक) प्रयुक्त किए गए रंगों की संख्या ।
(दो) कपड़े के छपे हुए क्षेत्र का प्रतिशत

13. वस्त्र की पैकिंग के आरम्भ की तारीख ।

14. मूल्य गणना :

क्रम संख्या

कोड संख्या

विवरण :

(क) प्रति मीटर/प्रति नग अधिकतम एक्स–फेक्टरी मूल्य

(ख) प्रति मीटर/प्रति नग का फुटकर मूल्य

(ग) प्रति मीटर/प्रति नग उत्पादन शुल्क

(घ) अधिकतम उपभोक्ता मूल्य

(ख) पूर्णांकन पैसे में (जब मीटर के हिसाब से बेचा गया हो) या करीब 5 पैसे में पूर्णांकन (अभ्यास के हिसाब से बेचा गया हो)

स्थान : मिल प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर
दिनांक :

टी० रामचन्द्र राव
औद्योगिक सलाहकार
मिसिल सं० 2 (12)/86-मी एल बी

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1986

सं० 12 (104)/61-प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपति, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली के श्री पी० आर० मल्हन, निदेशक, ग्रेड-1 (रसायन) को, दिनांक 12-5-1986 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, इसी कार्यालय में औद्योगिक सलाहकार (रसायन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० ए-19018(754)/84-प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपति, श्री विनोद कुमार नन्दवाणी को दिनांक 6-5-1986 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक लघु उद्योग सेवा संस्थान गुवाहाटी के अधीन शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, डूरा में सहायक निदेशक ग्रेड-1 (खाद्य) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सी० सी० राय
उप निदेशक (प्रशासन)

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा ए-6 अनुभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 जून 1986

सं० ए-17011/319/86/ए-6—महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान) एतद्द्वारा निरीक्षण निदेशक कलकत्ता के कार्यालय में भंडार परीक्षक (इंजी०) श्री एम० एम० भट्टाचार्य को दिनांक 15 मई 1986 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक निरीक्षण निदेशक, बम्बई के कार्यालय में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० पी० शाही
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016 दिनांक 18 जून 1986

सं० 3564बी/16/वी० एस०/86/19ए—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक (हिन्दी) श्री विजय सिंह को हिन्दी अधिकारी के अस्थायी पद पर उसी विभाग में नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान के वेतन पर आगामी आदेश होने तक 12 मई, 86 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त कर रहे हैं।

अमित कुशारी
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

कलकत्ता-700016 दिनांक 19 जून 1986

सं० 3708बी/ए-19012(2-के०के० एम०)/19बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहायक भूभौतिकीविद श्री के० के० मुरलीधरन ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूभौतिकीविद के पद का कार्यभार त्यागपत्र पर 30-4-85 (अपराह्न) से छोड़ दिया।

सं० 3720बी/ए-19012(2-एस० आर०)85-19बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, श्री सगीना राम को सहायक भूभौतिकीविद के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो-40-1200 रु० के न्यूनतम वेतनमान में अस्थायी क्षमता में आगामी आदेश होने तक 17-4-86 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं।

दिनांक 20 जून 1986

सं० 3803बी/ए-32013(3-रसा० वरि०)/84-19बी—राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रसायनज्ञ (कनिष्ठ) श्री एस० चन्द्रा को रसायनज्ञ (वरिष्ठ) के रूप में उसी विभाग में नियमानुसार 1100-1600 रु० के वेतनमान के वेतन पर स्थानापन्न क्षमता में आगामी आदेश होने तक 2-5-86 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त कर रहे हैं।

सं० 3816बी/ए-32013(प्रशा० अधि०)/19ए—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित अधीक्षकों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उसी विभाग में नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान के वेतन पर अस्थायी क्षमता में आगामी आदेश

होने तक प्रत्येक के सामने दर्शायी गयी तिथि से पदोन्नति पर नियुक्त कर रहे हैं।

क्रमांक	नाम	नियुक्ति-तिथि
1.	श्री एन० आर० मुखर्जी	30-5-86 (पूर्वाह्न)
2.	श्री बी० एन० दत्त	30-5-86 (पूर्वाह्न)

दिनांक 23 जून 1986

सं० 3842बी/ए-19012(3-बी० एच० के०)/85-19बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक श्री बी० एच० खवास को सहायक रसायनज्ञ के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के न्यूनतम वेतनमान के वेतन में अस्थायी क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 15-5-1986 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं।

अमित कुशारी
निदेशक (कार्मिक)
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 20 जून 1986

सं० ए-19011(69)/86-स्था० ए०—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री आर० डी० नाईक खनिज अर्थशास्त्री को भारतीय खान ब्यूरो में स्थानापन्न रूप में अधीक्षक खनिज अर्थशास्त्री के पद पर दिनांक 2 जून 1986 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया गया।

जी० सी० शर्मा
सहायक प्रशासन अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो
कृते महानियंत्रक

आकाशवाणी महानिदेशालय

(सिविल निर्माण स्कन्ध)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1986

सं० ए-19012/27/84-सी० डब्ल्यू०-1—श्री हरबंस सिंह सहायक कार्य सर्वेक्षक (विद्युत) सिविल निर्माण स्कंध आकाशवाणी नई दिल्ली का 19-5-1986 को निधन हो गया है।

एस० के० महिन्द्रा
मुख्य इंजीनियर (सिविल) के इंजीनियरी अधिकारी
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 1986

सं० 4-3/73/प्रशासन-1/कें० स० स्वा० यो०-1—सेवा-निवृति की आयु हो जाने के फलस्वरूप वैद्य देसराज वर्मा ने 31 मार्च 1986 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अपराह्न दिल्ली में आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० एन० ठाकुर
उप निदेशक प्रशासन (कें० स० स्वा० यो०)

नई दिल्ली दिनांक 25 जून 1986

सं० ए० 12026/1/82-एम० (एफ० एण्ड एस०)—राष्ट्रपति ने श्री पी० राजेन्द्रन को 31 मई 1986 पूर्वाह्न जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में समाज-वैज्ञानिक के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

पी० के० घई
उप निदेशक प्रशासन (सी० एण्ड बी०)

कृषि मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 25 जून 1986

सं० ए०-31014/3/85-प्र०-1—निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने लिखी तारीख से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अधीन विपणन अधिकारी (वर्ग) के स्थाई पद पर मूल रूप से नियुक्त किया जाता है :—

सर्वश्री

1.	आर० सुब्रमण्यम	1-10-81
2.	एम० के० पी० मेनन	1-9-83
3.	टी० एम० करूनाकरन	1-9-83
4.	एस० सी० सरकार	1-9-83
5.	आर० नरसिम्हा	1-9-83
6.	वी० के० वर्मा	1-9-83
7.	एम० एल० कान्ता राव	1-9-83
8.	बी० बी० सरकार	1-9-83
9.	बी० डी० शेरकर (अ० ज० जा०)	1-9-83
10.	के० एन० घुंगरूधकर	1-9-83
11.	एम० चक्रवर्ती	1-9-
12.	हरप्रसाद (अ० जा०)	1-9-
13.	एच० डी० श्रीवास्तव	1-9-8
14.	एस० बी० चक्रवर्ती	1-9-83
15.	डी० पी० सिंह	1-9-83
16.	एम० वी० कृष्णमूर्ति	1-9-83
17.	पी० कुटम्बाराव	1-9-83

18. आर० पी० चतुर्वेदी . . 1-1-84

19. डा० सन्तलाल . . . 1-6-85

उपरोक्त अधिकारियों का विपणन अधिकारी (वर्ग-1) के पद पर स्थाई होने की तारीख से निचले पद पर उनका ग्रहणाधिकार यदि कोई है तो स्वतः ही समाप्त माना जाएगा।

अनीता चौधरी
कृषि विपणन सलाहकार
भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

निर्माण एवं सेवा वर्ग

बम्बई-400094, दिनांक 17 जून 1986

सं० सी० ई० डी०/ए०/2(16)--निदेशक निर्माण एवं सेवा वर्ग परमाणु ऊर्जा विभाग श्री वी० एन० जनार्दन, अस्थायी प्रवरण श्रेणी लिपिक, नि० एवं से० वर्ग को श्री वी० सी० मैथ्यू, सहायक कार्मिक अधिकारी, जिन्हें प्रशासन अधिकारी-II के रूप में पदोन्नत किया गया है, के स्थान पर तारीख 8-5-1986 पूर्वाह्न से तदर्थ सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० सी० ई० डी०/ए०/2(16)--निदेशक निर्माण एवं सेवा वर्ग, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री पी० सी० मैथ्यू अस्थायी सहायक कार्मिक अधिकारी नि० एवं से० वर्ग को श्री डी० एन० शेट्टी, प्रशासन अधिकारी-II, जिन्हें प्रशासन अधिकारी-III के रूप में पदोन्नत किया गया है, के स्थान पर तारीख 8-5-86 पूर्वाह्न से तदर्थ प्रशासन अधिकारी-II के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी० एन० शेट्टी,
प्रशासन अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

बम्बई-400 001, दिनांक 24 जून 1986

सं० क्रभंनि/41/1/85-प्रशा०/3360--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने क्रय सहायक, श्री के० एम० नाईक को इसी निदेशालय में दिनांक 5-5-86 (पूर्वाह्न) से 6-6-1986 (अपराह्न) तक 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। यह नियुक्ति श्री पी० बालसुब्रामणियम के स्थान पर की गई है जिन्हें उक्त अवधि के लिए क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया है।

बी० जी० कुलकर्णी,
प्रशासन अधिकारी

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद-500016, दिनांक 16 जून 1986

सं० पखप्र-8/1/86-भर्ती--निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी सहायक सुरक्षा अधिकारी श्री एम० एस० विश्वनाथम् को उसी प्रभाग में श्री एस० के० सराफ, सुरक्षा अधिकारी के छुट्टी पर जाने पर 2-6-1986 से 4-7-1986 तक तदर्थ रूप से स्थानापन्न सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

पी० एस० आर० मूर्ती
प्रशासन अधिकारी-II

तारापुर परमाणु बिजलीघर

टी.ए.पी.पी.-401 504, दिनांक 18 जून 1986

सं० टी० ए० पी० एस०/1/18(3)/77-आर०--मुख्य अधीक्षक, तारापुर परमाणु बिजलीघर, परमाणु ऊर्जा विभाग, स्थायी निम्न श्रेणी लिपिक और स्थानापन्न प्रवरण कोटि लिपिक श्री पी० एम० गोन्साल्विस को दिनांक 12-5-1986 के पूर्वाह्न से 12-6-1986 के अपराह्न तक के लिए तारापुर परमाणु बिजलीघर में तदर्थ आधार पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड (रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960) में एक अधिकारी के तौर पर नियुक्ति करते हैं, यह नियुक्ति श्री एम० एल० मालू, सहायक कार्मिक अधिकारी के स्थान पर की जा रही है जो छुट्टी पर गए हैं।

आर० जे० भाटिया
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

टी.ए.पी.पी.-401504, दिनांक 18 जून 1986

सं० टी० ए० पी० एस०/1/19(3)/76-आर०--मुख्य अधीक्षक, तारापुर परमाणु बिजलीघर, परमाणु ऊर्जा विभाग इस बिजलीघर में स्थायी सहायक लेखापाल श्री के० के० पुरुषोत्तमन् को दिनांक 12 मई, 1986 की पूर्वाह्न से 13 जून, 1986 तक के लिए इसी बिजलीघर में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के तौर पर नियुक्त करते हैं, यह नियुक्ति श्री जे० एम० पारीक, सहायक लेखा अधिकारी के स्थान पर की जा रही है जो छुट्टी पर गए हैं।

बी० पी० नाईक,
प्रशासनिक अधिकारी-III

अन्तरिक्ष विभाग

सिविल इंजीनियरी प्रभाग

बंगलोर-560 009, दिनांक 29 मई 1986

सं० 6/39/84-सी० ई० डी० (एच०)—मुख्य इंजीनियर, सिविल इंजीनियरी प्रभाग, अंतरिक्ष विभाग इस विभाग के

सिविल इंजीनियरी प्रभाग में श्रीमती लैला पाल जेम्स को इंजीनियर एस० बी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 23-1-1986 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 जून 1986

सं० 6/39/84-सी० ई० डी० (एच०)—मुख्य इंजीनियर, सिविल इंजीनियरी प्रभाग, अंतरिक्ष विभाग, श्री विजयानन्द बाबानागर को 2-5-86 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक अंतरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग में स्थानापन्न इंजीनियरी एस० बी० के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक, 16 जून 1986

सं० 6/39/84-सी० ई० डी० (एच०)—मुख्य इंजीनियर, सिविल इंजीनियरी प्रभाग, अंतरिक्ष विभाग, श्री एम० चन्द्रशेखर को 15-5-86 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक अंतरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग में स्थानापन्न इंजीनियर एम० बी० के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० इन्दिरा देवी,
प्रशासन अधिकारी-1
कृते मुख्य इंजीनियर

इन्सैट-1 प्रधान नियन्त्रण सुविधा

हसन-573201, दिनांक 18 जून 1986

सं० एम० सी० एफ० प्रशा० स्थापना—जी० एन० 029—परियोजना निदेशक, इन्सैट-1 अंतरिक्ष खण्ड परियोजना, अंतरिक्ष विभाग, कुमारी एच० शशीकला को इन्सैट-1 प्रधान नियन्त्रण सुविधा, हसन में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० बी० के पद पर 12 जून, 1986 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

वी० के० नायर,
प्रशासन अधिकारी-II
कृते परियोजना निदेशक

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

(मुख्यालय)

बंगलौर-560 009, दिनांक 23 जून 1986

सं० मुख्या-प्रशा० 4.20 (5)-4ए —सक्षम प्राधिकारियों ने, अंतरिक्ष विभाग/इसरो के केन्द्र/यूनिटों में निम्नलिखित कार्मिकों को, सहायक कैंटीन प्रबन्धक के स्थायी पदों पर नीचे बताए अनुसार स्थायी रूप में नियुक्त किया है :—

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम और केन्द्र/यूनिट जहां अब काम कर रहा है	वर्तमान पदनाम	सहायक कैंटीन प्रबंधक के रूप में स्थायी नियुक्ति की तारीख
1.	श्री स्टीफन सारो आइजक	सहायक कैंटीन प्रबंधक	6-2-1982
2.	श्री पी० पद्मनाभन नायर वि० सा० अ० के०	सहायक कैंटीन प्रबंधक	19-12-1984
3.	श्री पी० ए० राजन अ० उ० के०	सहायक कैंटीन प्रबंधक	6-2-1986

सं० मुख्य - प्रशा० 4.20 (5)-4ए—सक्षम प्राधिकारियों ने, अन्तरिक्ष विभाग/इसरो के केन्द्र/यूनिटों में निम्नलिखित कार्मिकों को, सहायक भण्डार अधिकारियों के स्थायी पदों पर नीचे बताए अनुसार स्थायी रूप में नियुक्त किया है - -

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम और केन्द्र/यूनिट जहां अब काम कर रहा है	वर्तमान पद	सहायक भंडार अधिकारी के रूप में स्थायी नियुक्ति की तारीख
1	2	4	5
	सर्वश्री		
1.	एन० एन० पाठक सी० ई० डी०/ अहमदाबाद	सहायक भण्डार अधिकारी	1-4-1978
2.	पी० एम० पाप्पचन् आइजेक	भण्डार अधिकारी-1	1-4-1978
3.	एस० सोमशेखरन नायर अ० उ० के०	भंडार अधिकारी-1	1-4-1978
4.	जी० नीलाम्बरन पिल्लै वि० सा० अं० के०	भंडार अधिकारी-1	12-12-1978
5.	वी० के० थामस वि० सा० अं० के०	भंडार अधिकारी-1	25-9-1979
6.	एस० श्री कुमारन नायर वि० सा० अं० के०	भंडार अधिकारी-1	31-12-1979
7.	एन० विजयनाथन नायर वि० सा० अं० के०	सहायक भण्डार अधिकारी	13-10-1983
8.	के० विजय कुमार शार	भंडार अधिकारी-1	15-10-1983

1	2	3	4
	सर्वश्री		
9.	के० के० गोपाल-कृष्णन नायर वि० सा० अं० के०	सहायक भण्डार अधिकारी	1-1-1985
10.	वाई० रामय्या अ० उ० के०	सहायक भण्डार अधिकारी	15-10-1983
11.	के० चन्द्रशेखरन नायर शार	सहायक भंडार अधिकारी	15-12-1985
12.	वाई० राजा राव शार	सहायक भंडार अधिकारी	15-12-1985

सं० मुख्य-प्रशा- 4.20(5)-4प—सक्षम प्राधिकारियों ने, अंतरिक्ष विभाग इसरो के केन्द्र/यूनिटों में निम्नलिखित कार्मिकों को, सहायक लेखा अधिकारियों के स्थायी पदों पर नीचे बताए अनुसार स्थायी रूप में नियुक्त किया है :—

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम तथा केन्द्र/यूनिट जहां अब काम कर रहा है।	वर्तमान पदनाम	सहायक भंडार लेखा अधिकारी के रूप में स्थायी नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	सी० के० नारायणन वि० सा० अं० के०	लेखा अधिकारी-I	1-4-1980
2.	बी० टी० देसाई अं० उ० के०	लेखा अधिकारी-I	22-4-1981
3.	ए० पद्मनाभन वि० सा० अं० के०	लेखा अधिकारी-I	26-5-1981
4.	के० जी० सोमनी अं० उ० के०	सहायक लेखा अधिकारी	6-10-1981
5.	ए० पी० रामन वि० सा० अं० के०	लेखा अधिकारी-I	13-11-1981
6.	एस० चन्द्रचूडन पिल्लै वि० सा० अं० के०	लेखा अधिकारी-I	28-11-1981
7.	आर० विश्वनाथम वि० सा० अं० के०	लेखा अधिकारी-I	4-4-1982
8.	आर० राजामणि मुख्या/दिल्ली	लेखा अधिकारी-I	15-4-1982
9.	के० रामु अं० ले० विंग	लेखा अधिकारी-I	15-4-1982
10.	ए० डी० गज्जार अं० उ० के०	लेखा अधिकारी-I	20-4-1982
11.	के० विजयकुमारन वि० सा० अं० के०	लेखा अधिकारी-I	21-4-1982
	सर्वश्री		
12.	एम० श्रीनिवास राव शार	लेखा अधिकारी-I	21-4-1982
13.	टी० रामलिंगेश्वर राव आइजेक	लेखा अधिकारी-I	21-4-1982
14.	एम० शेषाद्रि इन्सैट	लेखा अधिकारी-I	30-4-1982
15.	के० श्रीनिवासन आइजेक	लेखा अधिकारी-I	3-5-1984
16.	एन० प्रभाकरन नायर वि० सा० अं० के०	लेखा अधिकारी-I	3-5-1984
17.	आर० मुनिनर-सिंहय्या आइजेक	लेखा अधिकारी-I	3-5-1984
18.	श्रीमती एम० एन० तिरुवेन्गडु आइजेक	लेखा अधिकारी	3-5-1984
19.	एच० एस० सुब्ब-सुरामय्या सि० इ० प्र०	सहायक लेखा अधिकारी	3-5-1984
20.	पी० राजेन्द्रन वि० सा० अं० के०	सहायक लेखा अधिकारी	3-5-1984
21.	सी० के० केरलादासन वि० सा० अं० के०	सहायक लेखा अधिकारी	3-5-1984
22.	के० सुब्ब राव शार	लेखा अधिकारी-I	3-5-1984
23.	पी० सुकुमार पिल्लै वि० सा० अं० के०	सहायक लेखा अधिकारी	3-5-1984
24.	एस० श्रीनिवासन मुख्या/आर० एम० ए० पी०	सहायक लेखा अधिकारी	3-5-1984
25.	टी० आई० अब्रहाम वि० सा० अं० के०	सहायक लेखा अधिकारी	3-5-1984
26.	ए० सुधाकर राव सि० इ० डी०/शार	सहायक लेखा अधिकारी	3-5-1984
27.	एम० वी० श्री-निवास मूर्ति (सी० पी० आर० आई० में विदेश सेवा पर)	सहायक लेखा अधिकारी	16-7-1984
28.	के० बहुलेयन नायर वि० सा० अं० के०	सहायक लेखा अधिकारी	19-7-1984
29.	एन० बी० एन० शास्त्री शार	सहायक लेखा अधिकारी	30-7-1984
30.	एन० वी० अय्यर वि० सा० अं० के०	सहायक लेखा अधिकारी	8-8-1984
31.	के० भास्कर राव शार	सहायक लेखा अधिकारी	1-10-1984

सं० मुख्या. प्रशा. 4.20(5)—4ए—सक्षम प्राधिकारियों ने, अंतरिक्ष विभाग/इसरो के केन्द्र/यूनिटों में निम्नलिखित कार्मिकों को, सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के स्थायी पदों पर नीचे दिखाए अनुसार स्थायी रूप में नियुक्त किया है :—

क्रम० सं०	व्यक्ति का नाम तथा केन्द्र/यूनिट जहां अब काम कर रहा है	वर्तमान पदनाम	सहायक प्रशासन अधिकारी के रूप में स्थायी नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	श्रीमती सी० एन० सारदम्मा वि० सा० अ० के०	प्रशासन अधिकारी–I	1–4–1980
2.	आर० कृष्ण कामत सी० ई० प्र/शार	प्रशासन अधिकारी–II	1–4–1980
3.	टी० आर० एम० महादेवराव शार	प्रशासन अधिकारी–II	1–4–1980
4.	वी० करुणाकरन नायर प्र० नि० सु/इन्सैट	प्रशासन अधिकारी–II	1–4–1980
5.	ए० पी० गोपालन मुख्या०/बम्बई	प्रशासन अधिकारी–I	1–4–1980
6.	पी० एन० राजप्पा आइजेक	प्रशासन अधिकारी–I	1–4–1980
7.	एन० सुन्दरराजन वि० सा० अ० के०	प्रशासन अधिकारी–II	1–4–1980
8.	एम० पी० कुमारन इन्सैट	प्रशासन अधिकारी–	1–4–1980
9.	एल० के० एम० नायर वि० सा० अ० के०	प्रशासन अधिकारी–I	1–4–1980
10.	के० एम० जी० वारियर सि० इ० प्र०	प्रशासन अधिकारी–I	1–4–1980
11.	के० जी० के० नायर अं० उ० के०	प्रशासन अधिकारी–	1–4–1980
12.	एस० वेंकटाचलम वि० सा० अ० के०	सहायक प्रशासन अधिकारी	1–4–1980
13.	बी० विश्वनाथ पिल्लै वि० सा० अ० के०	प्रशासन अधिकारी–II	1–4–1980
14.	सी० एम० मणि आइजेक	प्रशासन अधिकारी–I	28–2–1981
15.	ओ० एम० एन० कुरूप शार	प्रशासन अधिकारी–I	19–4–1981
16.	एम० जी० आर० पिल्लै वि० सा० अ० के०	प्रशासन अधिकारी–I	6–5–1981
17.	वी० अर्जुनन् सी० इ० प्र०/ वि० सा० अ० के०	प्रशासन अधिकारी–I	18–9–1981
18.	के० सुकुमारन नायर एल० पी० एस० यू०	प्रशासन अधिकारी–I	19–9–1981
19.	श्रीमती आर० विजयम्माल वि० सा० अ० के०	सहायक प्रशासन अधिकारी	22–1–1982
	सर्वश्री		
20.	के० एन० एन० नम्बूदिरी एन० एन० आर० एम० एस०	सहायक प्रशासन अधिकारी	7–10–1983
21.	पी० आर० बालकृष्णन इन्सैट–II आइजेक	सहायक प्रशासन अधिकारी	1–1–1985
22.	पी० केशव राव शार	प्रशासन अधिकारी–I	14–3–1985
23.	एम० सेनगुप्त वि० भू० के०/ अं० उ० के०	सहायक प्रशासन अधिकारी	1–5–1985
24.	आर० रविकुमारन नायर वि० सा० अ० के०	सहायक प्रशासन अधिकारी	1–9–1985

दिनांक 24 जून 1986

सं० मुख्या. प्रशा. 4.20(5)—4ए—सक्षम प्राधिकारियों ने, अंतरिक्ष विभाग/इसरो के केन्द्र/यूनिटों में निम्नलिखित कार्मिकों को, सहायक क्रय अधिकारियों के स्थायी पदों पर नीचे बताये अनुसार स्थायी रूप में नियुक्त किया है :—

क्रम० सं०	व्यक्ति का नाम और केन्द्र/यूनिट जहां अब काम कर रहा है	वर्तमान पद	सहायक क्रय अधिकारी के रूप में स्थायी नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	एन० अप्पुकुट्टन नायर वि० सा० अ० के०	क्रय अधिकारी–I	1–1–1979
2.	ए० राबर्टसन एल० पी० एस० यू०	क्रय अधिकारी–I	1–1–1979

1	2	3	4
	सर्वश्री		
3.	के० वी० राघवाचारी आइजेक	क्रय अधिकारी–I	1–1–1979
4.	के० शिवानन्दन वि० सा० अ० के०	क्रय अधिकारी–II	1–1–1979
5.	के० जेम्स मेथ्यू वि० सा० अ० के०	क्रय अधिकारी–I	1–1–1979
6.	वी० एन० गोपालकृष्णन वि० सा० अ० के०	सहायक क्रय अधिकारी	1–1–1979
7.	के० आर० प्रभाकर आइजेक	सहायक क्रय अधिकारी	20–4–1980
8.	एम० एन० सदानन्दन वि० सा० अ० के०	क्रय अधिकारी–I	20–4–1980
9.	वी० विश्वनाथन वि० सा० अ० के०	क्रय अधिकारी–I	20–4–1980
10.	एस० बी० जयरामन नायर इस्ट्रैक	क्रय अधिकारी–I	20–4–1980
11.	सी० के० राजगोपाल आइजेक	क्रय अधिकारी–I	20–4–1980
12.	जार्ज जोसेफ वि० सा० अ० के०	सहायक क्रय अधिकारी	9–6–1981
13.	के० बाल कृष्णन आइजेक	क्रय अधिकारी–I	17–4–1983
14.	ए० एन० वैद्यया अ० उ० के०	क्रय अधिकारी–I	9–8–1983
15.	डी० एस० प्रकासम एल०पी०एस०यू०	सहायक क्रय अधिकारी	11–8–1985
16.	जान म्यात्यू वि० सा० अ० के०	सहायक क्रय अधिकारी	11–8–1985

एम० पी० आर० पणिक्कर
प्रधान, कार्मिक और सामान्य प्रशासन

बेंगलूर-560017, दिनांक 10 जून 1986

सं० 020/1(15.1)/86–स्थापना–I––इसरो उपग्रह केन्द्र के निदेशक अंतरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर के निम्नलिखित कर्मचारियों से प्राप्त त्याग पत्र को उनके नाम तथा पद पर दर्शाई गई तिथियों से स्वीकार करते हैं।

क्र० सं०	नाम	पद	त्याग पत्र स्वीकृत
1.	श्री सुरेश एल० बीलगी	वैज्ञानिक/अभियंता "एस० बी०"	23–4–1986 (अपराह्न)
2.	श्री आर० सी० अशोक कुमार	वैज्ञानिक/अभियंता "एस० बी०"	4–6–1986 (अपराह्न)

एच० एस० रामदास
प्रशासन अधिकारी–

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 1986

सं० ए० 32014/1/86–ई० सी०––महानिदेशक नागर विमानन निम्नलिखित तकनीकी सहायकों को उनके द्वारा उच्चतर पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31-3-86 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, 650–1,200 रुपये के वेतनमान में सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं और प्रत्येक के सामने दिये गये स्टेशन पर तैनात करते हैं :––

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती का स्टेशन	स्टेशन जिस पर तैनात किया गया	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	वी० के० भजाज	दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, राउरकेला	28–3–86 (पूर्वाह्न)
2.	एच० के० शर्मा	दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, सूरत	29–3–86 (अपराह्न)
3.	ए० अमृतराज	बंगलूर	वैमानिक संचार स्टेशन, बंगलूर	28–2–86 (पूर्वाह्न)
4.	आर० एस० मंगत	अमृतसर	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	20–3–86 (अपराह्न)
5.	आर० भास्करन	मद्रास	वैमानिक संचार स्टेशन, बंगलूर	30–3–86 (पूर्वाह्न)
6.	वी० एम० टोलवालकर	बम्बई	वैमानिक संचार स्टेशन, रत्नागिरी	30–3–86 (पूर्वाह्न)
7.	आई० एस० भसीन	रेडियो, निर्माण और विकास एकक	रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली	28–2–86 (पूर्वाह्न)
8.	यू० के० जैतले	महानिदेशक नागर विमानन (एस० टी० पी०)	वैमानिक संचार स्टेशन, गुवाहाटी	13–3–86 (अपराह्न)
9.	ए० के० पाल	कलकत्ता	क्षेत्रीय संचार नियंत्रक, कलकत्ता	28–2–86 (पूर्वाह्न)
10.	बलराज सरीन	अमृतसर	वैमानिक संचार स्टेशन, कोटा	30–3–86 (पूर्वाह्न)
11.	टी० के० दास	कलकत्ता	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता	5–3–86 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
12.	एम० पी० लाहिड़ी	कलकत्ता	वैमानिक संचार स्टेशन, कैला शहर	25-3-86 (पूर्वाह्न)
13.	के० जी० नायर	त्रिवेन्द्रम	वैमानिक संचार स्टेशन, त्रिवेन्द्रम	28-2-86 (अपराह्न)
14.	एस० कमलम/ श्रीमती	मद्रास	वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास	28-2-86 (पूर्वाह्न)
15.	टी० एन० रामचन्द्रन	मद्रास	वैमानिक संचार स्टेशन, विभाग	23-3-86 (अपराह्न)
16.	बी० डी० गुप्ता	कलकत्ता	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता	12-3-86 (पूर्वाह्न)
17.	जयंत बनर्जी	भुवनेश्वर	वैमानिक संचार स्टेशन, धनबाद	27-3-86 (पूर्वाह्न)
18.	एम० कृष्णन्	मद्रास	वैमानिक संचार स्टेशन, कुडडूपा	4-3-86 (पूर्वाह्न)
19.	एम० पी० अग्निहोत्री	भोपाल	वैमानिक संचार स्टेशन, भावनगर	30-3-86 (पूर्वाह्न)
20.	जगदीश प्रसाद	भोपाल	वैमानिक संचार स्टेशन, भोपाल	31-3-86 (पूर्वाह्न)
21.	श्यामल सूर	कलकत्ता	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता	17-3-86 (अपराह्न)

बी० जयचन्द्रन,
उप निदेशक (प्रशासन)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क समाहर्तालय
सीमा शुल्क/स्थापना विभाग

मद्रास-1, दिनांक 12 जून 1986

सं० एस० 2/1/86-स्थापना विभाग—श्री प्रमसिंग, श्री रामचन्द्र राव, श्री वी० सुब्बैया, श्री नमशिवायसे एण्ड श्री पी० षणमुगम् एम० जी० पी० श्री० मद्रास सीमा शुल्क, को स्थानापन्न रूप में अधीक्षक पद पर पदोन्नति दी जाती है और उन्होंने 13-3-1986, 13-3-1986, 15-4-1986, 13-3-1986 और 18-4-1986 पूर्वाह्न (क्रमश:) कार्यभार ग्रहण किया है।

आर० जयरामन
समाहर्ता
(सीमा शुल्क)

वडोदरा, दिनांक 24 जून 1986

सं० 15/1986—श्री बी० वी० दोषी, अधीक्षक (वर्ग "ख") केन्द्रीय उत्पादन और सीमा-शुल्क, मण्डल-4, वडोदरा दिनांक 5-6-1986 को 58 वर्ष के हो गये हैं। तदनुसार, वे दिनांक 30-6-1986 के अपराह्न में निर्वतन सेवा निवृत्त होंगे।

सं० 16/1986—श्री आर० बी० उपाध्याय, अधीक्षक (वर्ग "ख") केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क, मण्डल, वलसाड दिनांक 1-7-1986 के पूर्वाह्न में स्वैच्छिक रूप से सेवा से निवृत्त होने वाले हैं।

सं० 17/1986—श्री आर० जे० गैलत, अधीक्षक (वर्ग "ख") केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, वलसाड दिनांक 1-7-1986 के पूर्वाह्न में स्वैच्छिक रूप से सेवा से निवृत्त होने वाले हैं।

सं० 18/1986—श्री यू० के० मोहनानी, अधीक्षक (वर्ग "ख") केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क, वलसाड दिनांक 1-7-1986 के पूर्वाह्न में स्वैच्छिक रूप से सेवा से निवृत्त होने वाले हैं।

सं० 19/1986—श्री एम० पी० मुल, प्रशासनिक अधिकारी (वर्ग "ख") केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क (मुख्यालय) वडोदरा दिनांक 4-7-1986 के पूर्वाह्न में स्वैच्छिक रूप से निवृत्त होने वाले हैं।

श्रीमती वरालक्ष्मी राजमनिकम
समाहर्ता

निरीक्षण महानिदेशालय
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 1986

सं० 8/86—वार्धक्य के कारण सेवा निवृत्त होने पर श्री जी० ए० वागले ने, निरीक्षण महानिदेशालय, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बम्बई स्थित पश्चिमी प्रादेशिक एकक से दिनांक 31-5-86 (अपराह्न) को निरीक्षण अधिकारी ग्रुप "ख" के पद का कार्यभार त्याग दिया। [सी० सं० 1041/31/81]

एच० एम० सिंह
निरीक्षण महानिदेशक

कलकत्ता, दिनांक 29 मई 1986

विषय :—अधीक्षक ग्रेड "बी" में पदोन्नति, स्थानान्तरण एवं पदस्थापना।

1. पदोन्नति

सं० 132/86—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, कलकत्ता I/II/बोलपुर के सम्मिलित संवर्ग के निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक पदोन्नति के उपरान्त इसके द्वारा अन्तिम रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, ग्रेड "बी" के रूप में नियुक्त किए जाते हैं जिनका वेतनमान रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- के साथ नियमानुसार सामान्य मान्य भत्ता उच्च पद (अधीक्षक, के० उ० शु०, ग्रेड "बी") का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगा। अन्य आदेश आने तक उनकी पदस्थापना निम्न प्रकार होगी।

क्र० सं०	नाम	वर्तमान पदस्थापना
	सर्वश्री	
1.	देवेन्द्र कुमार दास (सिन्हा)	कलकत्ता–II समाहर्तालय
2.	जहरलाल घोषाल	कलकत्ता–II समाहर्तालय
3.	अशित चन्द्र बसु राय चौधरी	कलकत्ता–II समाहर्तालय
4.	अनाथ बन्धु दे	कलकत्ता–I समाहर्तालय
5.	पवित्र नारायण सेनगुप्ता	—वही—
6.	भूपेन्द्र नाथ नाथ	—वही—
7.	द्विपेन्द्र नाथ मुखर्जी	—वही—
8.	रथिन्द्र नाथ कर	—वही—

ऊपर लिखित पदोन्नति अधिकारी को चेतावनी दी जाती है ग्रेड "बी" में उनकी नियुक्ति पूर्णत अस्थाई है और सीधी भर्ती या अन्य अधिकारियों के लिए निर्धारित पद पुनरीक्षण/परिवर्तन योग्य है जिसके आवंटन का निर्णय सरकार अन्तिम रूप से ले सकती है। दूसरे शब्दों में अनन्तिम रूप से पदोन्नति अधिकारी को गृह मंत्रालय के आदेश सं० 9/1/55-एम० आर० पी० एस० दिनांक 22–12–59 के निदेशानुसार सीधी भर्ती के अधिकारी के साथ रोस्टर में लाया जायेगा (जब वे उपलब्ध होंगे) और जब वे स्थापना के लिए अधिक होंगे तब उन्हें वापस लौटा दिया जायेगा।

उनकी पदोन्नति श्री गौर कुमार दे, निरीक्षक (एम० जी०) द्वारा दायर की गई 1984 की रिट याचिका सी० आर० सं० 8496 (डब्ल्यू) के अन्तिम निर्णय के अनुसार होगी और अवमानना आवेदन के आदेशानुसार एक पद रिक्त रखा गया है।

यह पदोन्नति श्री एस० आर० दत्त शर्मा, निरीक्षक और अन्य द्वारा आरक्षण पर फाईल की गई रिट याचिका के अन्तिम निर्णय पर भी निर्भर करेगी।

II. स्थानान्तरण एवं पदस्थापना

निम्नलिखित स्थानान्तरण एवं पदस्थापना अन्य आदेश आने तक इसके द्वारा तत्काल लागू की जाती है :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति/स्थानान्तरण के बाद पदस्थापन
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	देवेन्द्र कुमार दास (सिन्हा)	खरद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमण्डल, कल०–II समा०	बोलपुर के० उ० शु० समा०
2.	जहरलाल घोषाल	हावड़ा नार्थ प्रमण्डल कल०–II समा०	—वही—
3.	अशित चन्द्र बसु राय चौधुरी	क्षमदम प्रमण्डल कल०–II समा०	—वही—
4.	अनाथ बन्धु दे	आन्तरिक लेखा परीक्षा, कल०–I समा०	—वही—
5.	पवित्र नारायण सेनगुप्ता	—वही—	कलकत्ता–II समा०
6.	भूपेन्द्र नाथ नाथ	कल० "ई" प्रमण्डल कल–1 समा०	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल०–II समा०
7.	द्विपेन्द्र नाथ मुखर्जी	कल० "एच" प्रमण्डल कल०–1 समा०	बोलपुर समाह०
8.	रथिन्द्र नाथ कर	कल० "ए" प्रमण्डल कल०–1 समा०	के० उ० शु०, कल०–II समा०
9.	एन० सी० मुन्सी	दुर्गापुर के उ० शु० प्रम०, बोलपुर समा०	के० उ० शु०, कल०–II समा०
10.	पी० एम० रय	आसनसोल के० उ० शु० प्रम०, बोलपुर समा०	के० उ० शु०, कल–II समा०
11.	ए० के० दे	बोलपुर के० उ० शु० समाहर्तालय	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल०–I समाहर्तालय
12.	एम० के० घोष	—वही—	—वही—
13.	सुपती मजुमदार	—वही—	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल०– समा०
14.	एम० एम० पाल	सी० इ० जी० ए० टी० में प्रति-नियुक्ति के समापन पर मुख्यालय में शामिल होने पर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल०–1 समा०

पदोन्नति/स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा अधीक्षक ग्रुप "बी" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के साथ कार्यभार स्थानान्तरण प्रमाणपत्र की प्रति उप समाहर्ता (का० एवं स्था०), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कलकत्ता–I/II बोलपुर को प्रेषित किया जाए।

समाहर्ता, कलकत्ता-II/बोलपुर, अधिकारियों के पदस्थापना संबंधी निश्चित आदेश अपने-अपने समाहर्तालय में पुनः जारी करेंगे।

गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ़० 7/1/80/स्था०/पार्ट-1 दिनांक 26-9-81 के अनुसार अपने वेतन नियतन के संबंध में पदोन्नति अधिकारी अधिकारी पदोन्नति तिथि से एक माह के अन्दर अपना आशय प्रकट करेंगे।

स्थानीय व्यवस्था करके अधिकारी को शीघ्र कार्यमुक्त करें।

सी० भुजंगस्वामी
प्रधान समाहर्ता
सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
कलकत्ता

इलाहाबाद, दिनांक 26 जून 1986

सं० प० क्र० II(3)103-स्था०/85/487—समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इलाहाबाद ने निम्नलिखित निरीक्षकों (सेलेक्शन ग्रेड) को वर्ष 1984 एवं 1985 में उनके नाम के सामने दर्शाई तिथि से अधीक्षक, ग्रुप 'बी' के पद पर नियुक्त किया है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री :	
1.	श्री कान्त अस्थाना	8-8-1984
2.	हरिहर राय	11-9-1984
3.	ए० के० घटक	15-8-1984
4.	अजीत कुमार बागची	4-6-1984
5.	के० एल० श्रीवास्तव	17-7-1984
6.	मो० अतर रजा	31-7-1984
7.	कामता प्रसाद गुप्ता	5-9-1984
8.	जगजीवन बक्स सिंह	15-12-1984
9.	राम जीवन पांडेय	1-2-1985
10.	कृष्ण कुमार शुक्ला	21-1-1985
11.	विष्णु स्वरूप श्रीवास्तव	28-1-1985
12.	बच्चई लाल (एस० सी०)	4-2-1985
13.	राम राज हरिजन (एस० सी०)	18-4-1985
14.	सीता राम (एस० सी०)	11-6-1985
15.	के० सी० सक्सेना	28-8-1985
16.	एस० पी० सिंह	28-8-1985
17.	बी० आर० डे	4-9-1985
18.	बी० के० श्रीवास्तव	10-1-1985
19.	घनश्याम सिंह	8-10-1985
20.	एस० सी० गुप्ता	21-2-1986

प० क्र० 11(3)103-स्था०/85/487—समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इलाहाबाद ने निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को वर्ष 1984 एवं 85 में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रशासन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
	सर्वश्री	
1.	श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव	6-7-1984
2.	ए० के० कार	21-2-1986

परवीन तलया,
उप समाहर्ता (का० एवं स्था०)

उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी रजिस्ट्री का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और अमेदर एक्सपोरटस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक 23 जून 1986

सं० 2410/560/86-87—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस दिनांक से तीन मास के अवसान पर अमेदर एक्सपोरटस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और अठीयन्तादी कन्सट्रक्शन सर्विसेस कम्पनी प्रा० लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक 23 जून 1986

सं० 5736/560/86—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस दिनांक से तीन मास के अवसान पर अठीयन्तादी कन्सट्रक्शन सर्विसेस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जे० के० रमणी,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना-1

पूना, दिनांक 28 मई 1986

निदेश सं॰ 37जी/483/85-86---यतः मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ है तथा जो श्रीवर्धन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सब रजिस्ट्रार में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक नवम्बर 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वर्धन आईस फैक्टरी
जीवना बन्दर जि श्रीवर्धन जि॰ रायगढ़।
(अन्तरक)

(2) ग्लोरियस एण्टरप्राइजेस
ए-6, एवरेस्ट टारदेव बम्बई।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि रजिस्ट्रीकृत क्र॰ 37जी/483/85-86 जो नवम्बर 85 को सब रजिस्ट्रार श्रीवर्धन के आफिस में लिखा गया है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 28-5-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 जून 1986

निदेश सं० 48799/85-86--यतः मुझे, आर० भारद्वाज, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 16 है, तथा जो जयमहा रोड जय महा एक्स्टेनशन बेंगलूर-46 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-10-1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जान सामुयल लूतर
5/14, मिलटन स्ट्रीट,
कुक्स टौन बेंगलूर-560005
(अन्तरक)

(2) मेसर्स सिनेरमा प्राइवेट लिमिटेड
संतोष सिनेमा काम्पलेक्स
के० जी० सरकल, बेंगलूर-9
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2087/85-86 दिनांक 28-10-85)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० 10 जो जयमहल रोड, जयमहल एक्सटेंशन बेंगलूर-46 में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक: 9-6-1986
मोहर]

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 जून 1986

निदेश सं० 48800/85-86—यत: मुझे, आर० भारद्वाज, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० 3/1 है, तथा जो 1 ए मैन रोड, गंगेनहल्ली, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-10-85,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डाक्टर एम० अश्वत्थ्या
काडुगोडी बिदराहल्ली होब्ली
होसकोटे तालुक।

(अन्तरक)

(2) श्री एन० जगथन्नाथन,
3/1, I ए० मैन रोड़,
गंगेनहल्ली एक्सटेंशन
बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2664/85-86 दिनांक 24-10-85)
सब सम्पत्ति है, जिसकी सं० 3/1 जो Iए मैन रोड़ गंगेनहल्ली बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 9-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1986

निदेश सं० आर–1861/85–86––यतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० एल–बी 8 से एल-बि 14, एल-एम, एल–ए, एल–सि० 3 और एल–सी–4 है, तथा जो कसबा बाजार विलेज, मंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंगलूर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 28–10–1985, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) पूंजा आरकेड,
के० एम० राव रोड़,
मंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री संजीवा नारना शेट्टी और
श्री दिनेश एल्लाप्पा शेट्टी,
2. दक्षिण एस्टेट, मन्नावेडु विलेज,
किन्निगोलि, मंगलूर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1617/85 ता० 28–10–86)

सम्पत्ति है, जिसकी सं० एल–बी 8 से एल–बी 14, एल–ए3, एल–एम, एल–सी3 और एल–सी–4, जो, कसबा बाजार विलेज, 13 वार्ड, मंगलूर, में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर ।

दिनांक : 4–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बंगलूर

बंगलूर दिनांक 4 जून, 86

निदेश सं० 1122/86-अतः-मुझे आर० भारद्वाज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 293-1 पि, 309-पि, 294 से 300-पि, 312(416/313) 313(415/313 वि), 308/पि, 308/पि, 307 है तथा जो देवरुन्द्रा विलेज गोपीबीर होबलि मुडिगेरे तालुक म स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजि: स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मडिगेरे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-1-86 मडिगेरे

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1 पी० आर० एम० एल० आर० एम० रामनाथन —आर० एम० गणपति चेट्टियार जगिरखान एसटेट मुडिगेरे तालुक (2). आर० एम० रामनाथन-सेतुरामन नचन्दु पट्टि पुदुकोटा तमिलनाडु (3). पी० एल० एम० वि० वेंकटाचलम चेट्टियार, वीरथिटै पुदुकोटै तमिले नाडु डिस्ट्रिक्ट (4) श्रीमती वि० मुनुकरुप्पि अयि, नं० 3 वीरापिलै पुदुकोटै तमिलनाडु ।

(अन्तरक)

(2) श्री पी० स्कावियर फ़रनानडिस,
आर्या समाज रोड़,
मंगलर बै प्रतिनिधि —श्री क्टान्ले हेरोल्ड लोबो,
55, वीलर रोड़ II क्रास बेंगलूर—5 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति है: जिसकी सं० 293-1पी, 309-पि, 294 से 299, 300-पी, 416/313: 415/313बि० 308-पी. 308-पी, 308पी जो देवरुन्द्रा विलेज, मुडिगर तालुक: में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 4-6-1986
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 जून 1986

निदेश सं० एम० डी० 1/86-87—अतः मुझे, एच० आर० दास

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो बेरल हाउस मसूरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-10-86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती गुरन देवी 2. श्रीमती सरोज कुमारी 3. श्रीमती बीना बब्बर 4. रमेश चन्द्र गलहोत्रा द्वारा गुरान एसोसिएट फ़ाज़िल्का पंजाब
(अन्तरक)

(2) मैं० सरस्वती ट्रेडर्स द्वारा किशनलाल एवं आर० के० कोहली शेर सिंह प्लेस जी० टी० रोड गाजियाबाद ।
(अन्तरिती)

(3) उपरोक्त
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) उपरोक्त
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की जिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जो लेटल हाउस के नाम से ग्रांन्ट लेन कुरली मसूरी में स्थित है)

एच० आर० दास
सक्षम प्राधिकारी
[सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 4-6-1986
मोहर :

4—156GI/86

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 जून 1986

निदेश सं० एम० डी० 376/85-86--अतः मुझे, एच० आर० दास

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० ----है तथा जो दिमाल मसूरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-10-1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री किशनलाल—बी—12 मजलिस पार्क नई दिल्ली
2. श्री कश्मीरी लाल पैराडाइज बिल्डिंग 100/1 जी० टी० रोड करनाल।
3. श्री कुमुद लाल बी०—12 मजलिस पार्क नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री एस० आर० नरूला
द्वारा सन्दीप ग्राफ़िक प्रा० लि०
23—कम्युनिटी सेन्टर मायापुरी
नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

होटल पैराडाइज कान्टीनेन्टल दि माल मसूरी।

एच० आर० दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 4-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 जून 1986

निदेश सं० के-349/85-86—अतः मुझे, एच० आर० दास

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० ब्लाक सं० 7 है तथा जो नवशील अपार्टमेंट कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-10-1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० के० भर्तिया एवं अन्य
56 कन्टोनमेंट कानपुर।

(अन्तरक)

(2) इण्डियन एक्सप्लोसिव लि०
34 चौरंघी रोड, कलकत्ता।

(अन्तरिती)

(3) क्रेतागण

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) क्रेतागण

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ब्लाक सं० 7
नवशील अपार्टमेंट्स कन्टोनमेंट कानपुर।

एच० आर० दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 6-6-86

मोहर :

प्रारूप आई. डी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 जून 1986

निर्देश सं० एम० 1085/86-87—अतः मुझे, एच० आर० दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० — है तथा जो सदुल्लाबाद, गाजियाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके क्रयमान प्रतिफल से ऐसे क्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब,, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगमाल सिंह पुत्र श्री तिरखा
नि० सदुल्लाबाद लौनी, गाजियाबाद ।
(अन्तरक)

(2) श्री लक्ष्मी नारायन गुप्ता द्वारा मे० डी० एल० एफ० होटल्स लि० नरेन्द्रा प्लेस
संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

(3) तथैव
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) तथैव (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ग्राम—सदुल्लाबाद परगना लौनी, गाजियाबाद ।

एच० आर० दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 6-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 जून 1986

निर्देश सं० एम० 1086/86-87—यतः, मुझे, एच० आर० दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० —है तथा जो बहटाहाजीपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 14-10-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कबूल व खजान पुत्र श्री केवल
नि० बहटाहाजीपुर लोनी, गाजियाबाद ।
(अन्तरक)

(2) मे० उत्तरांचल बिहार सहकारी आवास समिति लि०, गाजियाबाद द्वारा अध्यक्ष श्री के० एस० नेगी ।
(अन्तरिती)

(3) तथैव
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(2) तथैव
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ग्राम—बहटाहाजीपुर, परगना लोनी, गाजियाबाद ।

एच० आर० दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 6-6-1986
मोहर ।

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 जून 1986

निर्देश सं० 1/अक्तूबर 85—अतः मुझे, आर० जानकीरामन्,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० सं० 85 (डी० एस० सं० 423) है तथा जो नुंगम्बाक्कम् मद्रास में स्थित है (और इससे अनुबन्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, थौसन्डलैट्स) लेख सं० 506/85 में रजिस्ट्रीकरण भारतीय अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी० वी० जगदीशन्। (अन्तरक)

(2) श्री राजेशकुमार और अन्यों। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान— आर० एस० सं० 85 (डी० एस० सं० 423), नुंगम्बाक्कम् मद्रास, थौसन्डलैट्स लेख सं० 506/85।

आर० जानकिरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षीय)
अर्जन रेंज-II (आई/सी)
मद्रास-6

दिनांक : 3-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 जून 1986

निर्देश सं० 2/अक्तूबर 1985—अत: मुझे, श्री आर० जानकीरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० सं० 132/2, ब्लाक सं० 21, है, जो नुगम्बाक्कम् गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, थौसन्डलैटम लेख सं० 501/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच उसे, अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० एस० ईश्वर अय्यर और अन्यों

(अन्तरक)

(2) श्रीमती भगवती नियानि और अन्यों
2, मेसर्स नियानि ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि आर० एस० सं० 132/2, नुगम्बाक्कम् मद्रास थौसन्डलैट्स/लेख सं० 501/85।

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II (आई/सी (मद्रास

दिनांक : 4-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई° टी° एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 जून 1986

निदेश सं० 6/अक्तूबर 1985—अत: मुझे, आर० जानकीरामन्

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ठाठाबाद् 11/85 टी० एस० 666 है जो पुराना सं० 55 कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कयम्बतूर लेख सं० 4635/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एन० वी० पार्वती की पावर एजेन्ट पी० नटराज (अन्तरक)

(2) श्री शिवलिंगम् और त्यागराजन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—नयी सं० 11/85—टी० एस० सं० 666, टाटाबाद्. कोयम्बतूर ; कोयम्बतूर लेख सं० 4635/85।

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–II, मद्रास

दिनांक : 4–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 जून 1986

निदेश सं० 7/अक्तूबर 1985—अत: मुझे, आर० जानकीरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मेट्टुपालयम नडागमएक्सटेंशन है, जो आर० एस० पुरम, कोयम्बत्तूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बत्तूर लेख सं० 4338/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एन० के० हुसैन (अन्तरक)

(2) श्री वी० आनन्द । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान–आर० एस० पुरम्–पूरब तिरवेंकट सामि रोड ब्लाक सं० 14, सैठ सं० 34, कोयम्बत्तूर–कोयम्बत्तूर लेख सं० 4338/85।

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II (आई/सी) मद्रास–6

दिनांक : 4–6–1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० 11/अक्तूबर 1985—अतः मुझे, श्री आर० जानकीरामन्

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० आर० एस० सं० 3666/डोर सं० 61, सर० सी० पी० रामसामि है, जो अय्यर रोड, मैलापुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास सेण्ट्रल लेख सं० 1020/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० आर० सुब्रमणियम् और 4 अन्यों (अन्तरक)

(2) मेसर्स राशि एक्सपोर्टस् प्राइवेट लिमिटेड मानेजिंग डाइरेक्टर आर० बालकुमार (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान —61 सर० सी० पी० रामसामी अय्यर रोड, मद्रास सेण्ट्रल लेख सं० 1020/85, मद्रास।

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–II, मद्रास-6

दिनांक : 3-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० 12/अक्तूबर 1985—अत: मुझे, श्री आर० जानकीरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 13, न्यू सं० 12, गौड़िया मठ रोड, है, जो रायपेट्टा, मद्रास-14 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर लेख सं० 1367/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सरोज भाटिया

(अन्तरक)

(2) श्री एम० एम० हैजा नाथिया और अन्यों

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान सं० 12 गौडिय मठ रोड आर० एस० सं० 382, ब्लाक सं०-8 रायपेट्टा, मद्रास-14 मैलापुर/लेख सं० 1367/85

आर० जानकीरामन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

दिनांक : 3-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० 13/अक्तूबर 1985—अतः मुझे, श्री आर० जानकीरामन,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 15 पूरब एवेन्यू के० पी० पुरम है, जो मद्रास 28 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापूर लेख सं० 1394/85, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एस० चंपकम

(अन्तरक)

(2) मेसर्स शिवानंद स्टील्स लिमिटेड की० मनेजिंग डाइरेकटर श्री पी० कृष्णमूर्ति

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—15 पूरब एवेन्यू—के० पी० पुरम मद्रास—8।

मैलापुर लेख सं० 1394/85।

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II मद्रास

दिनांक : 3-6-86

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 जून 1986

निर्देश सं॰ 14/अक्तुबर 1985——अतः मुझे, श्री आर॰ जानकीरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ 1, डाक्टर राधा कृष्णन शालै है, जो मैलापुर–मद्रास–4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर लेख सं॰ 1414/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तुबर 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या,

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) श्रीमती पी॰ आर॰ पुष्पवल्ली और 4 अन्यों (अन्तरक)

(2) श्रीमती ओसाराय और 3 अन्यों (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान 1, डाक्टर राधा कृष्णन शालै मैलापुर मद्रास–4 मैलापुर लेख सं॰ 1414/85,

आर॰ जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज– '(आई/सी) मद्रास–6

दिनांक : 4–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 जून 1986

निर्देश सं० 15/अक्तूबर 1985—अतः मुझे श्री आर० जानकीरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 15, प्लाट सं० 4 बेसन्ट एवेन्यू है, जो एलियट्स बीच रोड मद्रास-20 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अडयार लेख सं० 2732/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जया नटराजन

(अन्तरक)

(2) श्रीमती एस० थम्पकम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा** अधोहस्ताक्षरी के पास **लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—15 बेसन्ट एवेन्यू एलियट्स बीच रोड मद्रास-20 अडयार. लेख सं० 2732/85।

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II मद्रास

दिनांक : 4-6-1986

मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय; सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज– मद्रास

मद्रास दिनांक 4 जून 1986

निर्देश सं० 16/अक्तूबर 1985––अतः मुझे, श्री आर० जानकीरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 129, पुराना सं० 134, हबीबुल्ला रोड, है, जो टी० नगर मद्रास–17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी० नगर लेख सं० 1173/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती टी० आर० राजकुमारी

(अन्तरक)

(2) श्री के० वी० सदानंदन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:––इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान डोर सं० 129, पुराना सं० 134 हबीबुल्ला रोड, टी० नगर मद्रास–17 टी० नगर लेख सं० 1173/-85 ।

आर० जानकीरामन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II (आई/सी) मद्रास–6

दिनांक : 4–6–1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई दिनांक 11 जून 1986

निदेश सं० अई-3/37-ईई/25362/85-86--अतः मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) **(जिसे इसमें इसके** पश्चात् 'उक्त अधिनियम' **कहा गया है), की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है** कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 7, सर्वे सं० 161 (अंश), विलेज मौजे पहाड़ी, गोरेगांव के पास, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 1-10-1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा-269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री सुधीर कांतीलाल जसानी ।

(अन्तरक)

(2) श्री सेजल कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लि० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधी, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट सं० 7, सर्वे सं० 161 (अंश), विलेज मौजे पहाड़ी, गोरेगांव के पास, बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-3/37-ईई/25362/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 11-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 जून 1986

निदेश सं० अई-3/37-ईई/25383/85-86—अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 9, सर्वे सं० 161 (अंश), विलेज मौजे पहाड़ी, गोरेगांव के पास, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 1-10-1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

6—156GI/86

(1) श्री सिधार्थ आनंदलाल जसानी ।

(अन्तरक)

(2) श्री. रंजना कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लि० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप हो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० 9, सर्वे सं० 161 (अंश), विलेज मौजे पहाडी गोरेगांव के पास, बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-3/37-ईई/25383/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी,बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 11-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० अई-3/37ईई/25290/85-86—अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन का हिस्सा, जो, विलेज घाटकोपर, तालुका कुर्ला, सर्वे सं० 220, एच० सं० 2 (अंश) घाटकोपर, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 1-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लाल कृष्ण गणपत सडेकर ।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स गुंजन कारपोरेशन ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का हिस्सा, जो, विलेज घाटकोपर तालुका कुर्ला, सर्वे सं० 220, एच० सं० 2 (अंश), घाटकोपर, बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-3/37-ईई/25290/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 5-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० अई-3/37-ईई/25295/85-86—अत: मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 31 जो 3री मंजिल, कैलाश ज्योती इमारत नं० 2, देरासर लेन घाटकोपर (पूर्व) बम्बई 77 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 1-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) हनुभाई एम० पटेल।

(अन्तरक)

(2) जस्मीन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 31, जो 3री मंजिल कैलाश ज्योती इमारत/ नं० 2, देरासर लेन, घाटकोपर (पूर्व) बम्बई—77 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-3/37-ईई/25295/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनां/ 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 5-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 जून 1986

निर्देश सं० अई-3/37-ईई/25315/85-86---अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सम्पत्ति जिसका सर्वे नं० 60 (अंश) सर्वे नं० 17 एच० 3 सी० टी० एस० नं० 553, 553 (1 से 12) व्हिलेज वालनाय मार्वे रोड, मालाड (प) बम्बई-64 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। दिनांक 1-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नोशिर कुवर जी इंजीनियर।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रफुल डी० शाह और अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जिसका सर्वे नं० 60 (अंश) सर्वे नं० 17 एच० 3 सी० टी० एस० नं० 553 (1 से 12) व्हिलेज वालनाय; मार्वे रोड, मालाड (प) बम्बई-64 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-3/37-ईई/25315/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 11-6-1986

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० अई-3/37-ईई/25244/85-86—अत: मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन का हिस्सा जो व्हिलेज देवनार, तालूका साउथ सालसाटे, सर्वे नं० 22, एच० नं० 1, एस० नं० 63, एच० नं० 2, सर्वे नं० 24, एच नं० 13, गोवंडी स्टेशन रोड के पास देवनार, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 1-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री [illegible] बसप्पा टिपन्ना इंदी और अन्य।
(अन्तरक)

(2) मेसर्स सुबोध कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लि०।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का हिस्सा जो व्हिलेज देवनार तालूका साल सेटटे, सर्वे नं० 22, 23 और 24, एच० नं० 1, 2 और 13, सी० टी० एस० नं० 402, (अंश) 402/2 और 402/3 देवनार बम्बई-88 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० अई-3/37-ईई/25244/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 जून 1986

निर्देश सं० अई-3/37-ईई/24849/85-86—अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट जिसका सी० टी० एस० नं० 5407 से 5411 और प्लाट बी० जोशी लेन घाटकोपर (पूर्व) बम्बई-77 में स्थित है।

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, दिनांक 1-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणजीत लक्ष्मीदास मेरचन्द और अन्य (अन्तरक)

(2) मेसर्स वल्लभ कन्स्ट्रक्शन्स कम्पनी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जिसका सी० टी० एस० नं० 5407 से 5411 और प्लाट बी० जोशी लेन घाटकोपर (पूर्व) बम्बई-77 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० स० अई-3/37-ईई/24849/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 11-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई दिनांक 11 जून 1986

निदेश सं० अई-3/37-ईई/25387/85-86--अतः मुझे ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० 13 सर्वे नं० 161 (अंश) व्हिलेज मौजे पहाड़ी, गोरेगांव के पास बम्बई में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई में स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है। दिनांक 1-10-1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री अविनाश त्रिभुवनदास मणियार।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स श्री सेजल कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लि०।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 13 सर्वे नं० 161 (अंश) व्हिलेज मौजे पहाड़ी, गोरेगांव के पास बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-3/37-ईई/25387/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक: 11-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० अई–3/37–ईई/24838/85–86—अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन का हिस्सा जो बोर्ला प्लाट नं० 23 तालूका कुर्ला बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। दिनांक 1–10–1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा ग्राह्य नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विष्णु आर० सोहोनी।

(अन्तरक)

(2) श्री भूपत रतीलाल शहा।

(अन्तरिती)

२. यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का हिस्सा जो बोर्ला प्लाट नं० 23 तालूका कुर्ला, पाटील, रोड, कुर्ला बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई–3/37–ईई/24838/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1–10–1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, बम्बई

दिनांक : 5–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं॰ अई-3/37-ईई/25527/85-86--अतः मुझे, ए॰ प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ जमीन का हिस्सा जो स्ट्रकचर्स के साथ विद्याविहार खोटी व्हिलेज, किरोल सीटी सर्वे नं॰ 448/1, से 448/6, विधाविहार बम्बई में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), और जिसक करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। दिनांक 1-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सावित्री बाई जी॰ ठक्कर और अन्य।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स राजपाल कान्स्ट्रक शन्स कंपनी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का हिस्सा जो स्ट्रकचर्स के साथ विधाविहार खोटी व्हिलेज, सर्वे नं॰ 92, एच॰ नं॰ 3 (अंश), प्लाट नं॰ 4, सीटी सर्वे नं॰ 448/1 से 448/6, घाटकोपर बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र॰ सं॰ अई-3/37-ईई/25527 85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए॰ प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक :-5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० अई-3/37-ईई/25710/85-86--अतः मुझे, ए० प्रसाद आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सम्पत्ति (जमीन) जो वालनाय व्हिलेज, ओर्लेम सर्वे नं. 41/3 सी० टी० एस० नं० 204, 207 और 211, मालाड (प), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। दिनांक 1-10-1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स श्री राम कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लि०।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती एम० ए० अग्रवाल
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जमीन जो व्हिलेज, वालनाय, ओर्लेम सर्वे नं० 41/3, और सी० टी० एस० नं० 204, 207, 211, मालाड (प), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० अई-3/37-ईई/25710/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक :—5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० अई-3/37–ईई/25382/85–86––अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन जिसका सर्वे नं० 4/4, सी० टी० एस० नं० 28, सर्वे नं० 58/4, सी० टी० एस० नं० 53, और सर्वे नं० 81, (अंश), और सी० टी० एस० नं० 53–3, व्हिलेज, वालनाय, तालूका बोरिवली में मार्वे रोड, मालाड बम्बई–64 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है ।

दिनांक : 1-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्री लुईस पास्कोल डिमेलो।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स विजय कार्पोरेशन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सर्वे नं 4/4, सी० टी० एस० नं० 27 सर्वे नं० 58/5, सी० टी० एस० नं० 53, और सर्वे नं० 8/1, (अंश) और सी० टी० एस० नं० 53/3, व्हिलेज, वालनाय तालूका बोरिवली, मार्वे रोड, मालाड (प) बम्बई–64 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई–3/37–ईई/25382/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1–10–1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, बम्बई

दिनांक : 5–6–1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० अई-3/37-ईई/25610/85-86--अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० पारंपारिक जमीन, और प्रिमायसेस जो चाल और शेड के साथ न्यू बाम्बे आग्रा रोड, कुर्ला बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 1-10-1985, **को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल** के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त** संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती लूथगार्ड अन्मेडा और अन्य।

(अन्तरक)

(2) ज्यूपिटर बिल्डर्स।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पारंपारीक जमीन और प्रिमायसेस जो चाल और शेड के साथ न्यू बाम्बे आगरा रोड, कुर्ला सर्वे नं० एन० ए० 75सी. सी० टी० एस० नं० 349, 349/1, से 11, कुर्ला बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-3/37-ईई/25610/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० अई–3/37–ईई/25221/85–86—अत: मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 21 और 22, जो व्हिलेज, वालनाय, तालूका बोरिवली मालाड, (प), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। दिनांक 1–10–85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रिलायन्स बिल्डर्स एण्ड डेव्हलोपर्स।

(अन्तरक)

(2) अरीदंत डेव्हलोपर्स।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 21 और 22 जो विहलेज, वालनाय तालूका बोरिवली मालाड, (प), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई–3/37–ईई/25221/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1–10–1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2 बम्बई

दिनांक : 5–6–1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० अई-3/37-ईई/24891/85-86--अत: मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि और जमीन के साथ इमारत और अन्य स्ट्रक्चर्स जो अन्य वालनाय (ओर्लेम), मार्वे रोड, मालाड (प) बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। दिनांक 1-10-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रवानबानू जे० मिस्त्री।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स रवि राज बिल्डर्स।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि और जमीन के साथ इमारत और अन्य स्ट्रक्चर्स जो व्हिलेज, वालनाय (ओर्लेम) मार्वे रोड, सी०टी० सर्वे नं० 77, 78, 78/1, 78/2, 78/3, और 157, मालाड (प), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-3/37-ईई/24891/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3 बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० अई-3/37-ईई/25067/85-86---अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दूकान नं० 17, 18, 20, 22, 23 और 24, जो मेझनिन फ्लोर सत्यम् सी-विंग. सत्यम् शिवम् सुंदरम् इमारत, एम० जी० रोड, घाटकोपर (पूर्व) बम्बई 77 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है।

दिनांक 1-10-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स सरल इंटरप्रायजेस।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स पारीख ब्रदर्स।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 17, 18, 20, 22, 23 और 24, जो, मेझनिन, फ्लोर सत्यम् सी-विंग सत्यम् शिवम् सुंदरम् इमारत, एम० जी० रोड, घाटकोपर (पूर्व), बम्बई-77 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-3/37-ईई/25067/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :-

प्रारूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3 बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० अई–3/37–ईई/25575/85–86—अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), **की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी **को यह** विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० अलग अलग प्रिमायसेस जो सत्यम् शिवम सुंदरम इमारत में एम० जी० रोड घाटकोपर (पूर्व) बम्बई-77 में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। दिनांक 1–10–1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर **अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) **के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) मेसर्स सरल इंटरप्रायसेस।

(अन्तरक)

(2) कुमारी विनम के० संघवी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान जो तल मालेपर और मेझानिन फ्लोर पर बेसमेंट, सत्यम शिवम सुंदरम इमारत में एम० जी० रोड घाटकोपर (पूर्व) बम्बई–77 में स्थित है।

अनुसूची जैसा की क्र० सं० अई–3/37–ईई/25575/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1–10–1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3 बम्बई

दिनांक : 5–6–1986
मोहर :

प्रख्प आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3 बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० अई–3/37–ईई/25577/85–86––अत: मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं कार्यालय नं० 1, 3 से 22, और 24 से 29, जो पहली मंजिल, सत्यम ए–पार्ट विंग, इमारत सत्यम शिवम सुंदरम, एम० जी० रोड, बम्बई–77 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है। और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। दिनांक 1–10–1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सरल इंटरप्रायजेस।

(अन्तरक)

(2) किशोर संघवी प्राइवेट लि०।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 1, 3, से 22 और 24 से 29, जो पहली मंजिल सत्यम ए–पार्ट, विंग इमारत सत्यम सुंदरम सुंदरम, एम० जी० रोड, घाटकोपर (पूर्व) बम्बई–77 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० अई–3/37ईई/25577/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1–10–1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, बम्बई

दिनांक :–5–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एक्ट. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० अई–3/37ईई–/25580/85–86––अतः

मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसकेपश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 100,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कार्यालय सं० नं० 17 से 29 जो, 1ली, सत्यम् बी०–पार्ट विंग, इमारत सत्यम् शिवम् सुंदरम्, एम० जी० रोड घाटकोपर (पूर्व) बम्बई–77 में स्थित है।

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)

और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। दिनांक 1–10–1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सरल इंटरप्रायजेस।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स उषा मंधवी प्राइवेट आर० इ० एस० ट्रस्ट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 17 से 29, जो 1ली मंजिल, सत्यम् बी०–पार्ट विंग, इमारत सत्यम शिवम सुंदरम एम० जी० रोड, घाटकोपर (पूर्व) बम्बई–77 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई–3/37–ईई/25580/85–86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1–10–1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, बम्बई

दिनांक :–5–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2 बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० अई-3/37-ईई/25581/85-86--अत: मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कार्यालय नं० 30 से 34 जो, पहली मंजिल सत्यम बी-पार्ट इमारत सत्यम् शिवम् सुंदरम् एम० जी० रोड घाटकोपर (पूर्व) बम्बई-77 में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है। दिनांक 1-10-1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, **अर्थात् :—**

(1) सरल इंटरप्रायजेस।

(अन्तरक)

(2) संघवी फ़ैमिली प्राइवेट आर० इ० एल० ट्रस्ट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, **है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया है।**

अनुसूची

कार्यालय नं० 30, से 34, जो; 1ली, मंजिल सत्यम बी०-पार्ट इमारत सत्यम शिवम सुंदरम एम० जी० रोड घाटकोपर (पूर्व) बम्बई-77 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-3/37-ईई/25581/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई स्थित द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3 बम्बई

दिनांक :5-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3 बम्बई

बम्बई दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं॰ अई-3/37-ईई/5582/85-86——अतः मुझे ए॰ प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ बेसट नं॰ 1 से 5, 16 से 20 जो सत्यम बी-पार्ट विंग और 5, 15, 16, 18, और 19, 20 जो सत्यम ए॰ पार्ट विंग इमारत सत्यम शिवम सुंदरम एम॰ जी॰ रोड घाटकोपर (प) बम्बई-77 में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय म रजिस्ट्री है। दिनांक दिनांक 1-10-1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सरल इंटरप्रायसेस।

(अन्तरक)

(2) शातीलाल संघवी प्राइवेट आर॰ इ॰ एल॰ ट्रस्ट।

(अन्तरिती।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बेसमेंट नं॰ 1 से 5, 16 से 20 जो सत्यम बी॰-पार्ट विंग और 5, 15, 16, 17, 19, 20, और जो सत्यम ए॰ पार्ट विंग इमारत सत्यम शिवम सुंदरम एम॰ जी॰ रोड घाटकोपर (पूर्व) बम्बई 77 मे स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र॰ सं॰ अई-3/37-ईई/25582/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए॰ प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3 बम्बई

दिनांक :-5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3 बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० अई–3/37–ईई/25583/85–86––अत: मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कार्यालय नं० 1 से 13 जो पहली मंजिल सत्यम बी०–पार्ट विंग इमारत सत्यम शिवम् सुंदरम एम० जी० रोड घाटकोपर (पूर्व) बम्बई 77 में स्थित है। और जिसका करारनामा (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 1-10-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सरल इंटरप्रायसेज।

(अन्तरक)

(2) प्रभाबेन संघवी प्राइवेट आर० इ० एल० ट्रस्ट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 1 से 13 जो 1ली मंजिल सत्यम बी–पार्ट विंग सत्यम शिवम सुंदरम इमारत एम०जी० रोड घाटकोपर (पूर्व) बम्बई-77 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-3/37-ईई/22583/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3 बम्बई

दिनांक : 5–6–1986
मोहर :

प्रकल्प आई.डी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3 बम्बई

बम्बई दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० अई-3/37-ईई/25585/85-86—अतः मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कार्यालय नं० 7 से 18 जो 1ली मंजिल सत्यम सी-पार्ट विंग इमारत सत्यम शिवम सुंदरम एम०जी० रोड घाटकोपर (पूर्व) बम्बई-77 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है तारीख 1-10-1985।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलिख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) सरल इंटरप्रायजेस।

(अन्तरक)

(2) मालिनी संघवी प्रायवेट आर० इ० एल० ट्रस्ट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 7 से 18 जो 1ली मंजिल सत्यम सी-पार्ट विंग इमारत सत्यम शिवम सुंदरम एम०जी० रोड, घाटकोपर (पूर्व) बम्बई-77 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-3/37-ईई/25585/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1985 को रजीस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 5-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन 1 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/ए यू०/1/37-ईई/10-85/2119—अतः मुझे आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो 1001, ए देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में पूर्ण रूप से वर्णित है आयकर अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली 1 में भारतीय आयकर अधिनियम, 1908) (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्टूबर 1985। **को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा **प्रकट नहीं किया गया** था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा **के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स प्रगति कंस्ट्रक्शन कम्पनी (देविका टावर, 73-74, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) क० स्वर्णजीत सिंह मेसर्स राज कंवर श्री जसजीत सिंह और नरजीत सिंह 9, रींग रोड़, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1001ए, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। क्षेत्रफल 1205, वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 दिल्ली नई दिल्ली

तारीख : 5-6-1986

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37-ईई/10-86 1252—अत मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट नं० 408, आबादी 1500 वर्ग फीट 4वी खंड ग्रुप हाउसिंग काम्लैक्स, 2 तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्टूबर 1985।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रविन्द्रा प्रोपर्टीस प्रा० लिमिटेड, 2 तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मास्टर विराज मोहन राजवी मोहार, बी-157, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 408, तादादी 1500 वर्ग फीट 1 4वां खंड, ग्रुप हाउसिंग काम्पलैक्स, 2, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 नई दिल्ली

दिनांक 5-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यु/1/37ईई/10–85–2153——अत मुझे आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो फ्लैट णं० नं० 410 तादादी 1500 वर्ग फीट चौथाई खण्ड 2 तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान **प्रतिफल** के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने** का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में **सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रविन्द्रा प्रोपर्टीज प्रा० लि० 2 तिलक मार्ग नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) आर० एस० गुप्ता सुपुत्र संतराम और सविती गुप्ता सुपुत्री ए० आर० गोयल 53/59, रंजस रोड करोल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 410, तादादी 1500 वर्ग फीट 4वां खण्ड ग्रुप हाउसिंग कम्प्लेक्स 2 तिलक मार्ग नश नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

दिनांक 5–6–1986
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/1/37ईई/10/85/2154—अतः, मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 303, 1500 वर्ग फीट तीसरा खण्ड 2 तिलक मार्ग मार्ग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रविन्द्रा प्रोपर्टीज प्रा० लि०, 2, तिलक मार्ग नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री कृष्ण मोहन, 25बी० पूसा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 303, तादादी 1500 वर्ग फीट तीसरा खण्ड ग्रुप हाउसिंग काम्प्लेक्स, 2, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक 5-6-1986
मोहर।

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37इइ/10-85/2155—अतः मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 612 तादादी 1500 वर्ग फीट 6 वां खंड ग्रुप हाउसिंग काम्पलेक्स है तथा जो रविन्द्रा प्रोपर्टीस प्रा० लिमि० 2 तिलक मार्ग में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली अर्जन रेंज-1, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 262-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रविन्द्रा प्रोपर्ट्रीस प्रा० लिमि०, 2 तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कैलाशवंती सहगल, 12/एफ, सीलन कंडोमिनियम 52/38, सोइ सलाडाइंग 2, सीलन रोड़, बैंकाक।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 612 तादादी 1500 वर्ग फीट 6वां खंड ग्रुप हाउसिंग काम्पलेक्स नई दिल्ली 2 तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37इइ/10-85/2157—अत: मुझे, आर० पी० राजेश आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 711, तादादी 1700 वर्ग फीट 7वां खंड ग्रुप हाउसिंग काम्पलैक्स, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की, बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रविन्द्रा प्रोपर्टिस प्रा० लिमिटेड, 2 तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विमला देवी अग्रवाल पत्नी दलीप सिंह अग्रवाल बी-38, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, शाहदरा, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 711, तादादी 1500 वर्ग फीट 7वां खंड ग्रुप हाउसिंग काम्पलैक्स, 2 तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37इइ/10–85/2158––अतः मुझे आर० पी० राजेश आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 401 तादाद्री 1500 वर्ग फीट चौथा खंड ग्रुप हाउसिंग काम्पलैक्स नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज–1 नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रविन्दा प्रोपर्टीज प्रा० लिमिटेड 2 तिलक मार्ग नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) फ़ोरमोस्ट एक्सपोर्ट (इं) प्रा० लिमिटेड एस–46 ग्रेटर कलाश–1 नई दिल्ली–1।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि यातसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 401 तादादी 1500 वर्ग फीट 1 चौथा खंड ग्रुप हाउसिंग काम्पलक्स नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1 दिल्ली नई दिल्ली–110002

दिनांक : 5–6–1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10-85/2159--अतः मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 412 तादादी 1500 वर्ग फीट ग्रुप हाउसिंग स्कीम काम्पलक्स, 2 तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रविन्द्रा प्रोपर्टीस प्रा० लिमिटेड, 2 तिलक मार्ग नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री सुरिन्दर महाजन 19 रिंग रोड़ लाजपत नगर-4 नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 412 तादादी 1500 वर्ग फ़ीट 14वां खंड ग्रुप हाउसिंग स्कीम काम्पलैक्स, 2, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1; नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10-85/2183—अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ए-3, 5वां खंड गेरेज नं० एस-14, लाल गिरधर मैमोरियल अपार्टमेंट, 28, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) लाल गिरधर लाल मैमोरियल फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी लि०, बम्बई द्वारा लोकल आफिस जीवन तारा बिल्डिंग 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अवासीय फ्लैट नं० ए-3, 5वां खंड गेरेज एस-14, लाल गिरधर लाल मैमोरियल अपार्टमेंट, 28 फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10-85/2184—अत: मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ए 35वां खंड, गरेज नं० एम-14, लाल गिरधरलाल मैमोरियल अपार्टमेंट, 28, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) गिरधर लाल मैमोरियल फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बम्बई द्वारा लोकल आफिस जीवन तारा बिल्डिंग 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर **सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास **लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम के अध्याय 20-क** में परिभाषित **है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

आवासीय फ्लैट नं० ए-3 और 5वां खंड गरेज नं० एम-14, लाला गिरधरलाल मैमोरियल अपार्टमेंट 28, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-1/37ईई/10-85/2185—अतः, मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ए-3, चौथा खंड गेरेज गेरेज नं० एस-13, लाला गिरधर लाल मैमोरियल अपार्टमेंट-28, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) लाला गिरधर लाल मैमोरियल फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी लिमि०, बम्बई द्वारा लोकल आफिस जीवन तारा बिल्डिंग, 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर पूर्वोक्त उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आवासीय फ्लैट नं० ए-3, चौथा खंड और गेरेज नं० एस-13, लाला गिरधर लाल मैमोरियल अपार्टमेंट, 28 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

(तादादी 1604 वर्ग फीट)

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-1/37ईई/10-85/2188—अतः; मुझे, आर० पी० राजेश आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० डब्ल्यू-69, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) हंस राज पाहवा द्वारा एवन साइकिल्स प्रा० लिमि० जी० टी० रोड, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) सीवायोअइंवेस्टमेंट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड 3370, हौंजकाजी दिल्ली फ्लैटिड आवासीय क्षेत्रफल 5060 वर्ग फीट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डब्ल्यू/69, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।
इंटायर बेसमेंट 3638 वर्ग फीट
बरसाती 992 वर्ग फीट
गेरेज ब्लाक धरातल खंड 430 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 3-6-1986
मोहर :

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37इइ/10–85/2191—अतः मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 6 5वां खंड बहुमंजिली हाउसिंग स्कीम अधीश्वर अपार्टमेंट 34 फिरोजशाह रोड़ नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या इससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कैलाश नाथ एंड एसोसिएट्स 1006 कनचनजंगा 18 बाराखम्बा रोड़ नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) गोलडन प्रोपट्रीज एंड ट्रेडरस लिमिटेड 24 कालका स्ट्रीट कलकत्ता–7।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आवासीय फ्लैट क्षेत्रफल 1600 वर्ग फीट 1 फ्लैट नं० 6 5वां खंड बहुमंजिली ग्रुप हाउसिंग स्कीम अधीश्वर अपार्टमेंट 34 फिरोजशाह रोड़ नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1 दिल्ली, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 5–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1986

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यू॰/1/37-ईई/10-85 2194—अतः मुझे, आर॰ पी॰ राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ फ्लैट नं॰ 6 सर्वेक्वाटर नं॰ 6 गौरी अपार्टमेंट, 3 एंड 4, साउथ इंड॰, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कैलाशनाथ एंड एसोसिएटस 1006, कन्चनजंगा 18, बाराखम्भा रोड़, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) शांति कोठारी और स्वरूप जैड कोठारी द्वारा हेमचन्द जी नाहर, नागोरी 2001, किनारी बाजार, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक आवासीय फ्लैट नं॰ 6, (1580 वर्ग फीट) एक मकान नं॰ 6, (130 वर्ग फीट) खुला स्थान (450 वर्ग फीट) धरातल खंड और एम खुला कार पार्किंग, ग्रुप हाउसिंग गोरी अपाटमट, 3 और 4 साउथ इंडलेन, नई दिल्ली।

आर॰ पी॰ राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, दिल्ली, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 3–6–1986
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37इइ/10-85/2197—अतः मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 5-ए, तादादी लगभग 1600 वर्ग फीट 5वां खंड और एक खुला पार्किंग स्पेस ग्रुप हाउसिंग स्कीम नीलगिरि अपार्टमेंटस 9, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कैलाश नाथ एंड एसोसिएटस 1006, कंचनजंगा, 18, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) पराशर बिल्डर्स प्रा० लिमिटेड, के-113, हौजखास प्रथम खंड, नई दिल्ली-1।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्लैट नं० 5-ए, तादादी लगभग 1600 वर्ग फीट 5वां खंड और एक खुला पार्किंग स्पेस ग्रुप हाउसिंग स्कीम नीलगिरि अपार्टमेंटस, 9, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37इइ/10–85/2198—अतः मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ङ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट 6ए, लगभग 1600 वर्ग फीट 5वां खंड खुला कार पार्किंग नीलगिरि, 9 बी० के० रोड़, नई दिल्ली में स्थित, है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों को अर्थात् :—

(1) कैलाश नाथ एंड एसोसिएटस 1006, कंचनजंगा, 18, बाराखम्भा रोड़, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) लिबिरा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, के–113, हौजखास, प्रथम खंड, नई दिल्ली–1।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्लैट नं० 6ए, तादादी लगभग 1600 वर्ग फीट। 5वां खंड, एक खुला पार्किंग स्पेस ग्रुप हाउसिंग स्कीम नीलगिरि अपार्टमेंट 9, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1 दिल्ली, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 5–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37इइ/10–85/2205—अतः मुझे आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० पी–203, पी–204, प्रथम खंड और पी–303, पी–304 दूसरा खंड पालम आपर्टमेंट बिजवासन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) चोपड़ा प्रोमोटर्स एंड बिल्डर्स 7ए/27, डब्ल्यू० इ० ए० करोल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) जयश्री टी इंडस्ट्रीज लाल द्वारा बिल्डिंग स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों सूचना पर की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० पी–203, पी 204, (प्रथम खंड) और पी–303 पी–304, दूसरा खंड पालम अपार्टमेंट, बिजवासन, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1 दिल्ली, नई दिल्ली–110002

दिनांक 5–6–1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10-85 2220ए—अत: मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 710, है तथा जो 2 तिलक मार्ग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रविन्द्रा प्रोपर्टीज प्रा० लिमि०, 2 तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री अजय कुमार गुप्ता 110, अरविन्दो पलैस, डी० डी० ए० काम्पलैक्स हौजखास, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में से किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट न० 710, 2 तिलक मार्ग नई दिल्ली क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10-85 2231—अतः मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1301, 820 वर्ग फीट है तथा जो 13, टालस्टाय मार्ग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

11—156GI/86

(1) बक्शी विक्रम विजय कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमि० 13, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-1।

(अन्तरक)

(2) योगिनी ट्रस्ट द्वारा एस० पी० मरवाह एंड कम्पनी एफ-58, कनाट प्लैस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बुकड आफिस फ्लैट नं० 1301 तादादी 820 वर्ग फीट बहु-मंजिली बिल्डिंग 13, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 3-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10-85-2232—अत: मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1302, 820 वर्ग फीट, है तथा जो 13 टालस्टाय मार्ग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) बक्शी विक्रम बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लिमि० 13, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मिस् मोहा खन्ना द्वारा अभिलेख तथा पिता राजीव खन्ना ई-1, महारानी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बुकिंग आफिस फ्लैट नं० 1302, तादादी 820 वर्ग फीट बहुमंजिली आवासीय बिल्डिंग 13, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10–85 2237—अत: मुझे आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट 8 डी हंसालय 15 बाराखम्बा रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज–1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कांता बाहरी एण्ड मिस रीतु बाहरी 5/6 रूप नगर नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) सूद फैमिली ट्रस्ट 26 सिरी राम रोड सिविल लाइंस दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट सं० 8 डी हंसालय 15 बाराखम्बा रोड नई दिल्ली क्षेत्रफल 1168 वर्ग फीट ।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, दिल्ली, नई दिल्ली

दिनांक : 3–6–86
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10-85/2238--अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान सं० सी-595 डिफेंस कालोनी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) क० विरेन्द्र सिंह छिमनी
सी-6/57 सफदरजंग डेवेलपमेंट एरिया
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

(2) श्री जय प्रकाश जैन मगर माला जैन और राजीव जैन
निवासी--जैन स्ट्रीट पी० ओ० कंडाला
जिला--मुजफरनगर (यू० पी०)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अवासीय मकान सं० सी-595 डिफेंस कालोनी नई दिल्ली धरातल खण्ड 1712 वर्ग फीट प्रथम खण्ड 1712 वर्ग फीट। बरसाती 427 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 3-6-1986
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10-85/2258-अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट सं० 103 39 है तथा जो कुशाल हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,** उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है** और अन्तरक (अन्तरकों) और **अन्तरिती** (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय **पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त** अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त **अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) **ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की **धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन** निम्नलिखित व्यक्तियों, **अर्थात्** :—

(1) श्री टी० सी० जन एण्ड बलबीर कुमार जैन एस-341, ग्रेटर कलाश-1, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री सुखनन्दन महेन राजमहेन 120, एम० आई० जी० फ्लैट प्रसाद नगर नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया **गया है।**

अनुसूची

फ्लैट सं० 103, 39, कुशाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली क्षेत्रफल लगभग 867.5 वर्ग फीट ।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-86

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/ए क्यू०/1/37ईई/10-85/2269—अतः मुझे, आर० पी० राजेश आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00 000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लाट सं० 708 है तथा जो 7वां खण्ड 7 टालस्टाय मार्ग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 19 57 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बेमिसाल एजेंसी
1402/16 तिलक बाजार चौक दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती सावित्री देवी पत्नी सज्जन चंदानी
बी-एफ-12, पूर्वी शालिमार बाग दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लाट सं० 708, 7वां खण्ड, 7 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली तादादी 645 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10-85/2270—अतः मुझे, आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट सं० 6, प्रथम खण्ड फंट डब्ल्यू-14, ग्रेटर कैलाश-2 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) ग्राउवे [illegible] (इंडिया) प्रा० लि०
बी-102, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री भीम[illegible] खुराना एण्ड भगवानी खुराना
3/1, शिवाजी नगर, गुड़गांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट सं० 6, प्रथम खण्ड फंट डब्ल्यू-14, ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली। क्षेत्रफल 2300 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 3-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/10-85/2272—अत: मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बी-23, है तथा जो गीतांजलि (रियर पोरशन) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) वीणा सुरमनी एण्ड जे० के० सुरमनी
एस-137, पंचशील पार्क, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) बृज भूषण एण्ड मैसर्स जमीला बृज भूषण
ए-15/27, वसंत विहार, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरातल खण्ड फ्लैट सं० बी-23, गितांजली (रियर पोरशन) क्षेत्रफल 2950 वर्ग फीट।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 3-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर-3/10-85/266—अत: मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर-186, तादादी 22 वर्ग गज है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) /भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985.

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया/प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रूपिन्दर सिंह सुपुत्र नानक सिंह द्वारा जनरल एटॉर्नी गुरुचरन प्रकाश सिंह सुपुत्र एस० भगत सिंह 5, राजदूत मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) श्री उमेश कुमार वर्मा सुपुत्र मथुरा दास वर्मा ई-303, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आर-186, तादादी 222 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस/आर-3/10-85/268---अत: मुझे, आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एम-113, ग्रेटर कैलाश-2 है तथा जो नई दिल्ली-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) /भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जी० एम० कोहली एच० यू० एफ०
ए-77, अशोक विहार, फेज-32,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री अश्वनी कुमार
डी-34, पंचशील एनक्लेव,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एम-113, ग्रेटर कैलाश-2, 300 वर्ग गज, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/10-85/273---अतः मुझे, आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 5 है तथा जो एस-59, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)/ भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री चानन सिंह बोहानिया सुपुत्र उदम सिंह बोहानिया 124, सैनी एन्क्लेव, दिल्ली-110062।

(अन्तरक)

2) श्री अमरजीत सिंह जोहर एण्ड कम्पनी सी-139, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एस-59, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली। तादादी 300 वर्ग गज।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली

दिनांक : 5-6-1986

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर–3/10–85/274—अत: मुझे, आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० — है, तथा जो एफ–44ए, एन० डी० एस० ई० पार्ट–1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप में स्थित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) /भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं पाया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० एस० बजाज
एफ–44/ए, एन डी० एस० ई० पार्ट–1,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) मैंक डवैल एण्ड कम्पनी लिमिटेड
3, सेकिन्ड लाइन बीच,
मद्रास–600001

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अवासीय भाग सं० एफ–44/ए, एन० डी० एस ई पार्ट–51, वेस्ट हाफ विंग, बेसमेंट धरातल खण्ड, प्रथम खण्ड और बरसाती फ्लोर अण्डरनीथ की तरह ईस्ट हाफ विंग प्रथम खण्ड 1 फ्री होल्ड ।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1 दिल्ली, नई दिल्ली –110002

दिनांक : 5–6–86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर-3/10-85/278--अतः मुझे, आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० --- है, तथा जो प्लाट सं० 30-आर, तादादी 300 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से विदित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) /भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती दयावंती वती गुप्ता
पत्नी शिवम सुन्दर गुप्ता
एफ-52, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) डेलाइट बिल्डिरस द्वारा
सरदार सुरिन्दर सिंह सुपुत्र सरदार धर्म सिंह
ए-2/140, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० 30, ब्लाक आर, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली। तादादी 300 वर्ग गज ।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/10-85/280—अतः मुझे, आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एन-118, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली एरिया 300 वर्ग गज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया कम निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जिसे प्रकट किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दिलीप सिंह सुपुत्र स्व० एम० शर्मा सिंह एन-118, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) श्री त्रिलोचन सिंह आनन्द सुपुत्र एम० तथा सिंह आनन्द ।
ए-3, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली —1
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी सं० एन-118, तादादी 300 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली ।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर—3/10—85/281—अतः, मुझे, आर० पी० राजेश **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम** प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एम—88 ग्रेटर कलाश—2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. मिसेज पुष्पा चड्ढा 2. मिसेज इला खन्ना 3. मिसेज नीमा चड्ढा और मिसेज रविजा चड्ढा ए—8, जवाहर क्वाटर्स, मेरठ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० एम० चोपड़ा और शशी चोपड़ा बी—29, पंचशील एन्कलेव नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन के भीतर** उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एम—88 ग्रेटर कलाश—2, नई दिल्ली—110048 आवासीय प्लाट 400 वर्ग गज।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज—1 दिल्ली, नई दिल्ली—110002

दिनांक : 5—6—1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/एस० आर-3/10-85/287—अत:, मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० — है तथा जो के-21 तादादी 311 वर्ग गज कैलाश कालोनी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)/भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मिसेज नीना सेठ पत्नी सतीश सेठ निवासी-जी-1/16, दरियागंज दिल्ली-1 (अन्तरक)

(2) श्री आर० के० मलिक सुपुत्र स्वर्गीय पी० एम० मलिक निवासी-ई-1/73, लाजपत नगर, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

के-21 तादादी 311 वर्गगज कैलाश कालोनी, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन एस - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०–3/10–85/288––अतः, मुझे, आर० पी० राजेश आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० –– है तथा जो एच–78 एस० डी० एस० ई० पार्ट–1 नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अंकित अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की आकलन, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या/

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

13—156GI/86

(1) श्री वेन्नो दास पुरी सुपुत्र स्वर्गीय रामजी दासपुरी एच–78 एस० डी० एस० ई–पार्ट–1 नई दिल्ली–110049

(अन्तरक)

(2) श्री राजेश कुमार जैन सुपुत्र महावीर प्रसाद जैन जी–19 एस० डी० एस० ई–पार्ट–51 नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सिंगल स्टोरी बिल्डिंग 200 वर्ग गज । प्लाट सं० 78; ब्लाक एच आवसीय कालोनी साउथ एक्सटेंशन स्कीम पार्ट–1, गांव मुबारकपुर कोटला, रिंग रोड नई दिल्ली ।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी;
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–1; दिल्ली, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 5–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन,एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर–3/10–85/289––अतः, मुझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यूनिट सं० सी० सी० प्रापर्टी सं० एम–178, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने की सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती चन्दर कांता पत्नी अशोक कुमार
ए–2/35 सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री अमरजीत सिंह ओबराय सुपुत्र
ले० क० तेजा सिंह ओबराय
निवासी–डब्ल्यू–105 ग्रेटर कैलाश–1
नई दिल्ली–1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट सं० सी दूसरा खण्ड प्रापर्टी का भाग सं० एम–178 तादादी 300 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–1 दिल्ली, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 5–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-/3 10-85/293---अतः, मुझे, आर० पी० राजेश आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० —है तथा जो एस-141, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)/भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) खुराना बिल्डर्स द्वारा गुरविन्दर सिंह खुराना ई-21-ए, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-1

(अन्तरक)

(2) मैसर्स माला कुमार पत्नी संजीव कुमार निवासी-42 बंगलो रोड कमला नगर दिल्ली-110007

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की **तारीख से** 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी **व्यक्तियों पर सूचना** की तामील से 30 दिन की अवधि, **जो भी** अवधि बाद में समाप्त होती हो, के **भीतर पूर्वोक्त** व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से** 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो **उक्त अधिनियम,** के अध्याय 20-क में परिभाषित **हैं, वही** अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया **गया है।**

अनुसूची

दूसरा खण्ड एस-141 तादादी 298 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली ।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली नई दिल्ली-110200

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०–3 10–85/294—अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० — है तथा जो प्लैट सं० एस–154, ग्रेटर कैलाश–2, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री देविन्दर बहल
26, आनन्द लोक,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) खुराना बिल्डर्स,
ई/21, ए, ईस्ट आफ कैलाश,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० एस–154, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली क्षेत्रफल 306 वर्ग गज ।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1 दिल्ली, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 5–6–1986
मोहर :

प्रारूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यू॰/1/एस॰ आर—3/10—85/296—अत: मुझे, आर॰ पी॰ राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ —— है तथा जो ई—497, ग्रेटर कैलाश—2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री प्रेम कुमार मल्होत्रा
सुपुत्र पी॰ एल॰ मल्होत्रा द्वारा पी॰ एल॰ मल्होत्रा
द्वारा सुपुत्र मथुरा दास
एल—12, राजौरी गार्डेन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री सुरेश चन्द्र वर्मा सुपुत्र एम॰ आर॰ वर्मा
3, राधा निवास, खार पाला रोड, खार बम्बई

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं॰ ई—497, ग्रेटर कैलाश—2, नई दिल्ली तादादी 248 वर्ग गज।

आर॰ पी॰ राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—1 दिल्ली, नई दिल्ली—110002

दिनांक : 5—6—1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर-3/10-85/297—अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० — है, तथा जो सी-4, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती धनी देवी जोशी पत्नी केशव दत्त जोशी कमला देवी जोशी पत्नी जगदीश प्रसाद जोशी और धत्री जोशी पत्नी बदरी दत्त जोशी द्वारा देवी दत्त जोशी सुपुत्र स्वर्गीय अम्बा दत्त जोशी 179, सुखदेव विहार, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री ओ० पी० अरोड़ा एण्ड फैमली एच० यू० एफ० द्वारा कर्ता ओ० पी० अरोड़ा सुपुत्र स्वर्गीय देवी चन्द अरोड़ा

सी-14 आनन्द निकेतन, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सी-4, तादादी 500 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-10002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर–3/10–85/299—अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० गांव बिजवासन, कृषि भूमि, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० मिसेस अंजुला खन्ना,
जे–17ए, हौजखास एंक्लेव,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री जगदीश प्रसाद भालोटिया
5, क्लाइव रियर, कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि गांव बिजवासन, 14 बीघा और 8 बिस्वा

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1 दिल्ली नई दिल्ली —110002

दिनांक : 5–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर-3/10-85/303—अतः, मुझे, आर० पी० राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० — कृषि भूमि 10 बीघा और 17 बिस्वा, बिजवासन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स ग्रीनिच पार्क बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्रा० लिमिटेड, 115, अंसल भवन, 16 के० जी० मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती आभा कृष्णा पत्नी डा० के० एल० कृष्न 707, जंगपुरा रोड, भोगल, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 10 बीघा और 17 बिस्वा कम्पराइज्ड रेक्ट सं० 44, खसरा सं० 11 (2-08), केमी सं० 181 (8-09), स्थित गांव बिजवासन, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 5-6-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1986

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०–3/10–85/306—अतः, मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० — है तथा जो कृषि भूमि 20 बीघा और 2 बिस्वा गांव बिजवासन, तहसील महरौली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य कम के दृश्यमान **प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की, बाबत, **उक्त** अधिनियम के अधीन कर देने के **अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) **के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) **के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्री खजान सिंह सुपुत्र श्री राम मेहर गांव बिजवासन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स खेमका एविएशन प्रा० लि० 41/2, ब्लाक एम०, स्पीड बर्ड हाउस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर श्री नन्द खेमका

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर **सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 28 बीघा और 2 बिस्वा एम० सं० 73, किला सं० 13 (1–18) 14 (3–16), 15 (0–9), 16 (0–16), 17 (4–16), 18 (4–16), 22 (1–4), 23 (4–11), 27 (0–5), मस्टातील सं० 88, किला सं० 1 (1–3), 2 (2–18), 3 (1–10), गांव बिजवासन, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

आर० पी० राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–1, दिल्ली, नई दिल्ली

दिनांक : 5–6–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/37ईई/10-85/871—अतः, मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु. 1,00,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो पोरशन 2, शंकराचार्य रोड, तादादी 19286 फीट (147343 वर्ग मीटर्स) सिविल लाइन्स दिल्ली मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1985, को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अजय कुमार सुपुत्र श्याम बिहारी लाल
2 मोहित कुमार सुपुत्र अजय कुमार
2, शंकराचार्य रोड, मैटकाफ रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री दीनानाथ आनन्द, दर्शन लाल आनन्द सुपुत्र रामचन्द आनन्द, समीर आनन्द अवयस्क सुपुत्र दीनानाथ आनन्द
एफ-108, अशोक विहार, फेस-1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोरशन आफ 2, शंकराचार्य रोड, तादादी 19286 वर्ग फीट (1473.43 वर्ग मीटर्स) सिविल लाइन्स, दिल्ली।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 11-6-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी एन एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1986
निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/37ईई/10–85/873––अतः, मुझे, अशोक कक्कड़,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जो धरातल खण्ड 3–एफ, कमला नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज–2, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूपमान प्रतिफल से, ऐसे रूपमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अब अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जोगिन्द्र सिंह छाबड़ा 2 नरेन्द्र कौर छाबड़ा 8/5, सिंह सभा रोड, दिल्ली–110006
(अन्तरक)

(2) मे० दिल्ली टायर्स
873, एम० पी० मुखर्जी मार्ग, दिल्ली-110006।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरातल खण्ड 3 एफ कमला नगर, दिल्ली।

अशोक कक्कड़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–2 दिल्ली, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 11–6–86
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 जून 1986

निदेश स० 70/अक्टूबर/85——अत: मुझे, आर० जानकीरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० डोर सं० 36 नवोरोजी रोड, मद्रास-31 है जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पेरियमेट (दस सं० 1184/85) है भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्टूबर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——**

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) 1. श्री सैयद अमिन रहीम
2. श्री सैयद इब्राहिम रहीम

(अन्तरक)

(3) श्रीमती घटीजा बेगम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त **अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

भूमि और मकान -डोर सं० 36 नौरोजी रोड मद्रास-31 (दस सं० 1184/85) ।

आर० जानकीरामन
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज-I (I/सी)
मद्रास-6

दिनांक . 4-6-1986
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011 the 15th May, 1986

No. A. 32013/3/83 (ii)-Admn. I—Consequent upon abolition of the post of Special Assistants in the office of Union Public Service Commission with effect from 10-8-1985 (Afternoon) S/Shri I.N. Sharma and Tarsame Singh reverted to their regular posts of Stenographer Grade 'B' (Senior Personal Assistant) of CSSS cadre of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 11th August, 1985 and the President has been pleased to appoint them as Private Secretary (Grade A of CSSS) in the same cadre on ad-hoc basis for the period as indicated below against their name or until further orders whichever is earlier:—

Sl. No.	Name of officer	Period of appointment
1.	Shri I.N. Sharma	11-8-85 to 10-11-85 and 12-11-85 to 25-12-85
2.	Shri Tarsame Singh	11-8-85 to 10-11-85, and 12-11-85 to 9-2-86 and 11-2-86 to 31-5-86

2. The above mentioned persons should note that thei appointment as Private Secretary (Grade A of CSSS) is on ad-hoc basis and will not confer on them any title for absorption in Grade A of CSSS or seniority in that Grade.

No. A. 32013/3/83 (iv)—Admn. I—The President is pleased to appoint the follwing Senior Personal Assistants (Grade B of CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission as Private Secretary (Grade A of CSSS) in the same cadre on ad-hoc basis for the period indicated against their names or until further orders, whichever is earlier:—

Sl No.	Name	Period
1.	Shri K.S. Bhutani	2-1-86 to 27-2-86 and 28-3-86 to 31-5-86
2.	Shri P.P. Sikka	28-3-86 to 31-5-86
3.	Shri M.M.L. Chandna	Do.
4.	Shri M.M.L. Dua	Do.

2. The above mentioned persons should note that their appointment as Private Secretary (Grade A of CSSS) is on ad-hoc basis and will not confer on them any title for absorption in Grade A of CSSS or seniority in that Grade.

No. A. 32013/3/84(v)—Admn. I—The President is pleased to appoint the undermentioned Personal Assistant of the CSSS cadre of Union Public Service Commission as Senior Personal Assistants (Grade 'B' of CSSS) in the same cadre on *ad hoc* basis for the period shown against their names or until further orders whicherver is carlier :—

S. No.	Name	Poriod
1.	Shri V.P. Mahajan	2-4-1986 to 31-5-1986
2.	Smt. Saroj K. Kapoor	Do.
3.	Shri Lekh Raj Gupta	6-5-1986 to 31-5-1986

2. The above mentioned persons shoud note that their appointment as Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) is on ad-hoc bais and will not confer on them any title for absorption in Grade B of CSSS or for seniority in that Grade. Further, their appointment is subject to the approval of the Department of Personnel and Training.

The 6th June 1986

No. A. 32014/1/86-(ii)Admn. I—The President is pleased to appoint the undermentioned Personal Assistants of the CSSS cadre of Union Public Service Commission as Senior Personal Assistants (Grade 'B' of CSSS) in the same cadre on *ad-hoc* basis for 3 months w.e.f. 2-6-86 as shown against their names or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Period
S/Shri		
1.	V.P. Mahajan	2-6-1986 to 1-9-1986
2.	Smt. Saroj K. Kapoor	Do.
3.	Lakh Raj Gupta	Do.
4.	K.K. Garg	Do.
5.	Rameshwar Dass	Do.

2. The above mentioned persons should note that their appointment as Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) is on *ad-hoc* basis and will not confer on them any title for absorption in Grade B of CSSS or for seniority in that Grade. Further, their appointment is subject to the approval of the Department of Personnel & Training.

M. P. JAIN
Under Sec. (Per. Adm.)
Union Public Service Commission

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 25th June 1986

No. 1/2/85-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Kanwal Nain, a permanent Assistant of this Commission, as Section Officer in this Commission on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650—1200 with effect from the forenoon of 19th June 1986 for period of three months or until further orders whichever is earlier.

No. 1/2/85-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Manohar Lal a permanent Section Officer of the Central Vigilance Commission, as Under Secretary in the Commission on ad-hoc basis in the scale of pay Rs. 1200—1600 with effect from the forenoon of 19-6-1986 for a period of 3 months or until further orders whichever is earlier.

No. 1/2/85-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri K. L. Malhotra, a permanent Under Secretary in the Central Vigilance Commission as 'Officer on Special Duty' in the Commission on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 1500—60—1800—100—2000 with effect from the forenoon of 19th June 1986 for a period of 3 months or until further orders whichever is earlier.

M. K. DIXIT
Dy. Secy.
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRG.)
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-3, the 25th June 1986

No. 3/24/86-AD.V.—The President is pleased to appoint on deputation Shri B. K. Gill (SPS-Gujarat) as Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment with effect from the afternoon of 31st May 1986 and until further orders.

The 30th June 1986

No. 3/41/85-AD.V.—The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police/Special Police Establishment is pleased to appoint on deputation Shri Suraj Paul, Dy. Supdt. of Police in the Haryana State Police as

Dy. Supdt. of Police in CBI/Chandigarh with effect from the forenoon of 12th June 1986, until further orders.

D. P. BHALLA
Administrative Officer (E)
CBI

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500 252, the 25th May 1986

No. 15011/21/86-Estt.—On transfer from the C.G.H.S., Hyderabad Dr. M. V. Ranga Reddy, Senior Medical Officer of the Central Health Services assumed charge as Staff Surgeon in the Academy on the forenoon of 16th May 1986.

A. A. ALI
Director

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 26th June 1986

No. O.II.2213/86-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. T. K. Roy as General Duty Officer, Grade-II (Dy. Supdt. of Police/Coy Commander) in the CRPF in a temporary capacity with effect from the forenoon of 30th May 1986 till further orders.

The 27th June 1986

No. O.II-1821/83-Estt.—Consequent upon his repatriation to Government of Punjab, Shri B. P. Tiwari, IPS (Punjab-1967), DIGP, CRPF, Chandigarh has handed over charge of the post with effect from the afternoon of 17-6-1986.

No. O.II.1791/84-Estt.—The Director General CRPF is pleased to appoint Dr. T. K. Roy to the post of Junior Medical Officer in the CRPF on ad-hoc basis with effect from 26-4-86 (FN) for a period of one month or till the regular incumbent joins, whichever is earlier.

ASHOK RAJ MAHEEPATHI
Assistant Director (Estt.)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the June 1986

No. E-16013(1)/1/81-Pers.I.—On completion of term of deputation, Shri R. Radhakrishnan, IPS (Kerala : 62) relinquished the charge of the post of Deputy Inspector General (South Zone), C.I.S.F., Madras w.e.f. the afternoon of 6th June 1986.

No. E-32015(4)/1/86-Pers.I.—The President is pleased to appoint Shri S. N. Kaul, on promotion as Assistant Commandant (JAO), CISF HQrs. (Pers. II), New Delhi with effect from the forenoon of 18th June 1986.

The 19th June 1986

No. E-28017/10/84-Pers.II/1083.—Shri K. S. Ahluwalia, Deputy Commandant, CISF Unit HFCL, Namrup expired on 11th June 1986. He is struck off from the strength of Central Industrial Security Force with effect from the forenoon of 12th June 1986.

No. E-28017/10/84-Pers. II/1084.—Consequent on his retirement from Government service on attaining the age of superannuation, Shri Samuel Samson relinquished charge of the post of Assistant Commandant in Central Industrial Security Force, Training Reserve, Southern Zone, Madras in the afternoon of 28th February 1986.

The 23rd June 1986

No. E-32015(4)/1/86-Pers.I.—On appointment on deputation Shri U. M. Kumar assumed charge of the post of Assistant Commandant CISF Unit BSL Bokaro with effect from the forenoon of 6th June 1986.

The 24th June 1986

No. E-32015(4)/1/86-Pers.I.—Consequent upon his repatriation to CISF, Shri V. N. Tiwari assumed charge of the post of Assistant Commandant, CISF HQrs. (Int. Squad), New Delhi with effect from the afternoon of 6th June 1986.

D. M. MISRA
Director General/CISF

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 25th June 1986

CHIEF CONTROLLER, GOVT. OPIUM & ALKALOID FACTORIES ESTABLISHMENT

No. (II/3/1/ESTT./85).—Shri M. D. Tewari, Factory Engineer, Govt. Opium and Alkaloid Works, Ghazipur retired from Government Service with effect from 30-11-85 (A.N) on attaining the age of superannuation.

Sd./- ILLEGIBLE
Chief Controller of Factories

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 17th June 1986

No. 1126-CA.I-31-74.—On his attaining the age of super annuation Shri S. M. Pal, Audit Officer (Commercial) working in the office of the Member, Audit Board & Ex-Officio Director of Commercial Audit, Calcutta has retired from service with effect from 31-5-1986 (AN).

K. P. LAKSHMANA RAO
Asstt. Comptr. & Ar. Genl. (Comml.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-WEST BENGAL

Calcutta-700,the 001 20th June 1986

No. Admn. I/Promotion-93/AAO/2270—The Accountant General (Audit)-I, West Bengal, has been pleased to appoint the following Section Officers (Audit) to officiate as Assistant Audit Officers (Group-B Gazetted post in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EP-40-1040) in temporary and officiating capacity with effect from the forenoon of 11th March, 1986 in the offices of Accountat General (Audit)-I and Accountant General (Audit) -II, West Bengal Calcutta until further orders.

Sl. No.	Name
S/Shri	
1.	Benudhar Mondal.
2.	Sushil Kumar Pal.
3.	Mukunda Mohan Bhattacharyya.

The promotions are subject to the final outcome of the writ Petition now pending before the Hon'ble High Court, Calcutta.

The newly promoted Assistant Audit Officers will have to exercise option within one month in terms of para 2 (b) of G.I. M.F. O. M. dated 26-9-81 for either to fix their pay under F.R 22(a)(1) on the date of promotion and then under F.R. 22C from the date of next increment in the lower post or under F.R. 22C on the date of promotion straightway.

S. K. MISHRA
Dy. Senior Accountant General (Admn)
West Bengal.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT, CENTRAL

Calcutta-700001, the 24th June 1986

No. Admn. I/C/Gaz/878-879—The Director of Audit, Central, Calcutta has been pleased to appoint the following officiating section officers to officiate as Assistant Audit Officers (Gr. B) in the scale of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-1040 from the date noted against each in the office of the Director of Audit Central, Calcutta until further orders.

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
1.	Shri Pratap Sankar Dan	16-4-86 (FN)
2.	Shri Ranendu Guha.	16-4-86 (FN)

S. K. BAHRI
Dy. Director of Audit(A)
Central. Calcutta

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT
N.F. RAILWAY

Maligaon, the 19th June 1986

No. Admn./5-16/79/35A/2357.—Sri D. M. Biswas, an officiating Asstt. Audit Officer of the office of the Director of Audit, N.F. Rly, Maligaon is promoted to officiate, until further orders as an Audit Officer in scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200/- with effect from 6-6-86.

N. G. MALLICK
Director of Audit

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110066 the 26th June 1986

No. AN/I/1419/4/VOL. I—The following officers have been confirmed in the Junior Time scale of Group 'A' of the Indian Defence Accounts Service with effect from the dates shown against each:—

Sl. No.	Name	Date of confirmation
1	2	3
	S/Shri	
1.	Shadi Lal Verma	2-6-85
2.	A. Janakiraman	2-6-86
3.	V. Sampath	2-6-85
4.	L.N. Nathamuni	25-8-85
5.	Jyoti Lal	29-8-85
6.	D. Krishnamurthy	2-6-85
7.	Lachha Singh	2-6-85
8.	T.M. Krishnan	30-8-85
9.	Satish Chandra	18-8-85
10.	Ram Rattan	1-9-85
11.	H.C. Das	2-6-85
12.	C.R. Mazumdar	2-6-85
13.	E.R. Chakravarthy	26-8-85
14.	A. Jambunathan	29-8-85
15.	K.V. Varghese	22-8-85
16.	C. Suryanarayana	11-7-85
17.	D.K. Kar	2-6-85
18.	T.S. Madhavan	11-8-85
19.	N.R. Ramanathan	17-8-85
20.	S. M. Malhotra	30-8-85
21.	Mahendra Singh-I	23-8-85
22.	P.K. Thevan	20-8-85
23.	Radhey Shiam Pal	19-8-85
24.	S.M. Dube	22-8-85
25.	C. Radhakrishnan	12-9-85
26.	Trilok Singh Nayyar	29-8-85
27.	Dori Lal	18-8-85
28.	Govind Sahai	18-8-85
29.	A. Madaswamy	18-8-85
30.	V.N. Ram	18-8-85
31.	Rati Ram	11-8-85
32.	Mahendra Singh-II	16-8-85
33.	Shiva Charan Singh	9-9-85
34.	Jagan Nath	30-8-85
35.	V.G. Datar	17-8-85
36.	K.V. Ramanan	5-9-85
37.	R. M. Joshi	18-8-85

No. AN/II/2606/86—The undermentioned Accounts Officers will be transferred to the Pension Establishment with effect form the afternoon of the dates shown against each on their attaining the age of Superannuation.

S. No.	Name of the A.O. with Roster No.	Grade	Date from which transferred to Pension Estt. Afternoon of	Organisation
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	P. D. Krishnaswamy (P/457)	PT. A.O.	30-6-86	CDA (PD) New Delhi.
2.	S.N. Bhattacharya (P/509)	Pt. A.O.	31-8-86	C OF A (FYS) Calcutta.
3.	J.K. Sharma (P/145)	PT. A.O.	31-7-86	CDA (AF) Dehradun

(R. B. KAPOOR)
Addl. Controller General of Defence Accounts (Admn.)

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta, the 26th June 1986

No. 32/G/86.—Shri AN Roy, Asstt. Works Manager (Subst. and Permt. Foreman) retired from service with effect from 30th June 1985 (AN).

No. 33/G/86.—On attaining the age of superannuation (58 years) Shri A. C. Mukherjee, Offg. Asstt. Works Manager, V.F.J. (Subs. & Permt. G. Foreman) retired from service w.e.f. 28-2-86 (AN).

No. 34/G/86.—On attaining the age of superannuation (58 years) Shri N. R. S. Pillay, Asstt. Works Manager (Subst. & Permt. Foreman) retired from service w.e.f. 30th April 1986 (AN).

D. SEN
Jt. Director (G)

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CHIEF LABOUR COMMISSIONER (C)

New Delhi, the 20th June 1986

No. Adm.I/4(1)/86 (1).—On attaining the age of superannuation, Shri V. T. Malhe relinquished charge of the office of the LEO (C) Bombay on 30-11-1985 (AN).

(2) On transfer Shri V. B. Pandey relinquished charge of the office of the LEO (C) at CLC's Hqrs New Delhi on 10-1-86 (AN) and assumed charge of the office of the LEO (C), Delhi-I on 13-1-86 (FN).

(3) On transfer Shri A. Banerjee relinquished charge of the office of the LEO (C), Muzaffarpur on 29-1-1986 (AN) and assumed charge in the same capacity at Dhanbad on 30-1-86 (FN).

(4) On transfer Shri I. J. S. Bhatia relinquished charge of the office of the LEO (C), Delhi-II on 10-2-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Faridabad camp at New Delhi on 10-2-86 (AN).

(5) On selection as Assistant Welfare Commissioner, Shri Palanichamy relinquished charge of the office of the LEO (C), Coimbatore on 19-2-1986 (FN).

(6) On reversion to his parent department, Shri K. S. Saggu relinquished charge of the office of the LEO (C), Baroda on 6-1-1986 (AN).

(7) On promotion to the post of ALC (C) Shri R. N. Mulay relinquished charge of the office of the LEO (C), Bellary on 17-2-86 (AN).

(8) On attaining the age of superannuation, Shri P. Rajaratnam relinquished charge of the office of the LEO (C), Vijayawada on 31-12-85 (AN).

(9) On transfer Shri B. N. Chatterjee relinquished charge of the office of the LEO (C), Delhi-I on 10-1-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Kanpur on 13-1-86 (FN).

(10) On transfer Shri William Burra relinquished charge of the office of the LEO (C), Visakhapatnam on 24-2-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Rajamundri on 25-2-86 (FN).

(11) On transfer Shri A. B. Basu relinquished charge of the office of the LEO (C) at CLC's Hqrs. New Delhi on 17-2-86 (FN) and assumed charge as LEO (C), Delhi-II on 17-2-86 (FN).

(12) On transfer Shri K. Gopikrishna relinquished charge of the office of the LEO (C), Guntakal on 28-2-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Chhindwara on 11-3-86 (FN).

(13) On transfer Shri Amar Kant relinquished charge of the office of LEO (C), Chandigarh-I on 28-2-86 (AN) and assumed charge as LEO (C) Chandigarh-III on 28-2-86 (AN).

(14) On transfer Shri R. Venkataseshan relinquished charge of the office of the LEO (C), Madras on 14-3-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Pondicherry on 17-3-86 (FN).

(15) On attaining the age of superannuation Shri P. C. Pande relinquished charge of the office of the LEO (C) at CLC's Hqrs, New Delhi on 31-3-86 (AN).

(16) On transfer Shri B. B. Singh Samanta relinquished charge of the office of the LEO(C), Guwahati on 21-4-86 (AN) and assumed charge in the same capacity at Paradeep on 28-4-86 (FN).

(17) On attaining the age of superannuation Shri S. S. Goswami relinquished charge of the office of the LEO (C), Calcutta on 30-4-86 (AN).

(18) On voluntary retirement Shri P. C. Bangia relinquished charge of the office of the LEO (C), Bikaner on 30-4-86 (AN).

NAND LAL
Administrative Officer

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 19th June 1986

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL (ESTABLISHMENT)

No. 6/690/62-ADMN(G).—Shri A, Thukkaram, an officer of Grade II of the Central Trade Service and Deputy Chief Controller of Imports and Exports in the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bangalore retired from Government service with effect from the afternoon of the 30th April 1986.

SHANKAR CHAND
Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 26th June 1986

No. CER/7/86-CLB/699.—In exercise of the powers conferred on me by clause 16 of the Textiles (Control) Order, 1986 I hereby direct that :—

(i) Maximum ex-factory price of controlled dhoti, controlled saree and controlled long cloth and controlled polyester blended shirting produced by a producer under the National Textile Corporation (herein after called NTC) having a spinning plant and packed on or after 1st July, 1981 shall be NTC cost per sq. mtr. calculated on the basis of the formula approved by the Government interalia taking into account actual capacity utilisation, actual interest and zero return in respect of mills participating in the production of controlled cloth reduced by Rs. 2/- per sq. mtr. for controlled dhoti and controlled saree and by Rs. 1.50 per sq. mtr. for controlled long cloth and in case of controlled polyester blended shirting as fixed by the Government from time to time.

(ii) the maximum ex-factory price of seconds shall be 10% (ten percent) less than that of the above maximum ex-factory price. The word seconds has the same meaning as defined under the Notification issued under the provision of clause 17 of above control order.

(iii) Consumer price of the aforesaid varieties of cloth packed on or after 1-7-81 shall be 15% over the ex-factory price in case of cotton cloth and 20% (Provisional) in case of polyester cotton shirting as determined in accordance with the clause (i) or (ii) above as the case may be plus excise duties levied under the Central Excise Salt Act, 1944 and the amount of control duty levied under any provision of law for the time being in force.

2. For purpose of this Notification :—

(A) Controlled dhoti/Controlled saree/Controlled long cloth/Controlled polyester blended shirting shall have following common specifications in addition to the specifications given for each of these varieties under item (B), (C) and (D) below :—

(i) an average count not exceeding 40.49s.

(ii) woven in plain weave.

(iii) difference between warp count & weft count not exceeding 8s.

(iv) woven with 2 red threads fast to bleach, warp-wise all through the length and adjustment to one of the selvedges (Except in the case of bordered sarees & dhoties).

Provided that such coloured thread shall not be inserted in non-controlled cloth.

NOTE :—The coloured threads to be included for the above purpose shall ordinarily be in a Napthol Red colour. However, in the case of printed, dyed or other coloured cloth, the coloured threads to be included may be in any other alternative contrasting colour and shall be clearly visible.

(v) are manufactured wholly from cotton (except in case of blended polyester shirting).

(vi) difference between reeds and picks not exceeding four & picks not below 40.

(vii) Colours/dyes used in the above fabrics shall be fast to washing.

B. *Controlled Dhoty.*

(a) In addition to (A) above shall be grey or bleached cloth commonly known by the name whether or not mercerised and shall contain white or coloured yarn in its border and headings.

(b) Shall have width between 104 to 122 cms. (Both inclusive).

C. *Controlled saree.*

(a) In addition to (A) above shall be grey or bleached cloth commonly known by that name, whether or not mercerised.

(b) contain coloured yarn or white yarn in its borders and in headings.

(c) shall have a width ranging between 104 cms and 122 cms (Both inclusive).

(d) it includes printed mull and printed voile having a length not below 5 mtr. per piece.

NOTE : For the purpose of this item printed mull and printed voils shall mean printed fabrics with or without printed borders/headings of plain weave manufactured with single yarn and with warp count not lower than 28s and if it is cut out into saree length piece of 5 metres, 5½ mtrs., then consumer price per piece shall be stamped on the same.

D. *Controlled long cloth.*

(a) in addition to (A) above grey or bleached or dyed cloth whether or not mercerised or preshrunk, and

(b) shall have a width ranging between 84 cms. and 120 cms. (both inclusive).

E. Controlled bleached/dyed/printed polyester cotton blended shirting shall have following specifications :—

Warp :—38s

Weft :—42s.

Reed :—72

Picks per inch :—68

Finished width :—89 cms.

Blended percentage : cotton 52%, Polyester 48%.

Final consumer price to be stamped, shall be Rs. 10.50/- per metre for bleached and Rs. 11.50/- for dyed varieties and Rs. 12/- for printed varieties.

3. The consumer price so determined as per clause 2 above shall be stamped in red colour/ink on the face plait of the controlled cloth and at selvedges on every metre when cloth is sold meterwise or at the end of second pieces when in pairs of sarees or dhoties;

4. I hereby direct each producer of Controlled cloth shall under N.T.C. to furnish true and accurate information to the Textile Commissioner, New C.G.O. Building, Churchagate, Bombay-20, and Regional Office of the Textile Commissioner, within whose jurisdiction the place of manufacture is situated about the controlled cloth manufactured and packed by him on or after 1-7-81 in the form A annexed herein.

(ii) The above form in respect of cloth having the same serial number shall be submitted to the Textile Commissioner as indicated above once in a every period when the prices are revised not later than 10th day of the month succeeding the month in which the prices are revised. When a variety having a new serial number is introduced by the manufacturer for the first time during the price period, particulars in respect of such cloth in form A shall be submitted on or before 10th day the month succeeding the month of introduction of such cloth having a new serial number.

FORM 'A'

Form of particulars to be furnished to the Textile Commissioner in respect of each quality of mill manufacture. Price Fixation for the quarter :

Name of Mill :—

Location :—

1. (a) Mill serial No. as stamped on cloth :—

(b) Code No. with suffix if any :—

2. Full description of cloth (in final finished state).

3. DIMENSIONS LOOM STATE

Calendered & or finished

(a) Width in Centimetres.

(b) Length in Metres.

(c) Weight in Kilogram.

4. Reed per inch (2.34) cm.)

5. Picks per inch (2.54 cm.)

6. Average Count (English Count)

7. Reed Space in centimetres

8. Tape length in Metres,

9. No. of ends	(i) Warp	(a)	(b)	(c)
	(ii) Border	Grey	Bleached	Coloured
	(iii) Selvedge			

10. Actual weight of yarn:

Description	Counts		Calculation weight of yarn (Actual) without addition for wastage.	Remarks
	In French Count	In equivent English		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) Warp :				
(b) Wef :				
(c) Border/Selvedge				
(d) Special Yarn, if any used . . .				
(e) Blend %(overall (in the fabrics) In case of blended shirting.				

11. Width of border & following in cms and inches (In case of sarees and Dhoties)

12. In case of printed cloth state :

(i) No. of colours used :

(ii) The percentage of area of fabrics covered by printing.

13. Date of commencement of packing of cloth.

14. Price calculation

Serial No. :

Code No. :

Description :

....(a) Maximum ex-factory price per mtr./per pce.
(b) Retail price per metre/per piece.
(c) Excise duty per metre/per piece.
(d) Maximum consumer price.
(e) Rounding off to nearest paise (when sold meterwise) or to the nearest 5 paise (when sold piecewise).

Place :
Date :

Signature of Mill Manager/Secretary

T. RAMACHANDRA RAO
Industrial Adviser
File No. 2(12)/86

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 26th June 1986

No. 12(104)/61-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri P. R. Malhan, Director (Gr. I) (Chemical) in the Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi as Industrial Adviser (Chemical) in the same Office with effect from the forenoon of 12-5-1986 until further orders.

No. 19018-(754)/84-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Nandwani as Assistant Director (Gr. I) (Food) at Branch Small Industries Service Institute, Tura under Small Industries Service Institute, Gauhati with effect from the forenoon 6-5-1986 until further orders.

C. C. ROY
Dy. Director (Admn.)

DEPARTMENT OF SUPPLY

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION BRANCH : SECTION A-6)

New Delhi-110 001, the 13th June 1986

No. A-17011/319/86/A-6(.).—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints Shri S. M. Bhattacharya, Examiner of Stores (Engg.) in the office of Director of Inspection, Calcutta to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engg.) on ad-hoc basis in the office of Director of Inspection, Bombay from the forenoon of 15th May 1986 and until further orders.

R. P. SHAHI
Dy. Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700 016, the 18th June 1986

No. 3564B/16/VS/86/19A.—Shri Vijay Singh, Superintendent (Hindi), Geological Survey of India has been appointed against a temporary post on promotion to the post of Hindi Officer by the Director General, Geological Survey of India in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- with effect from the forenoon of 12th May 1986, until further orders.

A. KUSHARI
Director (Personnel),
for Director General

Calcutta-16, the 19th June 1986

No. 3708B/A-19012(2-KKM)19B.—Shri K. K. Muralidharan, Asstt. Geophysicist, G.S.I. made over charge of the post of Assistant Geophysicist, G.S.I. wef 30-4-85 (A/N) on resignation.

No. 3720B/A-19012(2-SR)85-19B.—Shri Sagina Ram, is appointed by the Director General Geological Survey of India as Assistant Geophysicist in the GSI in the minimum of the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17-4-1986 until further orders.

The 20th June 1986

No. 3803B/A-32013(3-Ch.Sr.)/84-19B.—The President is pleased to appoint Dr. S. Chandra, Chemist (Jr.) of the Geological Survey of India on promotion as Chemist (Sr.) in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 1100-1600/- in an officiating capacity with effect from the forenon of 2-5-1986, until further orders.

No. 3816B/A-32013(AO)/19A—The following Superintendents, Geological Survey of India are appointed the Director General G.S.I. on promotion as Administrative officer in the same Department on pay according to rule in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the date shown against each uutil furthe orders.

Sl. No.	Name	Date of appoinment
1.	Shri N.R. Mukherjee	30-5-86 (FN)
2.	Shri B.N. Dutta	30-5-86 (FN

The 23rd June 1986

No. 3842B/A-19012(3-BHK)/85-19B.—Shri B. H. Khawas has been appointed to the post of Asstt. Chemist in the Geological Survey of India by the Director General, GSI on minimum of the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 15-5-1986, until further orders.

A. KUSHARI
Director (Personnel)
Geological Survey of India

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 20th June 1986

No. A-19011(69)/86-Estt.A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri R. D. Naik, Mineral Economist, Indian Bureau of Mines has been promoted to officiate in the post of Superintending Mineral Economist in the Indian Bureau of Mines wef the forenoon of 2nd June, 1986.

G. C. SHARMA
Asstt. Administrative Officer,
for Controller General,
Indian Bureau of Mines.

DIRECTORATE GENERAL: ALL INDIA RADIO (CIVIL CONSTRUCTION WING)

New Delhi, the 27th June 1986

No. A-19012/27/84-CW-I/506.—Shri Harbans Singh, Assisstant Surveyor of Works (Elect.) Civil Construction Wing, All India Radio, New Delhi, expired on 19-5-1986.

S. K. MOHINDRA
E.O. to the Chief Engineer (Civil)
for Director General

SWASTHYA SEWA MAHANIDESHALYA

New Delhi, the 23rd June 1986

No. 4-3/73/Admn.I/CGHS.I.—Consequent on his attaining the age of retirement Vaid Des Raj Verma, relinquished the charge of post of Ayurvedic Physician in Central Government Health Scheme, Delhi on the afternoon of 31-3-1986.

P. N. THAKUR
Dy. Director Admn. (CGHS)

New Delhi, the 25th June 1986

No. A.12026/1/82-M(F&S).—The President is pleased to appoint Shri P. Rajendran in the post of Social Scientist, at Jawaharlal Institute of post of Graduate Medical Education & Research, Pondicherry with effect from the forenoon of 31st May 1986, in a temporary capacity.

P. K. GHAI
Dy. Director Administration (C&B)

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

DIRCTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 25th June 1986

No. A-31014/3/85-A. I—The following officers are hereby appointed substantively to the permanent posts of Marketing Officer (Group I) in the Directorate of Marketing & Inspection, with effect from the dates indicated below against each :

S/Shri	
1. R. Subramaniam	1-10-81
2. M.K.P. Menon	1-9-83
3. T. M. Karunakaran	1-9-83
4. S. C. Sarkar	1-9-83
5. R. Narasimhan	1-9-83
6. V.K. Verma	1-9-83
7. N.L. Kanta Rao	1-9-83
8. B. B. Sarkar	1-9-83
9. B.D. Shorkar (ST)	1-9-83
10. K.N. Ghungrudhkar	1-9-83
11. M. Chakraborty	1-9-83
12. Har Prasad (SS)	1-9-83
13. H.D. Srivastava	1-9-83
14. S.B. Chakravarti	1-9-83
15. D.P. Singh	1-9-83
16. S.V. Krishnamurthy	1-9-83
17. P. Kutumba Rao	1-9-83
18. R. P. Chaturvedi	1--1-84
19. Dr. Sant Lal (SC)	1-6-85

2 The lien of the above officere in the lower post if any stands terminated with efect from the date of their substantive appointment in the post of Marketing Officer Group I.

ANITA CHAUDHARY
Agricultural Marketing Adviser
to the Govt. of India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

CONSTRUCTION & SERVICES GROUP

Bombay-400 094, the 17th June 1986

No. CED/A/2(16)/3577.—The Director, Construction & Services Group, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri P. C. Mathew, a temporary Assistant Personnel Officer in Construction & Services Group as Administrative Officer-II in a temporary capacity on purely adhoc basis with effect from the forenoon of 8-5-1986 vice Shri D. N. Shetti, Administrative Officer-II promoted as Administrative Officer-III.

No. CED/A/2(16)/3579.—The Director, Construction & Services Group, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri V. N. Janardhan, a temporary Selection Grade Clerk in Construction & Services Group as Assistant Personnel Officer in a temporary capacity on purely adhoc basis with effect from the forenoon of 8-5-1986 vice Shri P. C. Mathew, Assistant Personnel Officer promoted as Administrative Officer-II.

D. N. SHETTI
Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Bombay-400 001, the 24th June 1986

No. DPS/41/1/85-Adm/3360.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri K. M. Naik a permanent Purchase Assistant to

officiate as an Assistant Purchase Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 from 05-05-1986 (FN) to 06-06-1986 (AN) in the same Directorate vice Shri P. Balasubramaniam promoted as Purchase Officer (Ad-hoc).

B. G. KULKARNI
Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIVISION

Hyderabad-500016, the 16th June 1986

No. AMD-8/1/86-Rectt/8956.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri M. S. Viswanatham, a permanent Assistant Security Officer, Atomic Minerals Division to officiate as Security Officer in the same Division on an adhoc basis with effect from 2-6-1986 to 4-7-1986 vice Shri S. K. Saraf, Security Officer proceeded on leave.

P. S. R. MURTY
Administrative Officer-II

TARAPUR ATOMIC POWER STATION

TAPP-401 504, the 18th June 1986

No. TAPS/1/18(3)/77-R.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, appoints Shri P. M. Gonsalves, a peramanent Lower Division Clerk and officiating Selection Grade Clerk to officiate as an Officer in Assistant Administrative Officer's grade Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-EB-40-960) on adhoc basis in the Tarapur Atomic Power Station with effect from 12-5-1986 (FN) and upto 12-6-1986 (AN) vice Shri M. L. Maloo, Assistant Personnel Officer proceeded on leave.

R. J. BHATIA
Chief Administrative Officer

TAPP-401 504, the 18th June 1986

No. TAPS/1/19(3)/76-R.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy appoints Shri K. K. Purushothaman, a permanent Assistant Accountant in this Power Station as Assistant Accounts Officer on ad-hoc basis in the same Station with effect from the forenoon of May 12, 1986 and upto June 13, 1986 vice Shri J. M. Pareek Assistant Accounts Officer proceeded on leave.

V. P. NAIK
Administrative Officer-III

DEPARTMENT OF SPACE

CIVIL ENGINEERING DIVISION

Bangalore-560 009, the 28th May 1986

No. 6/39/84-CED(H).—Chief Engineer, Civil Engineering Division, Department of Space, is pleased to appoint Smt. Laila Paul James as Engineer-SB in the Civil Engineering Division, Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 23-1-1986 and until further orders.

The 12th June 1986

No. 6/39/84-CED(H).—Chief Engineer, Civil Engineering Division, Department of Space, is pleased to appoint Shri Vijayanand Babanagar as Engineer-SB in the Civil Engineering Division, Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 02-5-1986 and until further orders.

The 16th June 1986

No. 6/39/84-CED(H).—Chief Engineer, Civil Engineering Division, Department of Space, is pleased to appoint Shri M. Chandrashekar as Engineer-SB in the Civil Engineering Division, Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 15-5-1986 and until further orders.

K. INDIRA DEVI
Administrative Officer-I
for Chief Engineer

INSAT-1 MASTER CONTROL FACILITY

Hassan-573 201, the 18th June 1986

No. ADM : EST GN : 029.—Project Director, INSAT-1 Space Segment Project, Department of Space is pleased to appoint Kum. H. Shashikala as Scientist/Engineer-SB in the INSAT-1 Master Control Facility, Hassan with effect from the forenoon of 12th June 1986 and until further orders.

V. K. NAIR
Administrative Officer-I
for Project Director

INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION
(HEADQUARTERS)

Bangalore 560 009, the 23th June 1986

No. HQ : ADMN : 4·20(5)-4A— The Competent Authorites have appointed the following personnel in a substantive capacity against permanent posts of Assistant Canteen Manager in the Centres/Units of ISRO/DOS as shown below :

Sl No.	Name of the person and Centre/Unit where working now	Present Designation	Substantive appointment as Asstt Canteen Manager w.e.f.
1.	Shri Stephen Saro ISAC	Asstt Canteen Manager	6-2-1982
2.	Shri P. Padmanabhan Nair, VSSC	Asstt Canteen Manager	19-12-1984
3.	Shri P.A. Rajan, SAC	Asstt Canteen Manager	6-4-1986

No. HQ : ADMN : 4·20 (5)-4A—The Competent Authroities have appointed the following personnel in a substantive capacity against permanent posts of Assistant Stores Officer in the Centres/Units of ISRO/DOS as shown below :

Sl. No.	Name of the person and Centre/Unit where working now	Present Designation	Substantive appointment as Asstt Stores Officer w.e.f.
1	2	3	4
1.	Shri N. N. Pathak CED/A'bad	Asstt Stores Officer	1-4-1978
2.	Shri P. M. Pappachan ISAC	Stores Officer—I	1-4-1978
3.	Shri S. Somasekharan Nair, SAC	Stores Officer—I	1-4-1978

1	2	3	4
4.	Shri G. Neelambaran Pillai, VSSC	Stores Officer-I	12-12-1978
5.	Shri V.K. Thomas VSSC	Stores Officer-I	25-9-1979
6.	Shri S. Sreekumaran Nair, VSSC	Stores Officer-I	31-12-1979
7.	Shri N. Vijayanathan Nair, VSSC	Asstt Stores Officer	13-10-1983
8.	Shri K. Vijayakumar SHAR	Asstt Stores Officer	15-10-1983
9.	Shri Y. Ramaiah SAC	Asstt Stores Officer	15-10-1983
10.	Shri K.K. Gopalakrishnan Nair, VSSC	Asstt Stores Officer	1-1-1985
11.	Shri K. Chandrasekharan Nair, SHAR	Asstt Stores Officer	15-12-1985
12.	Shri Y. Raja Rao SHAR	Asstt Stores Officer	15-12-1985

No. HQ : ADMN : 4·20 (5)—4A– The Competent Authorities have appointed the following personnel in a substantive capacity against permanent posts of Assistant Accounts Officer in the Centres/Units of ISRO/DOS as shown below :

Sl. No.	Name of the person and Centre/unit where working now	Present Designation	Substantive appoin ment as Asstt Acct Officer w.e.f.
1	2	3	4
1.	Shri C.K. Narayanan VSSC	Accts Officer-I	1-4-1980
2.	Shri B.T. Desai SAC	Accts Officer-I	22-4-1981
3.	Shri A. Padmanabhan VSSC	Accts Officer-I	26-5-1981
4.	Shri K.G. Somani SAC	Asstt Accts Officer	6-10-1981
5.	Shri A.P. Raman VSSC	Accts Officer-I	13-11-1981
6.	Shri S. Chandrachoodan Pillai, VSSC	Accts Officer-I	28-11-1981
7.	Shri R. Viswanadham VSSC	Accts Officer-I	4-4-1982
8.	Shri R. Rajamani HQ/Delhi	Accts Officer-I	15-4-1982
9.	Shri K. Ramu IAW	Accts Officer-I	15-4-1982
10.	Shri A. D. Gajjar SAC	Accts Officer-I	20-4-1982
11.	Shri K. Vijayakumaran VSSC	Accts Officer-I	21-4-1982
12.	Shri M. Srinivasa Rao SHAR	Accts Officer-I	21-4-1982
13.	Shri T. Ramalingeswara Rao ISAC	Accts Officer-I	21-4-1982
14.	Shri S. Seshadri INSAT	Accts Officer-I	30-4-1982
15.	Shri K. Sreenivasan ISAC	Accts Officer-I	3-5-1984
16.	Shri N. Prabhakaran Nair, VSSC	Accts Officer-I	3-5-1984
17.	Shri R. Muninarasimaiah ISAC	Accts Officer-I	3-5-1984
18.	Smt. M.N. Thirvengadu ISAC	Accts Officer-I	3-5-1984
19.	Shri H. S. Subaramaiya CED	Asslt Accts Officer	3-5-1984
20.	Shri P. Rajendran VSSC	Asstt Accts Officer	3-5-1984
21.	Shri C.K. Keraladasan VSSC	Asstt Accts Officer	3-5-1985
22.	Shri K. Subba Rao SHAR	Accts Officer-I	3-5-1984
23.	Shri P. Sukumara Pillai VSSC	Asstt Accts Officer	3-5-1984
24.	Shri S. Srinivasan HQ/IMAP	Asstt Accts Officer	3-5-1984
25.	Shri T.I. Abraham VSSC	Asstt Accts Officer	3-5-1984
26.	Shri A. Sudhakar Rao CED/SHAR	Asstt Accts Officer	3-5-1984
27.	Shri S.V. Srinivasa Murthy, (on F/S CPRI)	Asstt Accts Officer	16-7-1984
28.	Shri K. Bahuleyan Nair VSSC	Asstt Accts Officer	19-7-1984
29.	Shri N. B. S. Sastry SHAR	Asstt Accts Officer	30-7-1984
30.	Shri N. V. Iyer VSSC	Asstt Accts Officdt	8-8-1984
31.	Shri K. Bhaskar Rao SHAR	Asstt Accts Officer	1-10-1984

No. HQ : ADMN : 4·20 (5)-4A– The Competent Authorities have appointed the following personnel in a substantive capacity against per manent posts of Assistant Administrative Officer in the Centre/Units of ISRO/DOS as shown below :

Sl. No.	Name of the person and Centre/Unit where working now	Present Designation	Substantive appoint ment as Asstt Admn Officer w.e.f.
1	2	3	4
1.	Smt C.N. Saradama VSSC	Admn Officer-I	1-4-1980
2.	Shri R. Krishna Kamath CED/SHAR	Admn Officer-I	1-4-1980
3.	Shrri T.R.S. Mahadeva Rao SHAR	Admn Officer-II	1-4-1980
4.	Shri V. Karunakaran Nair MCF/INSAT	Admn Officer-II	1-4-1980
5.	Shri A.P. Rajagopalan HQ/BBY	Admn Officer-I	1-4-1980

1	2	3	4
6.	Shri P. N. Rajappa ISAC	Admn Officer-I	1-4-1980
7.	Shri N. Sundararajan VSSC	Admn Officer-II	1-4-1980
8.	Shri M.P. Kumaran INSAT	Admn Officer-I	1-4-1980
9.	Shri L. K. S. Nair VSSC	Admn Officer-I	1-4-1980
10.	Shri K. M. G. Warrier CED	Admn Officer-I	1-4-198 0
11.	Shri K. G. K. Nair SAC	Admn Officer-I	1-4-1980
12.	Shri S. Venkatachalam VSSC	Asstt Admn Officer	1-4-1980
13.	Shri B. Viswanatha Pillai, VSSC	Admn Officer-II	1-4-1980
14.	Shri C. M. Mani ISAC	Admn Officer-I	28-2-1981
15.	Shri O. S. N. Kurup SHAR	Admn Officer-I	19-4-1981
16.	Shri M. G. R. Pillai VSSC	Admn Officer-I	6-5-1981
17.	Shri V. Arjunan CED/VSSC	Admn Officer-I	18-9-1981
18.	Shri K. Sukumaran Nair LPSU	Admn Officer-I	19-9-1981
19.	Smt. R. Vijayammal VSSC	Asstt Admn Officer	22-1-1982
20.	Shri K. N. N. Nambudiri NNRMS	Asstt Admn Officer	7-10-1983
21.	Shri P. R. Balakrishnan INSAT-II ISAC	Asstt Admn Officer	1-1-1985
22.	Shri P. Kesava Rao SHAR	Admn Officer -I	14-3-1985
23.	Shri S. Sengupta DES/SAC	Asstt Admn Officer	1-5-1985
24.	Shri R. Ravikumaran Nair, VSSC	Assitt Admn Officer	1-9-1985

The 24th June 1986

No. HQ : ADMN : 4·20 (5)-4A:—The Competent Authorities have appointed the following personnel in a substantive capacity against permanent posts of Assistant Purchase Officer in the Centre/Units of ISRO/DOS as shown below :

Sl. No.	Name of the person and Centre/Unit where working now	Present Designation	Substantive appointment as Asstt Purchase Officer w.e.f.
1	2	3	4
1.	Shri N. Appukuttan Nair VSSC	Purchase Officer-I	1-1-1979
2.	Shri A. Robertson LPSU	Purchase Officer-I	1-1-1979
3.	Shri K. V. Raghavachary ISAC	Purchase Officer-I	1-1-1979
4.	Shri K. Sivanandan VSSC	Purchase Officer-II	1-1-1979
5.	Shri K. James Mathew VSSC	Purchase Officer-I	1-1-1979
6.	Shri V. N. Gopalakrishanan VSSC	Asstt Purchase Officer	1-1-1979
7.	Shri K. R. Prabhakar ISAC	Asstt Purchase Officer	20-4-1980
8.	Shri M. N. Sadanandan VSSC	Purchase Officer-I	20-4-1980
9.	Shri V. Viswanthan VSSC	Purchase Officer-I	20-4-1980
10.	Shri S.B. Jayaraman Nair ISTRAC	Purchase Officer-I	20-4-1980
11.	Shri C. K. Rajagopal ISAC	Purchase Officer-I	20-4-1980
12.	Shri George Joseph VSSC	Assstt Purchase Officer	9-6-1981
13.	Shri K. Balakrishnan ISAC	Purchase Officer-I	17-4-1983
14.	Shri A.N. Vaidya SAC	Purchase Officer-I	9-8-1983
15.	Shri D.S. Prakasam LPSU	Asstt. Purchase Officer	11-8-1985
16.	Shri John Mathew VSSC	Asstt. Purchase Officer	11-8-1985

M.P.R. PANICKER
Head, P&GA

Bangalore-17 The 10th June, 1986

No. 020/1 (15·1)/86-Est.-I—Director ISRO Satellite Centre is pleased to accept the resignation from the service of the following employees from the post of Scientist/Engineer 'SB' in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the department of Space with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Post	Date of resignation
	S/Shri		
1.	Suresh L. Bilgi	Sci/Engr 'SB'	23-4-1986 (AN)
2.	R.C. Ashok Kumar	Sci/Engr 'SB'	04-6-1986 (AN)

H.S. RAMADAS
Administrative Officer-II

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 30th May 1986

No. A. 32014/1/86-EC (.)—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following Technical Assistants to the grade of Assistant Technical Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 650-1,200/- with effect from the date of their taking ove charge of the higher post and upto 31-3-1986 or till the post is filled on regular basis whichever is earlier and to post them at the station indicated against each :—

Sl. No.	Name	Present Station of posting	Station to which posted	Date of taking over charge.
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	V.K. Bajaj	Delhi	ACS, Rourkela	28-3-1986 (FN)
2.	H.K. Sharma	Delhi	ACS, Surat	29-3-1986 (AN)
3.	A. Amritraj	Bangalore	ACS, Bangalore	28-2-1986 (FN)
4.	R.S. Mangat	Amritsar	CATC, Allahabad	29-3-1986 (AN)
5.	R. Bhaskaran	Madras	ACS, Bangalore	30-3-1986 (FN)
6.	B.M. Tondwalkar	Bombay	ACS, Ratnagiri	30-3-1986 (FN)
7.	I.S. Bhasin	RCDU	RCDU, New Delhi	28-2-1986 (FN)
8.	U.K. Jaitley	DGCA (STP)	ACS, Gauhati	13-3-1986 (AN)
9.	Balraj Sareen	Amritsar	ACS, Kota	30-3-1986 (FN)
10.	A.K. Pal	Calcutta	RCC, Calcutta	28-2-1986 (FN)
11.	T.K. Das	Calcutta	ACS, Calcutta	5-3-1986 (FN)
12.	S.P. Lahiri	Calcutta	ACS, Kailashahar	25-3-1986 (FN)
13.	K.G. Nair	Trivandrum	ACS, Trivandrum	28-2-1986 (AN)
14.	Mrs. S. Kamalam	Madras	ACS, Madras	28-2-1986 (FN)
15	T.N. Ramachandran	Madras	ACS, Vizag	23-3-1986 (AN)
16.	B.D. Gupta	Calcutta	ACS, Calcutta	12-3-1986 (FN)
17.	Jayant Banerjee	Bhubaneshwar	ACS, Dhanbad	27-3-1986 (FN)
18.	M. Krishnan	Madras	ACS, Cuddapah	4-3-1986 (FN)
19.	M.P. Agnihotri	Bhopal	ACS, Bhavnagar	30-3-1986 (FN)
20.	Jagdish Prasad	Bhopal	ACS, Bhopal	31-3-1986 (FN)
21.	Shyamal Sur	Calcutta	ACS, Calcutta	17-3-1986 (AN)

V. JAYACHA NARAN
Dy. Director of Administration

COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

Madras, the 12th June 1986

CUSTOMS/ESTABLISHMENT

No. S2/1/86-Estt.—S/Shri R. Premsingh, M. Ramachandra Rao, V. Subbiah, P. Namasivayam and P. Shenmugam, Senior Grade Preventive Officers, Custom House, Madras, are Madras, are promoted to officiate as Superintendent of Customs (Preventive) with effect from 13-3-1986 FN, 13-3-1986 FN, 15-4-1986 FN, 13-3-1986 FN and 18-4-1986 FN respectively.

R. JAYARAMAN
Collector of Customs

Vadodara, the 26th June 1986

No. 15/86.—Shri B. V. Doshi, Superintendent (Gr. 'B') of Central Excise & Customs, Division-IV, Vadodara on attaining the age of 58 years on 5-6-86, will be retiring on superannuation in the afternoon of 30-6-1986.

No. 16/86.—Shri R. B. Upadhyay, Superintendent (Gr. 'B') of Central Excise, Valsad will be retiring voluntarily from Government Service with effect from 1-7-86 FN.

No. 17/86.—Shri R. J. Shelat, Superintendent (Gr. 'B') of Central Excise, Valsad will be retiring voluntarily from Government Service with effect from 1-7-86 FN.

No. 18/86.—Shri U. K. Mohnani, Superintendent (Gr. 'B') of Central Excise & Customs, Valsad will be retiring voluntarily from Government Service with effect from 1-7-86 FN.

No. 19/86.—Shri M. P. Muley, Administrative Officer of Central Excise & Customs, Hdqrs. Office, (Group 'B'), Vadodara will be retiring Voluntarily from Government Service with effect from 4-7-86 FN.

SMT. VARALAKSHMI RAJAMANICKAM
Collector of Central Excise & Customs

Calcutta the 29th May 1986

Subject: Promotion, transfer and postings in the grade of Superintendent, Gr. 'B'

I. *PROMOTION*

No. .132/86.—The following Inspectors of Central Excise in he combined cadres of Collectorates of Central Excise, Cal-I/t/II/Bolpur are hereby appointed provisionally on promotion

to officiate in the grade of Superintendent of C.Ex., Gr. 'B' in the prescribed time scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810 E.B. 35-880-40-1000-EB-40-1200/- plus usual allowances as admissible under the rules w.e.f. the dates they assume charge of the nigher posts (Supdt., C. Ex. Gr. 'B') at the places of their posting and until further orders.

Sl. No.	Name	Existing posting
1	2	3
	S/Shri	
1.	Devendra Kr. Das (Sinha)	Cal. II Coll'te.
2.	Jaharlal Ghosal	Cal. II Coll'te.
3.	Ashit Ch. Basu Roy Choudhury	Cal. II Coll'te.
4.	Anath Bandhu Dey	Cal. II Coll'te.
5.	Pabitra Narayan Sen Gupta	Do.
6.	Bhupendra Nath Nath	Do.
7.	Dwipendra Nath Mukherjee	Do.
8.	Rathindra Nath Kar	Do.

The above mentioned promotee officers are further warned that their appointment in Gr. 'B' posts are purely provisional and subject to revision/modification against the posts allotted to direct recruits and other officers to whom the Govt. may be eventually decide to allocate the posts.

In other words the officer promoted provisionally will be brought to rosters along with direct recruits (when they become available) in accordance with the instructions contained in the Ministry of Home Affairs Order No. 9/11/55/SRPS dated 22-12-59 and if they become surplus to the establishment at the time they will be reverted.

Their promotion will be subject to final outcome of the writ petition C.R. No. 8496 (W) of 1984 filed by Shri Gour Kr. Dey Inspr. (SG) and in persuance of the order in the contempt applications one post has continued to be kept vacant.

This promotion is also subject to the final outcome of the writ petition filed by Shri S.R. Dutta Sharma, Inspector and others on reservation matters.

II. TRANSFER AND POSTING

The following postings and transfers are hereby ordered with immediate effect and until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer	Existing posting	Posting in promotion/transfer
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Debendra Kr. Das (Sinha)	Khardah C. Ex. Divn. Cal-II Coll'te.	Bolpur C. Ex. Coll'te.
2.	Jaharlal Ghoshal	Howrah North Divn. Cal-II Coll'te.	Do.
3.	Ashit Ch. Basu Roy-Choudhury	Dum Dum Divn. Cal-II Coll'te.	Do.
4.	Anath Bandhu Dey	Int. Audit Cal-I Coll'te.	Do.
5.	Pabitra Narayan Sengupta	Do.	Cal. II Coll'te.
6.	Bhupendra Nath Nath	Cal. 'E' Dn. Cal-I Coll'te.	C. Ex. Cal-II Collectorate
7.	Dwipendra Nath Mukherjee	Cal. 'H' Dn. Cal-I	Bolpur C. Ex. Coll'te.
8	Rathindra Nath Kar	Cal. 'A' Dn. Cal-I	C. Ex. Cal-II Coll'te.
9.	N.C. Munshi	Durgapur C.E. Divn. Bolpur	C. Ex. Cal-II Coll'te.
10.	P.M. Roy	Asansol C.E. Divn. Bolpur	Do.
11	A.K. Dey	Bolpur C. Ex. Coll'te.	C. Ex. Cal-I Coll'te.
12.	M.K. Ghosh	Do.	C. Ex. Cal-I Coll'te.
13.	Supati Majumder	Do.	C. Ex. Cal-II Coll'te.
14.	M.M. Paul	On completion of deputation in GEGAT joined HQ	C. Ex. Cal-I Coll'te.

The copy of the certificate of transfer of charge indicating the dates of assumption of charge of Superintendent C. Ex. Gr. 'B' by promotee/transferee may be forwarded to the Deputy Collector (P & E), Central Excise, Calcutta-I/II/Bolpur.

The Collector Cal II/Bolpur will issue further specific posting orders in respect of officers allotted to his Collectorate.

The promotee officers should exercise their options within one month from the date of promotion regarding fixation of pay on promotion in terms of Ministry of Home Affairs O.M. The officers should be relieved immediately by local arrangement.

N. F/7/1/80/Estt./Pt. I dated 26-9-81.

C. BHUJANGASWAMY
Principal Collector
Customs and Central Excise

Allahabad, the 26th June 1986

C. No. II(3) 103-Estt./85/4874– The Collector of Central Excise, Allahabad is pleased to appoint the following Inspector (S.G.) to the post of Superintendent Group 'B' during the year 1984 and 1985 w.e.f. the date indicated against each :–

Sl. No.	Name of Officer	Date of appointment
	S/Shri	
1.	Sri Kant Asthana	8-8-84
2.	Harihar Rai	11-9-84
3.	A.K. Ghatak	15-8-84
4.	Ajit Kumar Bagchi	4-6-84
5.	K.L. Srivastava	11-7-84
6.	Mohd. Attar Raza	31-7-84
7.	Kamta Prasad Gupta	5-9-84
8.	Jagjivan Bux Singh	15 12-84
9.	Ramjivan Pandey	1-2-85
10.	Krishana Kumar Shukla	21-1-85
11.	Vishnu Swaroop Srivastava	28-1-85
12.	Bachai Lal (SC)	4-2-85
13.	Ram Raj Harijan (SC)	18-4-85
14.	Sita Ram (SC)	11-6-85
15.	K.C. Saxena	28-8-85
16.	S. P. Singh	28-8-85
17.	B.R. Dey	4-9-85
18.	B.K. Srivastava	10-1-85
19.	Ghanshyam Singh	8-10-85
20.	S.C. Gupta	21-2-85

C. No. II(3) 103-Estt./85/4874—The Collector of Central Excise, Allahabad is pleased to appoint the following officer Superintendent to the post of Administrative Officer during the year 1984 and 1985 w.e.f. the date indicated against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of appointment
	S/Shri	
1.	Gauri Shankar Srivastava	6-7-84
2.	A.K. Kar	21-2-86

PARVEEN TALHA
Deputy Collector (P&E)

DIRECTORATE GENERAL OF INSPECTION
CUSTOMS & CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 24th June 1986

No. 8/86.—On his retirement on superannuation, Shri G. A. Wagle relinquished charge of the post of Inspecting Officer Gr. 'B' in the West Regional Unit of the D.G.I.C.C.E. at Bombay wef 31-5-86 (AN).

H. M. SINGH
Director General of Inspection

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Amtaher Exports Private Limited

Bangalore-9, the 23rd June 1986

No. 2410/560/86.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amtaher Exports Private Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Hattiangadi Construction Services Company Pvt. Ltd.

Bangalore-9, the 23rd June 1986

No. 5736/560/86.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hattiangadi Construction Services Company Private Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sd./- ILLEGIBLE
Registrar of Companies
Karnataka, Bangalore

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 28th May 1986

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/483/1985-86.—Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
The property include Ice Plant and Old Machinery.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S. R. Shriwardhan on Nov. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shriwardhan Ice Factory,
Jivna Bunder, Shriwardhan,
Dist. Raigad.
(Transferor)

(2) Glorious Enterprises,
A-6 "Everest" Tardeo,
Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

The property include Ice Plant and Old Machinery.

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Shriwardhan under document No. 483/1985-86 in the month of Nov. 1985)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 28-5-1986
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 9th June 1986

C.R No. 62/48799/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 10 situated at Jayamahal road, Jayamahal Extension, Bangalore-560046 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagar under document No. 2087/85-86 on 28-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri John Samuel Luther
S/14, Milton Street
Cooks Town, Bangalore-560005.
(Transferor)

(2) M/s. Cinerama Private Ltd.,
Santosh Cinema Complex,
K. G. Circle, Bangalore-9.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 2087/85-86 Dated 28-10-85).

All that property bearing No. 10 situated at Jayamahal Road, Jayamahal Extension, Bangalore' 46.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 9-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 9th June 1986

C. R. No. 62/48800/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 3/1,
situated at I A Main Road, Gangena Lalli, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandinagar under document No. 2064/85-86 on 24-10-1985 for an apparent consideration which i less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concetlment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. M. Aswathaiah
Kadugodi, Bidarahalli Hobli
Hosakote Taluk.
(Transferor)

(2) Shri N. Jagannathan,
3/1, I A Main Road,
Gagenahalli Extn.
B'lore-32.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition ofthe said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 2064/85-86 Dated 24-10-85).

All that property bearing No. 3/1, situated at I A Main Road, Gangenahalli, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 9-6-1986
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 4th June 1986

C. R. No. 62/R-1861/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Shop Nos. L-B8, L-B9, L-B10, L-B11, L-B12, L-B13, L-B14, L-A3, L-A4, L-C3+L-C4.
situated at Kasba Bazar Village, Ward No. 13, Mangalore.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore Vide Registration No. 1617/85-86 Dated 28-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that **the fair market value of the property** as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and **that the consideration for such transfer as agreed to between** the parties has not been truly stated in the said instrument of **transfer with the object of :—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Poonja Arcade,
K. S. Road,
Mangalore.
(Transferor)

(2) Mr. Sanjeeva Narna Shetty and
Mr. Dinesh Yellappa Shetty,
Southern Estate Mannabettu Village,
Kinnigoli, Mangalore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the **Official** Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as **are defined in Chapter XXA of the said** Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1617/85-86 Dated 28-10-1985).

Shop Premises No. L-B8, L-B9, L-B10, L-B11, L-B12, L-B13, L-B14, L-A3, L-A4, L-C3 and L-C4 situated at Kasba Bazar Village, 13th Ward, Mangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 4-6-1986

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 4th June 1986

C. R. No. 62/No. 1122/86-87/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Survey No. 293-1P, 309-P, 294 to 300/P, 313 (416/313) 313 (415/313B), 308/P, 308/P, 307.
situated at Devavrunda Village, Gonibid Hobli of Mudigere Taluk.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mudigere Vide Document No. 889/86-87 on 24-1-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. P. RN. L. RN. Ramanathan and RN. Ganapathi Chettiar, Jagirkhan Estate,
2. RN. Ramanathan and Sethuraman Nachandupatti, Pudukkotai at Tamil Nadu.
3. PL. M. V. Venkatachalam Chettiar, Virfachilai, Pudukkottai Dist. Tamil Nadu.
4. Mrs. V. Muthukkarupi Achi
No. 3 Virachilai
Pudukkottai Dist. Tamil Nadu.
(Transferor)

(2) Mr. Patrick Xavier Fernandes,
S/o Mr. Xavier Fernandes,
Arya Samaj Road, Mangalore-575003
by P. O. Holder
Mr. Stanley Herold Lobo, S/o Mr. J. M. Lobo,
55, Wheeler Road, II Cross, Bangalore-56005.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 889/86-87 Dated 24-1-1986).

Coffee Estate Survey No. 293-1P, 309-P 294 to 299, 300/P, 416/313, 415/313B, 308/P, 308/P, 307 situated at Devavrunda Village of Mudigere Taluk (Coffee Estate known as Devavrunda Estate).

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 4-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANJN PARK
KANPUR

Kanpur-208 012, the 4th June 1986

Ref. No. MD-1/86-87.—Whereas, I,
H. R. DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of he Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
situated at Bethel Hous
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun under registration No. 8463 date 18/10/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tarnafer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Guran Devi
2. Smt. Saroj Kumari,
3. Smt. Beena Babbar,
4. Shri Ramesh Chand Gilhotra
C/o Guran Associates,
Fazilka,
Punab.

(Transferor)

2() C/s Sarswati Traders
C/o Krishan Lal,
2. R. K. Kohli,
14/18, Sher Singh Place G. T. Road,
Ghaziabad.

(Transferee)

(3) —Do—

(Person(s) in occupation of the property)

(4) —Do—

(Persons whome the undersigned known to be interested in the proper y)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property known As Bethal House Grant Cane, Kulri, Mussorie.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 4/6/86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR

Kanpur-208 012, the 4th June 1986

Ref. MD-376/86-87.—Whereas, I,
H. R. DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
situated at The Mall Mussorie
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi under registration No. 1451 dated 18-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely —

(1) Shri Krishan Lal,
B-12 Majlish Park,
New Delhi,
Shri Kashmiri Lal,
Paradise Building 100/1, G. T. Road,
Karnal,
Shri Kumud Lal,
B/12 Majlish Park,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri S. R. Narula
C/o Sandeep Graphick P. Ltd.
23 Comunity Center,
Mayapuri,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Hotel Paradise Contental,, The Mall Mussorie.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 4/6/86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR

Kanpur-208 012, the 6th June 1986

Ref. No. K-349/85-86.—Whereas, I,
H. R. DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Block 7 situated at Naushad Aptt. Cantt Kanpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur under registration No. 20534 dated 15-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. K. Bhartiya & others,
56 Cantt.
Kanpur.
(Transferor)

(2) Indian Explosives Ltd.,
34, Chowsanghee Road,
Calcutta.
(Transferee)

(3) —Do—
(Person(s) in occupation of the property)

(4) —Do—
(Persons whome the undersigned known to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 7 of Naushad Apartments, Contonment Kanpur.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 6/6/86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR

Kanpur-208 012, the 6th June 1986

Ref. No. AR.II/37EE/24111/85-86.—Whereas, I. H. R. DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act)' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
situated at Sadulla Bad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad under registration No. 36408 dated 8-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagmal Singh
S/o Shri Tirkha,
R/o Sadullabad Launi,
Ghaziabad,
(Transferor)

(2) Shri Laxmi Narayan Gupta
C/o M/o D.L.F. Hatels Ltd. Narendra Palace,
Parliament Road,
New Delhi,
(Transferee)

(3) —Do—
(Person(s) in occupation of the property)

(4) —Do—
(Persons whome the undersigned known to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the serviceo of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Village, Sadullabad Payava, Loni, Ghaziabad.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 6/6/86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR

Kanpur-208 012, the 6th June 1986

Ref. No. M-1086/85-86.—Whereas, I,
H. R. DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
situated at Bahtahazipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad under registration No. 36697 dated 14-10-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kabooler Khajan,
Shri Kewal,
R/o Bhatahazipur,
Launi, Gahziabad.
(Transferor)

(2) M/s Uttaranchal Vihar
Sahakari Awas Samit Ltd. Ghaziabad,
Through its president Shri K. M. Negi.
(Transferee)

(3) —Do—
(Person(s) in occupation of the property)

(4) —Do—
(Persons whome the undersigned known to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Village, Bahtahazipur, Pargana, Loni, Ghaziabad.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 6/6/86
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS

Madras-600 006, the 3rd June 1986

Ref. No. 1/Oct./85.—Whereas, I, R. JANAKIRAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing R. S. No. 85 (D. S. No. 423), situated at Nungambakkam, Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Thousandlights/Doc. No. 506/85 in 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri T. V. Jagadisan,
10, Boyster Apartments,
Pilot Bunder Road,
Colaffiba,
Bombay. (Transferor)

(2) Sri Rajeshkumar,
(HUF) and others,
27, Dr. Hegde Road,
Madras-34. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land and Building : R. S. No. 85 (O. S. No. 423), Nungambakkam, Madras.

Thopsandlights/Doc. No. 506/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II (i/c)
Madras-600 006

Date : 3-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS

Madras-600 006, the 3rd June 1986

Ref. No. 2/Oct./85.—Whereas, I,
R. JANAKIRAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
R. S. No. 132/2, Block No. 21 situated at Nungambakkam Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Thousandlights/Doc. No. 501/85 in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri P. N. Oaswara Iyer and 9 others,
S/o Sri P. S. Narayana Iyer (Late),
No. 41, Anjugan Nagar,
Kolathur,
Madras-600 099.
(Transferor)

(2) 1. Mrs. Bhagwati Nichani, and 2 others,
815/A, Shivalaya,
219, Commander-in-Chief Road,
Madras-105,
2. M/s. Nichani Brothers P. Ltd.,
29/4, Race Course Road,
Bangalore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land:—R. S. No. 132/2, Nungambakkam, Madras. Thousandlights/Doc. No. 501/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II (i/c)
Madras-600 006

Date : 3-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS

Madras-600 006, the 4th June 1986

Ref. No. 6/Oct./85.—Whereas, I,
R. JANAKIRAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Tatabad, New Door No. 11/85—T.S. 666 situated at Old Door No. 55, Coimabtore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Coimbatore/Doc. No. 4635/85 in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. N. V. Parvathi,
Self and as Power agent to her sons P. Nataraj and P. Venkatachalam,
and P. Krishnan,
11/55, Tababad.
(Transferor)

(2) Sri Vivalingam and Thiagarajan,
Semmanpattu,
Tiruppathi Talkies,
Pasumpon Muthuramalingam.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at : New Door No. 11/85-T. S. No. 666 Tatabad, Coimbatore.
Coimbatore/Doc. No. 4635/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II (i/c)
Madras-600 006

Date : 4-6-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS

Madras-600 006, the 4th June 1986

Ref. No. 7/Oct./85.—Whereas, I,
R. JANAKIRAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
T. S. Ward No. 7, New T. S. Ward 8, Old T. S. Nos. 3199, 3200, 3201 and 3202 Part) in Mathupalayam Thadagam situated at Extension, Block No. 14, Site No. 34, R. S. Puram, Coimabtore
(and more fully described in the Schedule below) hsa been has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Coimbatore/Doc. No. 4338/85 in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri N. K. Hussain son of Noor Mabamed,
660, Sukrawarpet Street,
Coimabtore-1. ..
(Transferor)

(2) Sri V. Anand
S/o Sri C. G. Venkataraman,
No. 9, Ansari St., Ramnagar,
Coimbatore-9.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : R. S. Puram, East Thiruvenkatasamy Road, Block No. 14, in Old T. S. Nos. 7/3199, 3200, 3201, 3202 part site No. 34, Coimbatore.

Coimbatore/Doc. No. 4338/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II (i/c)
Madras-600 006

Date : 4-6-86
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS

Madras-600 006, the 3rd June 1986

Ref. No. 11/Oct./85.—Whereas, I,
R. JANAKIRAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
R. S. No. 3666/6, Dor No. 61, Sir C. P. situated at Ramasami Iyer Road, Mylapore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Madras Central/Doc. No. 1020/85 in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Section 269C of the said
the acquisition of the
is notice under sub-
Act, to the follow-

(1) Dr. R. Subramaniam and 4 others,
246/7, 18th Cross Upper Palace Ordhard,
Sadasiv Nagar,
Bangalore-80.
(Transferor)

(2) M/s. Rasi Exports P. Ltd.,
Ist Managing Directors,
R. Balakumar,
44, East Madras St.,
Mylapore,
Madras-4.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : Door No. 61, Sir C. P. Ramaswami Iyer Road, Madras.
Madras Central/Doc. No. 1020/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II (i/c)
Madras-600 006

Date : 3-6-86

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 3rd June 1986

Ref. No. 12/Oct. 85.—Whereas, I, R. JANAKIRAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 13, New No. 12, Gowdiya Mutt Road, situated at Royapettah, Madras-14, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mylapore/Doc. No. 1367/85 in October 1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

18—156GI/86

(1) Mrs. Saroj Bhatia,
No. 8, Ranjeet Road,
Kotturpuram, Madras-600 085.
(Transferor)

(2) Shri M. M. Haija Nachia,
M. A. Haja Bahurudeen,
and M. A. Mohamed Rafi,
No. 1/11, Kader Batcha St., Nahangudi,
Nedamangalam Taluk, Tanjore Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acaquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this noticein the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building Old door No. 13, New No. 12, Gowdiya Mutt Road, R.S. No. 382, Block No. 8, Royapettah, Madras-14.
Mylapore/Doc. No. 136/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006

Date : 3-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 3rd June 1986

Ref. No. 13/Oct. 85.—Whereas, I, R. JANAKIRAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable Property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. No. 15, East Avenue, K.P. Puram, situated at Madras128, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mylapore/Doc. No. 1394/85 in October 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri S. Champakam,
No. 2, Damodarapuram,
Advar, Madras-20.
(Transferor)

(2) M/s. Sivanandha Steels Ltd.,
Rep. by its Mg. Director,
Mr. P. Krishnamurthi, 240, Dewan Bhadur Road, Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as **are defined in Chapter XXA of the said** Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building No. 15, East Avenue, K.P. Puram, Madras-28.
Mylapore/Doc. No. 1394/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006

Date : 3-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 4th June 1986

Ref. No. 14/Oct. 85.—Whereas, I, R. JANAKIRAMAN, **being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding** Rs. 1,00,000/- and bearing No. No. Door No. 1, Dr. Radhakrishnan Salai, situated at Mylapore, Madras-4, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mylapore/Doc. No. 1414/85 in October 1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice unedr sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. P. R. Pushpavalli and 4 others, No. 1, 7th St., Dr. Radhakrishnan Salai, Madras-4. (Transferor)

(2) Mrs. Dholibai and three others, 174, Venkata Rangam Pillai St., Triplicane, Madras-5. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House and Ground Old No. 1/37, Door No. 1, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore, Madras-4.
Mylapore/Doc. No. 1414/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006

Date : 3-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 4th June 1986

Ref. No. 15/Oct.85.—Whereas, I, R. JANAKIRAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. No. 15, Plot No. 4, Besant Avenue, situated at Elliots Beach Road, Madras (Iso known as No. 4 Karpagam Avenue Madras-20). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Adayarfffl Doc. No. 2732/85 in October 1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration or such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jaya Natarajan,
No. 5, Senior Officers Quarters,
Hindustan Aeronatics Ltd.,
Old Madras Road, Bangalore.
(Transferor)

(2) Smt. S. Champakam,
No. 2. Damodarapuratu,
Adyar, Madras-20.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House and Ground Door No. 15. (Plot No. 4), Besant Avenue, Elliots Beach Road, also described as No. 4, Karpagam Avenue, Adyar, Madras-20.
Adyar/Doc. No. 2732/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006

Date : 4-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OL INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 4th June 1986

Rcf. No. 16/Oct. 85.—Whereas, I,
R. JANAKIRAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1 lakh and bearing No.
129, Old door No. 134, Habibullah Road,
situated at T. Nagar, Madras-17,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
T. Nagar/Doc. No. 1173/85 in October 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. T. R. Rajakumari,
d/o Late Ranganayaki Ammal,
No. 129, Habibulla Road, T. Nagar,
Madras-600 017.
(Transferor)

(2) Sri K. V. Sadanandan,
s/flo Velayudhan,
Kollara House,
South Mada, Gurugayur,
Trichur Dist.
Kerala State.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : Door No. 129, Old Door No. 134, Habibulla Road, T. Nagar, Madras-17,
T. Nagar/Doc. No. 1173/85.

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006

Date : 4-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 11th June 1986

No. AR.III-37-EE/25362/85-86.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 7 of S. No. 161 (part)
Village Mouje Pahadi near Goregaon, Bombay
situated at Bombay
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the office of the Competent Authority at
Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or this Act, or the Wealth-tax Act, 1952 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Sudhir Kantilal Jasani. (Transferor)

(2) Shree Sajid Const. Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7 of Survey No. 161 (art) Village Mouje pahadi, near Goregaon, Bombay.
The agreement has been registered by the Competent AAuthority, Bombay under Sr. No. AR.III/377/25362/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 11th June 1986

No. AR.III.37EE/25383/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. No. Plot No. 9 of S. No. 161 (part) Village Mouje Pahadi near Goregaon, Bombay, situated at Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereo), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the Office of the Competent Bombay on 1-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

(1) Mr. Siddharth Anandlal Jasani. (Transferor)

(2) Shree Sejal Const. Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 9 of S. No. 161 (Part) Village Mouje Pahadi near Goregaon, Bombay.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25383/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

No. AR.III.37EE/25290/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Piece or parcel of land, village Ghatkopar. Tal Kurla S. No. 220 H. No. 2 (p), Ghatkopar, Bombay, situated at Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the Office of the Bombay on 1-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Balkrishna Ganpat Sadekar. (Transferor)

(2) M/s Gunjan Corporation. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground Village Ghatkopar Tal. Kurla Dist. Bombay Suburban in Gr. Bombay Survey No. 220 H. No. 2(p), Ghatkopar, Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25290/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

No. AR.III.37EE/25295/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the income Tax Act 1961 (43 of 1961) (herein after referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 31, 3rd fl. Kailas Jyoti Bldg. No. 2,
Derasar Lane, Ghatkopar (E), Bombay-77,
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Said Act in the office of the Competent Authority
Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more then fifteen percent of such apparent consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of an income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfere for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

19—156GI/86

(1) Mr. Kanubhai H. Patel. (Transferor)

(2) Jasmine Builders Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interesed in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 31, 3rd fl. Kailas Jyoti Bldg. No. 2, Derasar Lane, Ghatkopar (E), Bombay-77.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25295/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 11th June 1986

No. AR. III.37EE/25315/85-86.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Property bearing S. No. 60 (pt) S. No. 17 H3,
CTS No. 553, 553 (1 to 12) of village Valnai,
situated at Marve Road, Malad (West), Bombay-400 064,
situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the Office of the Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Noshir Cooverji Engineer, (Transferor)

(2) Mr. Pralul D. Shah & Anr. (Transferee)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires ater;

(b) by any other person interested in the said immov able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing S. No. 60 (pt) S. No. 17 H3, CTS No. 553, 553 (1 to 12) of Village Valnai, situated at Marve Road, Malad (W), Bombay-400 064.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25315ff85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombaq, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25244/85-86.—Whereas, I,
A. PRASAD,
Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to beiieve that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Piece or parcel of land Village Deonar Taluka, S. No. 22 Hissa No. 1, S. No. 23 H. No. 2, S. No. 24 Hiss No. 13, Govandi Stn. Road (Near), Deonar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to belicve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Sharanbassappa T. Indi & Ors. (Transferor)

(2) M/s Subodh Const. Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections if any to the acquisiiton of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the **publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece or parcel of land at Village Deonar Taluka, Survey No. 22 23., and 24 Hissa No. 1, 2 and 13, CTS No. 402(p), 402/2 and 402/3 Deonar, Bombay-400 088.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25244/85-86 on 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/24849/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot Nearing CTS No. 5407 to 5411 and Plot B at Joshi Lane., Ghatkopar (East), Bombay-77
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ranjit M Laxmidas Merchant & Ors. (Transferor)

(2) M/s Vallabh Const. Co. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot Bearing CTS No. 5407 to 5411 and Plot B at Joshi Lane, Ghatkopar (East), Bombay-77.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/24849/85-86 on 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 11-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombaq, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25387/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Plot No. 13 of S. No. 161 (part) Village Mouje Pahadi near Goregaon, Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-10-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the afodesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(2) Avinash Chimnlal Maniar. (Transferor)

(2) M/s. Shree Sejal Const. Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 13 of Survey Nlo. 161 (part) Village Mouje Pahadi near Goregaon, Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25387/85-86 on 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombaq, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/24838/85-86.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Piece or parcel of land at Borla Taluka Kurla, Plot No. 23, Kurla, Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Vishnu R. Sohoni. (Transferor)

(2) Mr. Bhupat Ratilal Shah. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece or parcel of land at Borla Plot No. 23 assessed under Municipal in M-War No. M-5277(23) and Street No. WT Patil Road, Kurla, Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/24838/85-86 on 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombaq, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25527/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Land with Structure at Vidya Vihar Khoti Village, City Survey Nos. 448/1 to 448/6, Vidyavihar, Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of Transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Savitribai G. Thakkar & Ors. (Transferor)

(2) M/s. Rajpal Construction Co. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece or parcel of land with Structure Vidyavihar, Khoti Village Kirol, Survey No. 92 Hissa No. 3(6), being Plot No. 4 City Survey Nos. 448/1 to 448/6, Ghatkopar, Bombay.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25527/85-86 on 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 5-6-1986
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombaq, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25710/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Property at Village Valnai, Orlem, Malad (West), S. No. 41/3, CTS No. 204, 207 and 211 Malad (West), Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the ability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Shree Ram Constructions Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Smt. S. A. Agarwal. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property (land) at Village valnai, Orlem, Survey No. 41/3, and CTS No. 204, 207 and 211, Malad (West), Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25710/85-86 on 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombaq, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25382/85-86.—Whereas I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Land bearing S. No. 4/4CTS No. 27, S. No. 58/4 CTS No. 53 and S. No. 81, (p) and CTS No. 53/3, Village Valnai, Taluka Borivli, Marve Road, Malad, Bombay-64
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration said that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : —

(1) Mr. Louis Pascoal D'Mello. (Transferor)

(2) M/s. Vijay Corporation. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The land bearing S. No. 4/4CTS No. 27, S. No. 58/5,CST No. 53 and S. No. 8/1(p) and CTS No. 53/3, Village Valnai, Taluka Borfivli, Marve Road, Malad (West), Bombay-64.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25382/85-86 on 1-10-1985.

A. PRASAD
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombaq, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EF/25610/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Land hereditments and premises together with chawl, New Bombay Agra Road, Kurla, Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Luthgard Almeida and Ors. (Transferor)

(2) M/s. Jupiter Builders. (Transferee)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Offleial Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land hereditaments and premises together with chawl and shed thereon New Bombay Agra Road, Kurla, S. No. NA 75C, CTS No. 349, 349/1 to 11, Kurla, Bombay.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EF/25610/85-86 on 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE **INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Ref. o. AR.III/37EE/25221/85-86.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 21 and 22 Village Valnai Haluka Borivli, Malad (W), Bombay.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the Office of the Competent Authority at
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than **fifteen per cent of such apparent consideration and that the** consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of **transfer with the object of :—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee **for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, **therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act,** I **hereby initiate proceedings** for the **acquisition of the** aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Reliance Builders & Developers. (Transferor)

(2) Arihant Developers. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No 21 and 22 Village Valnai Haluka Borivli, Malad (W), Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25221/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/24891/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Picece of Agricultural and non Agricultural land with bldg. Village Valnai (Orlem) Marve Road Bombay.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the Office of the Competent Authority at
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Avanbanoo J. Mistry. (Transferor)

(2) M/s. Ravi Raj Builders. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of parcel of Agricultural and on agricultural land with building and other structures standing thereon village Valnai (Orlem) Marve Road Malad (W) city S. No. 77, 78, 78/1, 78/2, 78/3 and 157 Malad (W), Bombay.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/24891/85-86 on 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25067/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

Shop No. 17, 18, 20, 22, 23 & 24 Satyam C-Wing, Mazanine Fl. Satyam—Shivam Sundaram Bldg. Ghatkopar, Bombay-77.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the Office of the Competent Authority at

at Bombay on 1-10-1985

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor, by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Saral Enterprises. (Transferor)

(2) M/s. Parikh Brothers. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 17, 18, 20, 22, 23 & 24 Satyam C-Wing, Mazanine Fl. Satyam—Shivam Sundaram Bldg. Ghatkopar, Bombay-77.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. o. AR.III/37EE/25067/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25575/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Various premises in Satyam Shivam Sundearam Bldg. at M. G. Road, Bhatokpar (E), Bombay-77.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in repect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or **which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Saral Enterprises. (Transferor)

(2) Miss Venus K. Sanghavi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The erms and expressions used herein as **are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Various premises in Satyam Shivam Sundearam Bldg. at M. G. Road, Bhatokpar (E), Bombay-77.

Shop on Gr. Fl.	6855 sq. ft. B.U.
Shop on Mezz Fl.	3220 sq. ft. B.U.
Basement	4420 sq ft. B.U.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under S. No. AR.III/37EE/25575/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25577/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the said 'Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Office Nos. 1, 3 to 22 and 24 to 29 on 1st floor Satyam A-Part Wing of Bldg. Satyam Shivam Sundaram M. G. Road Ghatkopar (E), Bombay-77.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfr with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor, to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Saral Enterprises. (Transferor)

(2) Kishore Sanghvi P. Rel. Trust. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office Nos. 1, 3 to 22 and 24 to 29 on 1st floor Satyam A-Part Wing of Bldg. Satyam Shivam Sundaram M. G. Road Ghatkopar (E), Bombay-77.

The agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under S. No. AR.III/37EF/25577/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/255580/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Office Nos. 17, to 29 1st floor Satyam B-Part Wing of Bldg. Satyam Shivam Sundar at M. G. Road, Ghatkopar (E), Bombay-77.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Said Act in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Saral Enterprises. (Transferor)

(2) M/s. Usha Sangavi P. Rel. Trust. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office Nos. 17, to 29 1st floor Satyam B-Part Wing of Bldg. Satyam Shivam Sundar at M. G. Road, Ghatkopar (E), Bombay-77.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25580/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25581/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Office Nos. 30 to 34 on 1st floor Satyam B-part Wing Satyam Shivam Sundaram M. G. Road, Ghatkopar (E) Bombay.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income tax Act 1961 in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) M/s. Saral Enterprises. (Transferor)

(2) Sanghvi Family Pvt. Rel. Trust. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this noice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office Nos. 30 to 34 on 1st floor Satyam B-part Wing Satyam Shivam Sundaram M. G. Road, Ghatkopar (E) Bombay.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25381/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
LAXMAN DAS
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay.

Dated : 5-6-1986.
Seal :

FORM ITNS.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25582/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Basement Nos. 1 to 5, 16 to 20 in Satyam B-Part Wing & 5, 15, 16, 17, 19 & 20 in Satyam A-Part Wing of Bldg. Satyam Shivam Sundaram M. G. Road Ghatkopar (E), Bombay.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income tax Act 1961 in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-10-1985
at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Saral Enterprises.
(Transferor)

(2) Shantilal Sanghvi P. Rel. Trust.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Basement Nos. 1 to 5, 16 to 20 in Satyam B-Part Wing & 5, 15, 16, 17, 19 & 20 in Satyam A-Part Wing of Bldg. Satyam Shivam Sundaram M. G. Road Ghatkopar (E), Bombay.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37FE/25582/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay.

Dated : 5-6-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Rel. No. AR.III/37EE/25583/85-86.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Office Nos. 1 to 13 on 1st floor Satyam B-Part Wing of Bldg. Satyam Shivam Sundaram M. G. Road Ghatkopar (E), Bombay-77.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the office of the Competent Authority at Bombay on
at Bombay on 1-10-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Saral Enterprises. (Transferor)

(2) Prabhaben Sanghvi P. Rel. Trust. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days rfom the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office Nos. 1 to 13 on 1st floor Satyam B-Part Wing of Bldg. Satyam Shivam Sundaram M. G. Road Ghatkopar (E), Bombay-77.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37FE/25583/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay.

Dated : 5-6-1986.
Seal :

FORM ITNB——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 5th June 1986

Ref. No. AR.III/37EE/25585/85-86.—Whereas, I, A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Office Nos. 7 to 18 on 1st floor Satyam C-Part Wing of Bldg. Satyam Shivam Sundaram M. G. Road Ghatkopar (E), Bombay-77.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered and the agreement is registered under section 269AB of the said Act in the office of the Competent Authaority at Bombay on 1-10-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than **fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability **of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer) and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Saral Enterprises. (Transferor)

(2) Malini Sanghvi P. Rel. Trust. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Offician Gazette or a period o 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within forty-five days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office Nos. 7 to 18 on 1st floor Satyam C-Part Wing of Bldg. Satyam Shivam Sundaram M. G. Road Ghatkopar (E), Bombay-77.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/25585/85-86 dated 1-10-1985.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay.

Dated : 5-6-1986.
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2119.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
1001 A in Devika Tower situated at 6 Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pragati Construction Co.
(Devika Tower)
73-74, Nehru Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Col. Swaranjit Singh, Mrs. Raj Kanwar,
Shri Jasjit Singh and Sh. Narjit Singh,
9-Ring Road, Lajpat Nagar-IV,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the chapter.

THE SCHEDULE

1001 A in Devika Tower, 6 Nehru Place, New Delhi.
Area 1205 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

/Date : 5-6-1986
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2152.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 408, measuring 1500 Sq. ft. situated at on 4th floor Group Housing Complex 2 Tilak Marg, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from thet transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Secion 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ravindera Properties Pvt. Ltd.,
2, Tilak Marg, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mstr Viraj Mohan, Ms Rajvi Mohan
B-157 Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notce in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 408, measuring 1500 Sq. ft. on 4th floor in proposed Group Housing Complex, 2 Tilak Marg, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

/Date : 5-6-1986
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2153.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 410, measuring 1500 Sq. ft. on situated at 4th floor, 2 Tilak Marg, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Secton 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ravindera Properties Pvt. Ltd.,
2, Tilak Marg, New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. R. S. Gupta S/o Sh. Sant Ram and
Smt. Savitri Gupta d/o AR Goel,
53/59, Ranjan Road,
Karol Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 410, measuring 1500 Sq. ft. on 4th floor in proposed Group Housing Complex, 2 Tilak Marg, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

/Date : 5-6-1986
Seal ;

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2154.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 303, Mg 1500 Sq. ft. on IIIrd floor situated at 2 Tilak Marg, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ravindera Properties Pvt. Ltd.,
2, Tilak Marg, New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Krishan Mohan,
25-B, Pusa Road, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 303, measuring 1500 Sq. ft. on IIIrd floor in proposed Group Housing Complex, 2 Tilak Marg, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

/Date : 5-6-1986
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2155.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Ravindera Properties Pvt. Limited situated at 2 Tilak Marg, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ravindera Properties Pvt. Ltd.,
2, Tilak Marg, New Delhi.
(Transferee)

(2) Smt. Kailash Wanti Sehgal
12/F Silon Condominium,
52/38 Soi Saladaeng
2, Silon Road, Bangkok.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 612 measuring 1500 Sq. ft. on 6th Floor in the Group Housing Complex, New Delhi. 2, Tilak Marg.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Aggarwal House,
Acquisition Range-I,
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

/Date : 5-6-1986
Seal ;

22—156GI/86

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2157.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 711, measuring 1500 Sq. ft. situated on 7th floor in proposed Group Housing Complex
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ravindera Properties Pvt. Ltd.,
2, Tilak Marg, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Bimla Devi Agarwal
W/o Dalip Singh Agarwal,
B-38, Jhilmil Industrila Area,
Shahdara, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 711, measuring 1500 Sq. ft. on 7th floor in proposed Group Housing Complex, 2, Tilak Marg, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Aggarwal House,
Acquisition Range-I,
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

/Date : 5-6-1986
Seal:

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, /114-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE /10-85/2158.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Flat No. 401, measuring 1500 Sq. ft. situated at on 4th floor in proposed Group Housing Complex.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transfered under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer
at IAC Acq. Range-I, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ravindera Properties Pvt. Ltd.
2 Tilak Marg, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/S Foremost Exports (I) Pvt. Ltd.
S-46, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 401, measuring 1500 Sq. ft. on 4th floor in proposed Group Housing Complex New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf All Road,
New Delhi.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, /114-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-1/37EE/10-85/2159.—Whereas, I,
R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Flat No. 412, measuring 1500 Sq. ft. situated at Group Housing Scheme /Mopplex, 2, Tilak Mark, New Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transfered under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer
at IAC Acq. Range-I, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ravindera Properties Pvt. Ltd.
2 Tilak Marg, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mr. Surinder Mahajan, 19,
Ring Road Lajpat Nagar-IV,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 412, Measuring 1500 Sq. ft. on 4th Floor in the proposed Group Housing Scheme /Complex 2, Tilak Marg, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, /114-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2183.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Flat No. A-3 on 5th floor and Garage No. S-14 situated at Lala Girdhar Lal Memorial Apartment at 28, Ferozeshah Road, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer
at IAC Acq. Range-I, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Lala Girdhar Lal Memorial,
Federation House, Tansen Marg,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Tata Iron & Steel Co. Ltd.
Bombay, through their local office,
Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential flat No. A-3 on 5th floor and Garage No. S-14 in the basement of Lala irdhar Lal Memorial Apartment at 28, Ferozeshah Road, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, /114-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2184.—Whereas, I,
R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Flat No. A13 5th floor and Garage No. S-14 situated at Lala Girdhar Lal Memorial Apartments at 28 Ferozeshah Road, New Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transfered under the Registeration Act. 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer
at IAC Acq. Ronge-I, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to velieve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Girdhar Lal Memorial,
Federation House, Tansen Marg,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Tata Iron & Steel Co. Ltd.,
Bombay, through their local office,
Jeevan Tara Bldg., 5,
5, Parliament street,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential flat No. A-3 on 5th floor and Garage No. S-14 in the basement of Lala Girdhar Lal Memorial Apartment at 28 Ferozeshah Road, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, /114-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2185.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Flat No. A-3 on 4th floor and Garage No. S-13 situated at Lala Girdhar Lal Memorial Apartments at 28 Ferozeshah Road, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer
at IAC Acq. Range-I, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or **which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the **aforesaid property by the issue of this notice under sub-**section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Lala Girdhar Lal Memorial,
Federation House, Tansen Marg,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Tata Iron & Steel Co. Ltd.,
Bombay, through their local office,
Jeevan Tara Bldg., 5,
5, Parliament street,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as **are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter**

THE SCHEDULE

Residential flat No. A-3 on 4th floor and Garage No. S-13 in the basement of Lala Girdhar Lal Memorial Apartments at 28, Ferozeshah Road, New Delhi. Area 1604 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, /114-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/21888.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing W/69 Greater Kailash-II situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at IAC Acq. Range-I, New Delhi on October 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by this issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1, Hauz Raj Pahwa C/o Avon Cycles (P) Ltd. G.T. Road, Ludhiana.
(Transferor)

(2) Cyarviz Investments & Industries Ltd. 3370 Hauzqazi Delhi, Flatted Residential Area Measuring aboue 5060 sq. ft.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

W/69 Greater Kailash-II, New Delhi. Entire Basement 3638 Sq. ft. Entire Barsati 992 Sq. ft. Entire Garage Block on Ground Floor measuring 430 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2191.J—Whereas ,I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 6 on 5th Floor at Proposed multi-storeyed situated at Group Housing Scheme Adishwar Apartments at 34 Ferozeshah Road, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s. Kailash Nath & Associates,
1006, Kanchenjunga 18,
Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Golden Properties and Traders Limited,
24, Kalaka Street,
Calcutta-7.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential flat Area 1600 Sq. ft. Flat No. 6 on 5th Floor at proposed multi-storeyed Group Housing Scheme Adishwar Apartments at 34, Ferozeshah Road, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14-A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2194.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 6 ervant Qr. No. 6
situated at Gauri Apartments on 3 & 4 South End Lane, New Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
I.T. Act, 1961 JAC Rangel, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Kailash Nath & Associates,
1006, Kanchenjunga 18,
Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Shanta Kothari and
Mr. Swaroop Z. Kothari
C/o Hemchandji Nahar,
Naughare 2001 Kinari Bazar,
Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One resdl. Flat No. 6 (1580 S. Ft), one Servant Qr. No. 6 (130 S. ft), Open lawn (450 S. ft.) on ground floor and one open Car parking space in proposed Group Housing Echeme Gauri Apartments on 3 & 4 South End Lane, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14-A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 3-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2197.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 5-A, Admeasuring approx. 1600 Sq. ft. on 5th floor, Nilgiri Apartment at 9 Barakhambha Road, New Delhi.
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
I. T. Act, 1961 IAC RangeI, New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Kailash Nath & Associates,
1006, Kanchenjunga 18,
Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Prasar Builders Pvt. Ltd.
K-113 Hauz Khas, First Floor,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

THE SCHEDULE

One flat No. 5-A, admeasuring approx. 1600 Sq. ft. on 5th floor and one open Car parking space in proposed Group Housing Scheme Nilgiri Apartments at 9 Barakhamba Road, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14-A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A ,ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2198.—Whereas, I R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 6-A, admeasuring approx 1600 sq. ft. situated at on 5th floor and one open car Parking Space Nilgiri at 9 B. K. Road, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Kailash Nath and Accociates,
1006, Kanchenjunga,
18, Barakhamba Road,
New Delhi. (Transferor)

(2) M/s. Libra Estates Private Ltd.,
K-113, Hauz Khas,
First Floor,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One flat No. 6-A, admeasuring approx 1600 Sq. ft. on 5th floor and one open car parking Space in proposed Group Housing Scheme Nilgiri Apartments at 9, Barakhamba Road New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A ,ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-35/2205.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. P-203, P-204 (1st floor) & P-303 situated at P-304 (2nd floor), Palam Apartments, Bijwasan, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act. 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Chopra Promoters & Builders,
7A/27, W.E.A.,
Karol Bagh,
New Delhi. (Transferor)

(2) M/s. Jay Shree Tea Industries
Lal Dwara Bldg.,
Swami Ram Tirath Nagar,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. P-203, P-204 (1st Floor) & P-303, P-304 (2nd Floor) Palam Apartments, Bijwasan, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A ,ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2220A.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 710 at 2, Tilak Marg situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
nas been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of(1957));

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ravindera Properties (P) Ltd.
2, Tilak Marg,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ajay Kumar Gupta
110, Aurbindo Palace,
DDA Complex Hauz Khas,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 710 at 2, Tilak Marg, New Delhi, Area 1500 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 3rd June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2231.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 1301 mg. 820 Sq. ft. at 13 Tolstoy Marg situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bakshi Vikram Vikas Const. Co.
13, Tolstoy Marg.
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Yogini Trust
C/o S. P. Marwah & Co.
F-58, Connaught Place,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Booked of Office Flat No. 1301 measuring 820 Sq. ft. in the proposed multi-storeyed building at 13, Tolstoy Marg, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 3-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A ,ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2232.—Whereas, I. R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act) have reasons to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1302 Mg. 820 Sq. ft. at 13, Tolstoy Marg situated at New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I. New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed bffiy the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the foresaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bakshi Vikram Vikas Const. Co. (P) Ltd.
13, Tolstoy Marg.
New Delhi.
(Transferor)

(2) Miss Meha Khanna
through father and netural guardian
Mr. Rajeev Khanna,
E-I, Maharani Bagh.
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of th eaforesaid persons within a period of in the Official Gazette or a period of 30 days from 45 days from the date of publication of this notice the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, with 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Booking of Office Flat No. 1302 measuring 820 Sq. ft. in the proposed multi-storeyed building at 13, Tolstoy Marg, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A ,ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd June 1986

Ref. No. IAC/Acq-1/37EE/10-85/2237.—Whereas, I R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 8-D, Hansalaya situated at 15, Barakhamba Road, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Kanta Bahri &
Miss Rita Bahri
5/6, Roop Nagar,
Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. Sood Family Trust
26, Siri Ram Road,
Civil Lines,
Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8-D, Hansalaya, 15, Barakhamba Road, New Delhi. Area 1168 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 3-6-1986
Seal :

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2238.—Whereas, I R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
House No. C-595, Defence Colony situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act. 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Col. Birender Singh Chimni
C-6/57, Safdarjang Development Area,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Jai Prakash Jain,
Shri Magan Mala Jain and
Shri Rajeev Jain
R/o Jain Street,
P.O. Kandhla,
Dist. Muzaffar Nagar (U.P.).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential House, C-595, Defence Colony, New Delhi. Area Ground floor—1712 Sq. ft., First Floor—1712 Sq ft., Barsati—427 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 3-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OOFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2258.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 103, 39, Kusal House situated at Nehru Place, New Delhi
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri T. C. Jain &
Smt. Balbir Kumari Jain
S-341, Greater Kailash-I,
New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Sukhnandan Mahen &
Smt. Raj Mahen
120, MIG Flat,
Prashad Nagar,
New Delhi. (Transferee)

(3) Transferee.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 103, 39, Kushal House, Nehru Place, New Delhi. Area (approx) 867.5 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2269.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 708, 7th floor, 7, Tolstoy Marg situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Ruby Chemical Agency
1402/16, Tilak Bazar Chowk
Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Savitri Devi
W/o Shri Sajan Das Mulchandani,
BN-12, Poorvi Shalimar Bagh,
Delhi.
(Tranferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of forty-five days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 708, 7th floor, 7, Tolstoy Marg, New Delhi, measuring 645 Sq. ft. possession yet to be handed over.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 3rd June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2270.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 6, 1st Floor (Front) situated W-14, Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Acq. Cell IAC kange-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquiition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Broadway Towers (India Pvt. Ltd.
B-102, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mr. Bhim Sain Khurana &
Mrs. Bhag Rani
3/1, Shivaji Nagar,
Gurgaon.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6, 1st Floor (Front) W-14, Greater Kailash-II New Delhi, Area 2300 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 3-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd June 1986

Rel. No. IAC/Acq-I/37EE/10-85/2272.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat at B-23, Gitanjali situated at (Rear Portion)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and thta the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mrs. Veena Churamani &
2. Mr. J. K. Churamani
S-137, Panch Shilla Park,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Dr. Brij Bhushan &
Mrs. Jamil aBrij Bhushan
A-15/27, Vasant Vihar,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said Immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ground Floor Flat at P-23, Gitanjali (Rear Portion) Area 2950 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 3-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/10-85/226.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Property No. P-186, Mg. 22, Sq. yds. situated at Greater Kailash-I, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabilty of the transferor to pay tax under the Sad Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Rupinder Singh
S/o Shri Nonok Singh
through general ottorney Gurcharan Porkash Singh
S/o S. Bhogat Singh
R/o 5, Rajdoot Marg,
Chanakyapuri,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Umesh Kumar Verma
S/o Shri Mathra Dass Verma
R/o E-303, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. R-186, measuring 222 Sq. yds. Greater Kailash-I, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14 A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/10-85/268.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. M-113, Greater Kailash-II situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at I.T. Act, 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the said consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri G. S. Kohli, HUF
A-77, Ashok Vihar, Phase-II,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ashwini Kumar,
D-64, Panchsheel Enclave,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

M-113, Greater Kailash-II, New Delhi. Area 300 Sq yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/10-85/273.—
R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. S-59 Greater Kailash-II situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule, annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chanan Singh Bohania
S/o Shri Udam Singh Bohania,
124, Saini Enclave,
Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Amarjit Singh Johar & Co.
C-139 Defence Colony,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

S. 59 Greater Kailash-II, New Delhi, Plot Area 300 Sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/10-85/274.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs .1,00,000/- and bearing
Property No. F-44/A N.D.S.E. Part-I situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. S. Bazaz
F-44/A N.D.S.E. Part I
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mc Dowell & Co. Ltd.
3 Second Line Beach,
Madras.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A part of the residential property bearing No. F-44/A N.D.S.E. Part-I consisting of West Half Wing Comprising of the Basement, Ground with land underneath as well as East Half Wing of the First Floor.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/10-85/278.--Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Plot No. 30, in Block 'R' 300 sq yds. situated at Greater Kailash-I, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Daya Wati Gupta,
W/o Shri Shiam Sunder Gupta
R/o F-52, Green Park,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Delite Builders
through its partner Sardar Surinder Singh,
S/o Sardar Dharam Singh,
R/o A-2/140, Safdarjung Enclave,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 30, in Block 'R' Greater Kailash-I, New Delhi. Area 300 sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/10-85/280.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Property No. N-118, mg. 300 Sq. yds.
situated at Greater Kailash-I, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to payl tax under the said Act, in respect of any income arising from thet transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Secion 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely .—

(1) Shri Dalip Singh
S/o Late S. Sharma Singh
R/o N-118(Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Tarlochan Singh Anand
S/o S. Natha Singh Anand
R/o A-3, Kailash Colony,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notce in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. N-118,measuring 300 sq. yds., Greater Kailash-I, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq.1/SR-III/10-85/281.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. M-88, Greater Kailash-II, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mrs. Pushpa Chadha
2. Ina Khanna
3. Miss Neena Chadha &
4. Miss Ravija Chadha
all R/o A-8, Jawahar Quarters
Meerut.

(Transferor)

(2) Shri K. L. Chopra and
Smt. Shashi Chopra
Both R/o B-29, Panchsheel Enclave,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. M-88, Greater Kailash-II, New Delhi Residential Plot admeasuring 400 Sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/10-85/287.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Property No. K-21, measuring 311 Sq. yds.
situated at Kailash Colony, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Neena Sethi, W/o
Shri Satish Sethi, R/o
G-1/16, Darya Ganj,
New Delhi. (Transferor)

(2) Shri R. K. Malik, S/o
Late Shri P. N. Mali, R/o
E-1/73, Lajpat Nagar,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. K-21, measuring 311 Sq. Yds. Kailash Colony, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS——————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/10-85/288.—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot No. 78, Block 'H' New Delhi South Extension Scheme, Part-I, at Village Mubarakpur Kotla on Ringh Road, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect to any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vaishno Dass Puri
S/o Late Shri Ramji Dass Puri,
R/o H-78, N.D.S.E. Part-I,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Rajesh Kumar Jain,
RS/o Shri Mahabir Parsad Jain
R/o G-19, N.D.S.E. Part-I,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single Storeyed Building with land underneath, measuring about 200 Sq. yds. bearing Plot No. 78, Block 'H' situated at in the Residential Colony, known as New Delhi South Extension Scheme, Part-I, at village Mubarakpur Kotla on Ring Road, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR III/10-85/289.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 1,00,000/- and bearing
Unit No. C, Property No. M-178 Mg. 300 Sq. Yds.
situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Chander Kanta, W/o Shri Ashok Kumar, R/o A-2/35, Safdarjung Enclave, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Amarjit Singh Oberoi, S/o Lt. Col. Teja Singh Oberoi, R/o W-105, Greater Kailash I, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. C, on Second floor, part of property No. M-178, measuring 300 Sq. yds, Greater Kailash-II, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR III/10-85/293.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Property No. S-141, Mg. 298 Sq. yds. situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Khurana Builders
through its partner
Shri Gurvinder Singh Khurana,
E-21-A, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Mala Kumar
W/o Shri Sanjeev Kumar
R/o 42, Bungalow Road,
Kamla Nagar, Delhi
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) By any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Second floor of Built up property No. S-141, measuring 298 Sq. yds. at Greater Kailash-II, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/10 85/294.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the **Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable** property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. S-154, Greater Kailash-II situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I herey initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Devendra Pahl
26, Anand Lok,
New Delhi

(Transferor)

(2) M/s. Khurana Builders,
E/21-A, East of Kailash,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No S-154, Greater Kailash-II, New Delhi.
Area 306 Sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/10-85/296. —Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000|- and bearing
Plot No. E-497, situated at Greater Kailash-II, New Delhi-48 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Prem Kumar Malhotra
Shri P. L. Malhotra,
through attorney Shri P. L. Malhotra,
S/o Shri Mathura Dass
R/o L-12, Rajouri Garden,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Suresh Chandra Verma
S/o Shri M. R. Verma,
R/o 3, Radha Niwas,
Khar Pali Road, Khar, Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. E-497, Greater Kailash-II, New Delhi-48, admeasuring 248 Sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/10-85/297. —Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Property No. C-4, Mg. 500 Sq. yds.
situated at Greater Kailash-I, New Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at I.T. Act 1961 IAC Range-I, New Delhi in October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Devi Joshi
W/o Shri Keshab Dutt Joshi,
Smt. Kamla Devi Joshi
W/o Shri Jagdish Prasad Joshi and
Smt. Ghhabi Joshi
W/o Shri Badri Dutt Joshi
through attorney Sh. Devi Dutt Joshi
S/o Late Shri Amba Dutt Joshi
R/o 179, Sukhdev Vihar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri O. P. Arora and Family (HUF)
through its Karta O. O. Arora
S/o late Devi Chand Arora
R/o C-14, Anand Niketan,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. C-4, measuring 500 sq. yds. Greater Kailash-I, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, AGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/10-85/299.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Agricultural land Village Bijwasan situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at I.T. Act, 1961, IAC Range I New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Mrs. Anjula Khanna,
J-17A, Hauz Khas Enclave,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Jagdish Pd. Bhalotia,
5, Clive Rear, Calcutta -1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land Village Bijwasan, 14 Bigha, 8 Biswas.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/10-85/303.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Agricultural land 10 Bigha 17 Biswas, Village Bijwasan situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at I.T. Act, 1961, IAC Range 1 New Delhi on October 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Green Park Builders & Promoters (P) Ltd.,
115, Ansal Bhawan, 16 K.G. Marg,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Abha Krishna
W/o Dr. K. S. Krishna,
707, Jangpura Road, Bhogal,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 10 Bigha 17 Biswas comprised in Rect. No. 44, Khasra No. 11 (2-08), Kainni No. 181 (8-09) situated in Village Bijwasan, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I,
AGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/10-85/306.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable Property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Agricultural land 28 Bigha and 2 Biswas situated at Village Bjwasan, Tehsl Mehrauli, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at I.T. Act, 1961, IAC Range I New Delhi on October 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Khazan Singh
S/o Shri Ram Mehar,
R/o Village Bijwasan,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Khemka Aviation Private Ltd.,
41/2, 'M' Block, Speedbird House,
Connaught Circus, New Delhi,
through its Director
Shri Nand Khemka,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 28 Bigha and 2 Biswas, M. No. 73, Killa No. 13(1-18), 14(3-16), 15(0-9), 16(0-16), 17 (4-16), 18(4-16), 22 (1-4), 23(4-11), 27(0-5), Mustatil No. 88, Killa No. 1(1-3), 2(2-18), 3(1-10), Village Bijwasan, Tehsil Mehrauli, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/10-85/871.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. 2, Shankaracharya Road, Civil Lines, Delhi (19286 sq. ft.)
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ajay Kumar
S/o Shyam Behari Lal,
2. Shri Mohit Kumar
S/o Ajay Kumar,
2, Shankra Charya Road,
Metcalf Road, Civil Lines,
Delhi.

(Transferor)

(2) S/Shri Dina Nath Anand & Darshan Lal Anand,
S/o S. Ram Chand Anand,
Shri Sameer Anand, (minor)
S/o Shri Dina Nath Anand,
F-108, Ashok Vihar, Phase-I,
Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion 2, Shankra Charya Road (Area 19786 sq. ft.), Civil Lines, Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 5-6-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 5th June 1986

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/10-85/873.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Entire Ground floor of 3-F Kamla Nagar, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in October, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Joginder Singh Chabra &
Smt. Narender Kaur Chabra,
R/o 8/5, Singh Sabha Road,
Delhi-110006. (Transferor)

(2) M/s. Delhi Tyes,
873, S.P. Mukherjee Marg,
Delhi-110006. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the **publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Entire Ground floor of 3-F Kamla Nagar, Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 5-6-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madras, the 4th June 1986

Ref. No. 70/October/85.—Whereas, I, R. JANAKIRAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Door No. 36, Nowroji Road, Madras-31 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Periamet (Doc. No. 1185/85) on October, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Syed Ameen Rahim
2. Syed Ibrahim Rahim,
25, Cemetry Road,
Washermanpet,
Madras-600 021. (Transferor)

(2) Mrs. Khatija Begum,
W/o Sri S. M. Madhatullah,
No. 936, Periyar E. V. R. High Road,
Madras-600 084. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at Door No. 36, Nowroji Road, Madras-31.

(Doc. No. 1184/86).

R. JANAKIRAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 4-6-1986
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986